खण्ड-184, अंक-6
शुक्रवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1879
(26 जुलाई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
जौनसार बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ (मेज पर रखी गयी) ..	४९२
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	४९२–४७५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	४७५–४८८
उत्तर प्रदेश विक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	४८८–४९४
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, १९५७ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर तथा उसे राय प्राप्त करने के हेतु घुमाने एवं प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधनों पर विवाद–जारी)	४९५–५०९
सम्पिवा	५१०–५१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[शुक्रवार, २६ जुलाई, १९५७ ई०]

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र श्री, उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर सिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल ,श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजारामशर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणरावकदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ जुलाई, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के पूर्वी अन्नाभावग्रस्त जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनाज की कमी की शिकायत

**१--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश के अन्नाभावग्रस्त जिलों में अलग-अलग मई एवं जून मास, सन् १९५७ में कितने-कितने मन गेहूं सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरण करने के लिए भेजा गया ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अलीजहीर)--पूर्वीय उत्तर प्रदेश के अन्नाभाव ग्रस्त जिलों में मई एवं जून, १९५७ में सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरण के लिये भेजे गये गेहूं के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय न्याय मन्त्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि जून के मुकाबले में मई मास में कम गल्ला भेजने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अलीजहीर--मैं नहीं समझा कि किस जगह के लिए आप पूछ रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--सूची में जितने जिले दिये गये हैं यानी ९ जिले, उनमें मई के मुकाबले में जून से ज्यादा गल्ला आया और मई में कम ?

श्री सैयद अलीजहीर--मेरे खयाल से मई के महीने में इतनी मांग नहीं रही होगी, इसलिए इतना नहीं भेजा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि मई के महीने में गल्ला कम होने के कारण ही प्रत्येक गल्ले की दूकान पर २५ मन से ३१ मन तक प्रतिदिन बेचने का आर्डर दिया गया था ?

श्री सैयद अलीजहीर---यह तो नहीं मालूम कि क्या बेचने का आदेश दिया गया था, मगर जहां तक मुझे मालूम है जितनी जरूरत थी, उतना गल्ला दुकानों पर पहुंच रहा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय न्याय मन्त्री इसकी जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि मई के महीने से ही आज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी गल्ले की दुकानों पर गल्ला २५ मन प्रति दिन बेचने का हुक्म है ?

श्री सैयद अलीजहीर---इस सिलसिले में कल मैं बहुत तफसील से जवाब दे चुका हूं। मैंने यह कहा है कि बीच में कुछ गल्ले की कमी हो गयी थी, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थे, लेकिन अब फिर जुलाई महीने से जब से गल्ला आ गया है यह हुक्म हो गया है कि जहां जरूरत हो, वहां ३० मन तक गल्ला दूकानों पर पहुंचाया जाय।

पंचायत राज विभाग के पंचायत मंत्रियों का वेतन रुक जाना

**२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज विभाग के सेक्रेटरियों (मन्त्रियों) का मासिक वेतन गत पांच छः मास से अदा नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वशासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—पंचायत राज विभाग के पंचायत मन्त्रियों का वेतन केवल गत तीन मास से रुक गया है, क्योंकि मंत्रियों के वेतन के लिए सहायक अनुदान की अभी स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी है । अब वेतन वितरण के लिये आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच मास के लिये पास किये गये बजट में इस सम्बन्ध का अनुदान क्यों नहीं सम्मिलित किया जा सका ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं और वह केवल ३ मास के वेतन का रुपया ही बाकी था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंचायत राज विभाग के किसी अन्य अधिकारीवर्ग का भी वेतन इस प्रकार से सहायक अनुदान की स्वीकृति न मिलने के कारण रुका हुआ था ?

श्री राम स्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

तारांकित प्रश्न

चेचक की बीमारी को रोकने के लिए उपाय

*१—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन से जिलों में चेचक की बीमारी जोरों से फैल रही है और उसको रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय अब तक किये गये ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)—प्रदेश में चेचक की बीमारी किसी भी जिले में जोरों से नहीं फैली हुई है । किन्तु इलाहाबाद, आगरा, झांसी, गढ़वाल, गोंडा, गाजीपुर, मथुरा, मैनपुरी तथा वाराणसी जिलों तथा इलाहाबाद, कानपुर, झांसी नगरों में बीमारी इन दिनों चल रही है । बीमारी को रोकने के लिये अधिक से अधिक शीतला निवारक टीके सभी रोग ग्रस्त क्षेत्रों में लगाये गये हैं । शहरी क्षेत्रों में जहां छूत के अस्पतालों की सुविधा है वहां बीमारों को उन अस्पतालों में पृथक रखने का प्रबन्ध किया गया है । इस निमित्त अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किया गया था ।

इलाहाबाद जिले में चेचक

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर तथा जिले में अब तक चेचक की बीमारी से कितने आदमियों की मृत्यु हो चुकी है, और यह बीमारी किन-किन मुहल्लों तथा गांवों में हुई है और उसके रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । इकट्ठा की जा रही है । इसका जवाब सूचना प्राप्त होने के बाद दिया जायेगा ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद में चेचक से जो मृत्युयें हुई हैं, उनकी सूचना कब तक आ जायगी ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--इलाहाबाद में चेचक से कोई मृत्यु नहीं हुई।

सहकारी गन्ना विकास संघ, पीलीभीत द्वारा किसानों के रुपये से नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स खरीदना

*३--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल सेक्रेटरी, सहकारी गन्ना विकास संघ पीलीभीत ने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की स्वीकृति के बिना माह मार्च, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में लगभग आठ लाख रुपया Small Savings Certificates या National Savings Certificates के सिलसिले में पीलीभीत पोस्ट आफिस में जमा कराया है ?

कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--जी हां। परन्तु जिलाधीश पीलीभीत, जो कि सहकारी गन्ना संघ, पीलीभीत के बोर्ड के चेयरमैन हैं, के विशेष आदेशानुसार ही स्पेशल सेक्रेटरी ने बोर्ड की बिना पूर्व स्वीकृति लिए ही आठ लाख रुपये Small Saving Campaign में जमा किये।

*४--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत सहकारी गन्ना विकास संघ के बीसलपुर तथा पूरनपुर जोन के outstations के कृषकों को उनके गन्ने का मूल्य सोसाइटी में रुपये की कमी के कारण १५ मार्च से ९ अप्रैल, १९५७ तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां प्राप्त सूचनानुसार यह ज्ञात हुआ कि पीलीभीत मिल से रुपया उपलब्ध मात्रा में न मिलने के कारण ही पीलीभीत यूनियन गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान दिनांक १५ मार्च, १९५७ से ९ अप्रैल, १९५७ तक न कर सकी।

श्री शिवराज बहादुर--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कब गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह आदेश केन कमिश्नर या जिलाधीश जो भी गन्ना समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने दिया था।

श्री शिवराज बहादुर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रुपया जमा करने का यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कब दिया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--यह जो आठ लाख रुपया रमाल सेविंग्स अथवा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में जमा हुआ, वह गन्ना सोसाइटी के रिजर्व फंड से जमा हुआ अथवा गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमतों में से जमा हुआ ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो धन अभी तक बीसलपुर और पूरनपुर आउट एजेन्सीज में है उसमें कितना गन्ने की कीमत का है और कितना सैस का है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--पूरनपुर और बीसलपुर की कितनी रकम है इसके आंकड़े तो इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पीलीभीत मिल को कुल रकम १६ लाख रुपया अदा करना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसानों की जो गन्ने की कीमत शेष है, उस पर वे सूद दिलाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--क्या ऐसा कानून है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--जिलाधीश ने जो बगैर लोगों की मर्जी के रुपया ले लिया उसके लिये क्या विशेष आवश्यकता थी और उस रुपये की मंजूरी उन लोगों से ले ली गयी थी जिनको कि देना चाहिये था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर चेयरमैन हैं और इन आंटिसिपेशन आफ बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स सेंक्शन से गालिबन ऐसा उन्होंने किया होगा। मैं डेफिनिट बात इस वक्त नहीं बतला सकता हूं। नोटिस मिलने पर पुरी इत्तला हासिल कर के कि क्या ऐक्चुअल बात है, आया आज तक उन्होंने स्वीकृति ले ली या नहीं ली, सब बता सकूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा धन देने का आर्डर करने का अधिकार बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को भी नहीं है, जब तक कि गन्ना उत्पादकों की एनुअल जनरल मीटिंग में इस तरह का प्रस्ताव पास न हो जाय जो कि इसके लिये जिम्मेदार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो नियम हैं उनकी तरफ मैं प्रश्नकर्ता महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली फैक्टरी में अभी तक जो गन्ना उत्पादकों के गन्ने की क़ीमत बाक़ी पड़ी है वह गन्ने की क़ीमत निर्धारित न करने की वजह से किसानों को नहीं दी जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इस सम्बन्ध में मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था और न मुझे कोई सूचना ही है।

आजमगढ़ के नेत्र चिकित्सालय में स्थानाभाव

*५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर के नेत्र-चिकित्सालय का नया भवन कितने रुपये में बना है तथा प्रदेशीय सरकार का कितना रुपया उस भवन के निर्माण में लगा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--३५ हजार की लागत बतलाई जाती है। सरकार का रुपया इसमें नहीं लगा है।

*६--**श्री राम सुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि अस्पताल में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवास स्थान की कमी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के लिये रहने की जगह अस्पताल में नहीं है तो क्या सरकार उनके लिये निवास स्थान बनाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--उस अस्पताल में अभी तक केवल एक विंग बना है और आशा यह की जाती है कि बकिया हिस्सा भी वहां के आजमगढ़ जिले के जो दानशील या दानवीर पुरुष हैं, उसको पूरा कराने में भर सक प्रयत्न करेंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रश्नकर्त्ता महोदय भी उसमें सहयोग दे कर वहां के लोगों में ऐसी प्रेरणा पैदा करें तो यह काम बहुत जल्द पूरा हो सकता है और जिन सेठ साहब ने उसके लिये ३५ हजार रुपया दिया है, उनका काम बड़ा ही सराहनीय रहा है, और उनसे भी मेरे माननीय मित्र सम्पर्क स्थापित करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उन दानवीर से सम्पर्क स्थापित किया है और क्या सरकार ने उस अस्पताल के बनवाने में अपनी दानशीलता दिखलाने की कोशिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम ३ हजार के लगभग ग्रांट देते हैं और उसके लिये १० हजार रुपये का सामान भी दिया है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी कोई समय निकाल कर वहां चलने की मेहरबानी करेंगे ताकि उस अस्पताल के लिये उस मौके पर हम वहां के लोगों को आमन्त्रित कर सकें और उसके लिए धन एकत्रित कर सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अवश्यमेव । एक मर्तबा मैं उधर गया भी था, लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी वहां नहीं मिल सके, नहीं तो मैं उनकी मदद से वहां और कुछ ज्यादा सहायता कर सकता ।

*७---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---[३० जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर जिले के रेहुआ ऊसर को उर्वरा भूमि बनाने की प्रार्थना

*८---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के रेहुआ ऊसर को उर्वरा मिट्टी में बदल कर अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को सहायता देने की उसने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जांच करायेंगे कि कानपुर जिले में रेहुआ ऊसर किस गति से बढ़ रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस सम्बन्ध में जांच हो चुकी है । विशेषज्ञों का मत है कि उस ऊसर भूमि को ठीक करने के लिये वहां सिंचाई के लिये काफी पानी की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ वहां पर तीन चार साल तक निरोधक फसल बोने की आवश्यकता है ताकि वे हानिप्रद नमक को सहन कर सकें । विशेषज्ञों का मत है कि बहुत बुरी ऊसर जमीन में २०४ टन प्रति एकड़ जिप्सम देना चाहिये ।

श्री मुरलीधर कुरील---इस प्रकार की सुविधा ज्यादा किसानों को किस प्रकार दिलाई जा सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे सूबे में बहुत से ऊसर कई किस्म के हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो रिक्लेम किये जा सकते हैं और कुछ नहीं किये जा सकते । अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि यह ऊसर जिसका वह हवाला देते हैं वह रिक्लेम करने काबिल है या नहीं ।

राज्य में बेकारी की समस्या

*९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने प्रदेश में शिक्षित और अशिक्षित बेकारों की गणना कराने का कोई प्रबन्ध किया है ? अगर, हां तो क्या और अब तक उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*१०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रदेश में बेकारी दूर करने की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुख्यकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना और साधारणतया सरकार के सभी कामों का यह फल होता है कि बेकारी की समस्या का समाधान होता जाता है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या बेकारी की समस्या के महत्व और उसकी व्यापकता को देखते हुये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक योजनाबद्ध उपाय निकालने के लिये उनकी गणना कराई जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--बेकारों की गणना का जो प्रश्न है यह हमारे संविधान की कनकरेंट सूची में है और चूंकि प्लानिंग कमीशन इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठा करने का काम कर रहा है, इसलिए हम भी उसी काम को करने में अपने प्रदेश का पैसा लगायें यह प्रदेश के हित में न होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह जो प्रबन्ध इस वक्त किया जा रहा है क्या उससे यह आशा की जाती है कि हमें अपने प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित बेकारों की गणना मालूम हो जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्लानिंग कमीशन जो भी काम कर रहा है वह सभी प्रदेशों के लिये कर रहा है और उसके द्वारा हमें पूरा भरोसा है कि हमें अपने प्रदेश की बेकारी की समस्या का साइज मालूम हो जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन ५६-५७ और ५७-५८ के बजट भाषणों में जो शिक्षित और अशिक्षित बेकारों के आंकड़े दिये गये हैं वे कहां से दिये गये जब अभी गणना नहीं कराई गई है ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)--एक स्टडी ग्रुप बनाया था, उसने अन्दाजन अपने आंकड़े तैयार किये थे, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वे बिलकुल सही हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--सरकार की ओर से प्रतीक स्वरूप कुछ गांवों अथवा कस्बों की बेकारी की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हमारे स्टडी ग्रुप ने इस तरह की थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन जो आंकड़े इस बजट में दिये गये हैं वह बहुत रिलायबिल हैं ऐसा हमारा कनटेंशन नहीं है, उसके अलावा अभी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि स्टडी ग्रुप ने जो यह अन्दाजन आंकड़े तैयार किये हैं वह क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इन आंकड़ों के मुताबिक गणना के समय हमारे प्रदेश में १ लाख ९८ हजार शिक्षित बेकार थे, स्टडी ग्रुप ने शिक्षित बेकारों की समस्या को ही पहले देखा था, और उसके आगे अशिक्षिति बेकारों की समस्या के सम्बन्ध में कोई विचार उस रूप में नहीं किया गया। यह १ लाख ९८ हजार की फीगर उन्होंने एक सैम्पिल सर्वे की बेसिस पर ली थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस प्रदेश में बेकारी दर करने के हेतु जो योजना पिछले वर्ष इस सदन में उद्घोषित की गयी थी कि ४२ करोड़

की योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं वे योजनाएं क्या हुईं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, ३१ योजनाएं इस प्रदेश से ४२ करोड़ रुपये की लागत की बेकारी की समस्या को दूर करने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी थीं। उसकी सूची लम्बी है। अगर श्रीमन्, हुक्म दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--उसकी खास-खास बातें जो उनको हैं उनको वह पूछते हैं। वह पूरी योजना नहीं चाहते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--केन्द्रीय सरकार ने इन ३१ योजनाओं में सिर्फ १७ योजनाएं मंजूर की हैं। उनमें हमारे प्रदेश में काम भी चल रहा है। उनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं। खादी, गुड़, खंडसारी उद्योग को मदद देने के लिए पैसा और धन देने की योजना। कुछ हमारे यहां इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन बना कर चालू करने का सवाल था वह भी चल रहा है। हमारे यहां कुछ नगरों को वाटर सप्लाई देने की समस्या थी जिससे कुछ इम्प्लायमेंट मिलेगा। वह भी हो रहा है। इसी तरह से नगरों के अन्दर ड्रेनेज का सवाल था। लो इनकम हाउसिंग की योजना। इसी प्रकार से स्कूलों में मास्टरों का, जो एग्रीकल्चर वगैरह से सम्बन्ध रखते हैं उनका सवाल था। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सीखने वालों की संख्या बढ़ा कर कुछ लोगों को एम्प्लायबिल बनाने की जो स्कीम थी उसमें भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है और हो रही है।

जो स्कीमें भारत सरकार के विचाराधीन हैं, जाहिर है उनके अधीन काम नहीं शुरू हुआ।

*११--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[३० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२-१३--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की आवश्यकता

*१४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार ने इलाहाबाद में मेडिकल कालेज बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कुछ धन अनुदान के रूप में रखने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उसमें केन्द्रीय सरकार ने कितना धन देने का वचन दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इलाहाबाद में मेडिकल कालेज बनाने के लिये कुछ लिखा पढ़ी कर रही है, यदि हां तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जवाब दे दिया कि 'नहीं'।

आजमगढ़ जिले के परशुरामपुर ग्राम में एलोपैथिक डिस्पेंसरी की इमारत बनने में विलम्ब

*१५--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की परशुरामपुर एलोपैथिक डिस्पेंसरी की इमारत के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जिला आजमगढ़ के परशुरामपुर ग्राम में एलोपैथिक चिकित्सालय की इमारत का निर्माणकार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। टेन्डर्स विचाराधीन हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में जो टेंडर विचाराधीन बतलाये गये हैं, वे कब से विचाराधीन हैं और उनका निर्णय कब तक होने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कब से विचाराधीन है यह बताना इस वक्त असम्भव है। लेकिन बहुत जल्द उस पर निर्णय ले कर काम शुरू करेंगे।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सालय के निर्माण में कितना व्यय करने के लिये सरकार ने निश्चय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग ३५ हजार।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस अस्पताल के लिये बजट में प्राविजन वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्नकर्ता महोदय उस साल का बजट देख कर मालूम कर सकते हैं।

नैनीताल जिले में खन्स्यूं के अस्पताल का बन्द हो जाना

*१६—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले में खन्स्यूं का अस्पताल बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। डाक्टर न मिलने के कारण।

*१७—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है और क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१६–१२–५४ से क्वालीफाइड डाक्टर नहीं है, क्योंकि क्वालीफाइड डाक्टर उपलब्ध नहीं थे।

नैनीताल जिले की कतिपय पट्टियों के सरकारी अस्पताल

*१८—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की पट्टी चौंगढ़, बिस्ज्यूला, चौमेसी व मल्ली रौ में कितने सरकारी अस्पताल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पट्टी चौंगढ़ में कोई भी चिकित्सालय अथवा औषधालय नहीं है।

पट्टी विस्ज्युला में खनस्यूं में जिला बोर्ड द्वारा एक एलोपैथिक चिकित्सालय संचालित है।

पट्टी चौमेसी—पट्टी चौमेसी में ग्राम नाई में बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सालय है और पहाड़पानी में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय है।

पट्टी मल्लीरौ में ग्राम जोस्यूंडा में एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्थित है।

झांसी जिले के ललितपुर सब डिवीजन में कांस उत्पाटन की आवश्यकता

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) के ग्रामों में कांस उत्पाटन के लिये ट्रैक्टर कब चले थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ललितपुर सब डिवीजन की महरोनी तहसील में कांस उत्पाटन का कार्य १९५३–५४ में ट्रेक्टर द्वारा हुआ था।

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त ग्रामों में से कितने ही ग्रामों में कांस फिर उग आया है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---४९ ग्रामों में से ४७ ग्रामों में कहीं-कहीं कांस फिर से ग आने की रिपोर्ट सरकार के पास आई है।

*२१---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार उक्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त ग्रामों की मांगी हुई सूची विवरण सहित प्रेषित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ---५११-५१२---पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन गांवों में कांस उग आया है उसको बिना चार्ज दिये हुये उखड़वाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि एक कमेटी मुकर्रर कर दूं उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी एक आदमी नामजद हो ताकि हम अजसरे नौ जांच कर लें और तब एक निर्णय लें।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मऊरानीपुर और गरोटा तहसील में भी कांस उग आया है जहां ट्रैक्टर चला था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त तो नहीं पता है, आगे पता होगा तो बताऊंगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों में कांस उग आया है उनका कर माफ़ कर दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सब चीजें जेरे गौर होंगी।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कांस उखाड़ने का काम कब हुआ था और उसके बाद उस जमीन में खेती होती है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कई साल हुये जब शुरू हुआ था उसके बाद किसान जरूर जोतते होंगे।

*२२-२३---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में बाड़ी के चिकित्सालय के डाक्टर के खिलाफ शिकायत

*२४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनवरी, १९५७ में सीतापुर के जिलाधीश अथवा सिविल सर्जन महोदय को किसी व्यक्ति का ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसने अपने पुत्र को बाड़ी चिकित्सालय द्वारा फर्स्ट एड न प्राप्त होने पर उसकी मृत्यु हो जाने के विषय में लिखा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*२५---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस विषय में जांच कराई गई है तथा जांच की रिपोर्ट विचाराधीन है। यदि डाक्टर के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुए तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी। फिलहाल इस डाक्टर का तबादला एक कम महत्वपूर्ण स्थान को कर दिया गया है।

*२६—श्री राम शरण यादव (जिला लखनऊ)—[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

हथगांव, जिला फतेहपुर की सरकारी डिस्पेंसरी में डाक्टर का न होना

*२७—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथगांव जिला, फतेहपुर की सरकारी डिस्पेंसरी में पिछले नौ महीने से अब तक कोई डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—हथगांव डिसपेंसरी के डाक्टर के तबादले के बाद वहां २ डाक्टरों को भेजा गया, पर दोनों ने ही वहां जाने से इन्कार कर दिया और फलस्वरूप इन दोनों की नियुक्ति के आदेश रद्द करने पड़े। एक दूसरे डाक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी हो गये हैं तथा आशा की जाती है कि वह वहां अब तक पहुंच गये होंगे।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस प्रकार उन दो डाक्टरों ने इनकार कर दिया था तीसरे डाक्टर के इनकार करने पर भी क्या प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो शर्तिया सवाल है, वह करेगा या नहीं करेगा, क्या मालूम।

श्री वासुदेव दीक्षित—अभी तक डाक्टर नहीं गया जैसी मुझे सूचना है। उसके न जाने पर क्या प्रबन्ध होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं जरूर भेजूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दो डाक्टर्स की नियुक्ति वहां हुई थी और जिन्होंने मना कर दिया था उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना मुनासिब समझते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जगह इतनी खराब है जहां जाने से लोग गुरेज करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई कार्यवाही करना ठीक नहीं मालूम होता।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी जगहें जो प्रान्त में खराब हैं वहां पर डाक्टर भेजने के लिये उनके वेतन में तरक्की करने की सोचते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सोचेंगे, हम भेजेंगे कोई। सब थोड़े ही ऐसे हैं जो इनकार करेंगे

श्री वासुदेव दीक्षित—जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा वह जगह खराब है तो मैं सूचनार्थ बताता हूं कि वहां पर फर्स्ट क्लास थाना है, पोस्ट आफिस है, हायर सेकेन्डरी स्कूल, कम्पलसरी ऐजूकेशन का केन्द्र और पक्की सड़क से ४ मील दूर है।

श्री अध्यक्ष—(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर) आपको सूचना दी है उन्होंने, जवाब न दीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—उस जगह में क्या खराबी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जाने वाले के खयाल से खराब है।

श्री सुरथबहादुरशाह—आपके खयाल से क्या खराबी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अभी उसे देखा नहीं।

*२८-२९—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—[२५ जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या ७२-७३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

गाजीपुर जिले के बहादुरगंज कस्बे में एलोपैथिक अस्पताल की आवश्यकता

*३०--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के बहादुरगंज कस्बे में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

*३१--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कस्बे के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र भी सरकार के सामने इस सम्बन्ध में आया है ? यदि हां, तो कब ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां । फरवरी, १९५४ में एक प्रार्थना-पत्र आया था ।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर बहादुरगंज कस्बे के ५ मील के अन्दर कोई राजकीय औषधालय नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कासमाबाद का अस्पताल तो है वहां पर ६ मील के फासले पर ।

श्री यमुनासिंह--५ मील के अन्दर कोई राजकीय अस्पताल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री यमुनासिंह--सरकार का यह जबाव है कि सन् ५४ में एक प्रार्थना-पत्र आया था । तो क्या सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--विचार हो रहा है । अब एक योजना है तमाम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० एरियाज में प्राइमरी हेल्थ यूनिट खोलने की । उसी के सिलसिले में इन सब जगहों के बारे में विचार किया जायगा ।

गाजीपुर जिले के भीमापार राजकीय औषधालय में स्थानाभाव

*३२--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार गाजीपुर जिले में भीमापार में राजकीय औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--भीमापार में ६, नवम्बर १९५६ से राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्य कर रहा है ।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि जिस मकान में औषधालय है वह बिलकुल नाकाफी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः हो सकता है । देहात में मकान दिक्कत से मिलते हैं ।

श्री यमुनासिंह--तो क्या सरकार भीमापार में राजकीय औषधालय बनवाने के प्रश्न पर विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सारे सूबे में देहाती रकबे में अस्पतालों की इमारतों के बनाने का सवाल सरकार के सामने दरपेश है । उसी के सिलसिले में इस भीमापार की इमारत पर भी विचार किया जायगा ।

*३३--श्री झारखंडे राय --[२२ जुलाई, ५७ को प्रश्न संख्या ९७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के टी० बी० वार्ड में शय्याओं की कमी

*३४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल आगरा में क्षय रोग से पीड़ित उन-रोगियों की संख्या आवेदक सची पर कितनी रहती है जो उक्त अस्पताल में प्रवेश पाना चाहते हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--लगभग ४० ।

*३५--श्री देवकी नन्दन विभव--उक्त अस्पताल में क्षय पीड़ितों के लिये कितनी शय्यायें हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--२० ।

*३६--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या आगरा तथा आस पास के जिलों में क्षय पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये वहां कम से कम २०० रोगियों के लिये एक अस्पताल खुलवाने पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--आगरा शहर में तो नहीं परन्तु फीरोजाबाद में टी० बी० अस्पताल में शैय्याओं की संक्या २६ से बढ़ा कर १०२ की जा रही है। इसके अतिरिक्त हाथरस में भी २५ शय्याओं का एक टी० बी० अस्पताल बनाया जा रहा है और आगरा में स्थापित होने वाले टी० बी० के ट्रेनिंग सेन्टर में भी १६ शैय्यायें रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस आगरे के अस्पताल में कभी-कभी क्षय पीड़ित रोगियों को एडमीशन प्राप्त करने में कई महीने लग जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा संभव है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--तो क्या सरकार आगरे के अस्पताल में कुछ शय्यायें बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१६ के लिए किया है और फीरोजाबाद १३ मील की दूरी पर है वहां १०२ कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के सरोजिनी नायडू अस्पताल में जो शय्यायें बढ़ाई गई हैं वहां कब तक मरीजों को दाखिल होने की सुविधा प्राप्त हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी हाल में मैं देख आया हूं । करीब-करीब बन चुका है । थोड़ी सी कसर बाकी है । एक दो महीने में मुकम्मल हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बढ़ी हुई शय्याओं में से कितनी शय्याओं पर आम जनता को प्रवेश पाने का अधिकार रहेगा, क्योंकि वहां के विद्यार्थियों के लिए सीटें सुरक्षित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--विद्यार्थियों की सीटें छोड़ कर बकिया जनता के लिए हैं ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नायडू हास्पिटल में लोगों को ६-६ महीने और १-१ साल ऐडमीशन मिलने में लग जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता ।

राज्य की ट्रेड यूनियन्स के कर्मचारियों के श्रम प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

*३७--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, आल इन्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेस से सम्बन्धित कुछ मजदूरों को प्रदेशीय सरकार की ओर से श्रम प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं ।

*३८--श्री रामस्वरूप वर्मा--यदि हां, तो कितने मजदूर प्रशिक्षित किये जा रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूपवर्मा--क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर में चल रहा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, उत्तर प्रदेशीय सरकार की तरफ से इस बात पर विचार किया गया है कि इस प्रदेश में ८०० के करीब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स हैं और प्रति वर्ष १०० के करीब ट्रेड यूनियन्स और बढ़ रही हैं। ट्रेड यूनियन्स के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था करने की बात सोची जा रही है और ५७ से ६०, ६१ तक के लिये ३५ हजार रुपये प्रशिक्षण के लिये रक्खे गये हैं और ३० हजार विभिन्न स्थानों पर कार्यों को देखने के लिये और इसी सम्बन्ध में कानपुर में सबसे पहले ३३ ट्रेड यूनियन्स कार्य कर्त्ताओं को जो प्रदेश के विभिन्न ट्रेड यूनियन्स में काम करते थे उनका एक कैम्प लिया गया। ३१ मार्च से २० अप्रैल तक कैम्प चला और उस कैम्प में इस देश के और दूसरे देशों की ट्रेड यूनियन्स के कर्मचारियों, I.L.O., American Embassy, U. K. Embassy, U. S. A. Embassy आदि के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार सचिव तथा बड़े-बड़े विचारवान लोग हैं, जिनका सम्बन्ध आई० एन० टी० यु० सी०, ए० आई० टी० यु० सी० और एच० एम० एस० आदि से है। उन सब लोगों को बुला कर इन कार्यकर्त्ताओं से बातचीत कराई गई थी और उनके अनुभवों से जानकारी कराई गई और साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी इन कार्यकर्त्ताओं को जानकारी कराई गई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विभिन्न ट्रेड यूनियन्स के कर्मचारियों को किसी अनुपात से इन प्रशिक्षण केन्द्रों में लेने की बात है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अनुपात का कोई प्रश्न नहीं था। जो अच्छे कार्य-कर्त्ता मिले, वे ले लिये गये और उसमें ए० आई० एन० टी० यु० सी०, ए० आई० टी० यु० सी० और एच० एम० एस० तथा unaffiliated (स्वतंत्र) मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि भी थे।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--इस कैम्प में जो कार्यकर्त्ता शामिल हुए उनके नाम क्या सरकार की ओर से घोषित किये गये?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--नामों का जहां तक सम्बन्ध है ४३ ट्रेड यूनियन्स को सरकार की तरफ से पत्र गये थे कि ऐसा प्रशिक्षण हम करने वाले हैं। इन ४३ यूनियनों में से कुछ यूनियनों ने अपने नाम भेजे और कुछ ने नहीं भेजे। जिन्होंने नाम भेजे लेबर कमिश्नर के पास हमारे प्रादेशिक कंसालियेशन आफिसर ने भी उन नामों पर सिफारिश भेजी और जो कार्यकर्त्ता अच्छे थे और जिनकी काफी योग्यता थी, चाहे वे किसी दल से सम्बन्ध रखते थे, उन्हें छांट लिया गया।

श्री भगवती सिंह विशारद--उन संस्थाओं में जिनके कार्यकर्त्ता इसमें सम्मिलित किये गये थे आई० एन० टी० यू० सी० से कितने सम्बन्धित थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१२ ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--५ हजार ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस ट्रेनिंग में खर्चा किस मद से हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१९५६-५७ के बजट में इस आदरणीय सदन ने इस सरकार को यह खर्चा करने की आज्ञा दी थी। उसी मद से वह खर्च किया गया ।

राज्य के पश्चिमी जिलों में बढ़ते रेगिस्तान को रोकने की योजना

*३९--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन पश्चिमी जिलों में रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, और उनके रोकने का सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा इत्यादि जिलों की ओर रेगिस्तान बढ़ रहा है और इसके रोकने के लिये सरकार ने उत्तर प्रदेश-राजस्थान की सीमा पर वनरोपण की एक योजना चालू की है ।

*४०--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बतायेगी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेगिस्तान के बढ़ाव को रोकने के लिये कितना धन व्यय होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--साठ लाख रुपये ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ६० लाख रुपये की धनराशि किन-किन विशेष योजनाओं पर व्यय होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पेड़ लगाने पर ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पेड़ लगाये जाते हैं रेगिस्तान को रोकने के लिये, वे सुरक्षित रहते हैं या सूख जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहते हैं ?

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि राजस्थान की ओर से रेगिस्तान का बढ़ाव हो रहा है, हमारी प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से या वहां की सरकार से बातचीत की है कि वह भी उसके लिये उपाय करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह भी पेड़ लगा रहे हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष आगरा में रेगिस्तान कितना आगे बढ़ा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इसकी पैमायश मेरे पास मौजूद नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--यह योजना कितने दिनों से चल रही है और कितने दरख्त लगाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५३ से यह योजना चल रही है और लाखों पेड़ लगाये गये। गोवर्द्धन जाकर देखिये बिल्कुल हरा-भरा हो गया है और बहुत से मुकाम आगरे में हरे-भरे हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बुलन्द-शहर में रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसकी तहसील सिकन्दराबाद में पेड़ क्यों लगाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर बढ़ आया तब ।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में इतने पेड़ हैं कि इस जिले में और पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो श्री रामचन्द्र विकल से पूछें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां रेगिस्तान बढ़ रहा है वहां किस साधन से सिंचाई की व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

आलू का बीज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज

*४१--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार ने आलू का बीज रखने वाले कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण रखने की व्यवस्था की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

*४२--श्री हरदयाल सिंह--यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्रश्न नहीं उठता।

*४३--श्री नारायण दत्त तिवारी --[२५ जुलाई, १९५७ को प्रश्न १०० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सबार्डिनेट ऐग्रीकल्चरल सर्विस ग्रुप ३ के कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार

*४४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि सबार्डिनेट एग्रीकल्चरल सर्विस ग्रुप ३ के कर्मचारियों को मुस्तकिल (Confirm) करने पर वह विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जल्द अज जल्द।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस निर्णय से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अंदाज से कहिये फीगर बतला दूं, ठीक तो नहीं बता सकता। २००/२५० के करीब होंगे।

कानपुर में एक काटन मिल की तालाबंदी का नोटिस

*४५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को सूचना है कि कानपुर की एक काटन मिल के १२ मई, १९५७ से बन्द होने का नोटिस सरकार को दिया गया है, जिसके कारण ५,००० मजदूर बेकार हो जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां । परन्तु अब मिल बंद करने की तिथि १२-५-१९५७ के बजाय २८-७-१९५७ घोषित की गई है। उक्त मिल में इस समय कुल ३,८०० मजदूर काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने उक्त मिल चालू रखने के लिये सेवायोजकों तथा श्रमिकों से बातचीत की है और केन्द्रीय सरकार से भी पत्र-व्यवहार किया है और कर रही है ।

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं इस सदन को और मुख्यत: प्रश्नकर्ता को भी एक अच्छा संवाद दे देना चाहता हूं। अभी-अभी हमारे पास एक पत्र आया है बी० आई० सी० की तरफ से, उन्होंने अपनी मिल के बन्द होने की जो बात थी उसको कतई खत्म कर दिया है । तो इसमें हमारे प्रदेश की सरकार ने अब तक जो कुछ किया है और श्रमिक नेताओं की तरफ से जो सहयोग मिला है उससे यह कामयाबी जरूर आज हो गई है, लेकिन हमें आशा है कि इस मिल के चालू रखने में श्रमिकों और श्रमिक नेताओं की तरफ से जो सहयोग प्राप्त हुआ है वह आगे भी प्राप्त होता रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस बी० आई० सी० के पत्र को पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यदि छोटा हो तो पढ़ दीजिये ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

"The British India Corporation, Ltd., Kanpur Cotton Mills Branch, had given notice on June 13, 1957 that in view of continued losses incurred by this Cotton Textiles Business, the businness will be closed with effect from 28th July, 1957."

"The Corporation had hoped that a satisfactory solution would be reached of the difficulties of finance, rehabilitation and surplus labour. Consultations have been proceeding with Government of India, the State Government and representatives of labour to that end and though such negotiations have not yet reached finality, the Corporation hereby withdraw their closure notice of the 13th June, 1957. They have pleasure in announcing that the Kanpur Cotton Mills Branch will not now be closed from the 28th July, 1957, as previously notified. The Corporation have taken this step in the hope that they will continue to get the fullest co-operation of the authorities and the labour in solving the many difficulties confronting this textile unit."

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय उस तारीख को बताने की कृपा करेंगे जो इस पत्र में पड़ी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--यह २२ जुलाई का खत है, लेकिन हमको आज ही मिला है ।

रामनगर, जिला वाराणसी में चेचक की रोक-थाम के काम

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर जिला वाराणसी में सन् १९५७ में चेचक के प्रकोप से कितने व्यक्ति मरे तथा जिलाधिकारियों की ओर से कौन-कौन-सी सहायताएं की गई हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जिला वाराणसी की नगरपालिका रामनगर में चेचक की बीमारी से सन् १९५७ में अब तक कोई मृत्यु नहीं हुई। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेचक के बचाव के लिये टीके लगाने की सुविधाएं प्रदान कीं। नगर में ५५४ टीके इस वर्ष लगाये गये।

जौनपुर जिले में सुजानगंज अस्पताल का भवन निर्माण

*४७—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के सुजानगंज अस्पताल में भवन निर्माण की स्वीकृति की कोई सूचना सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजी गई है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—जी हां।

*४८—श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पताल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जून, १९५६ में सुजानगंज चिकित्सालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। बाद को लोहा, सीमेंट आदि के अभाव के कारण कुछ स्वीकृत निर्माण कार्य रोक दिये गये। सुजानगंज का चिकित्सालय भी उनमें से एक था। इसलिये यह कार्य अभी रुका है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुजानगंज अस्पताल के भवन निर्माण का कोई अनुमानित व्यय-व्योरा तैयार करवाया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब हम इस वक्त देख रहे हैं। उस वक्त तो बनवाना स्थगित हो गया था लिहाजा वक्त बेकार खराब करना था। अब हम कर रहे हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद—इस अस्पताल के भवन के निर्माण हो जाने की कब तक आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बजट पास कीजिये। फिर हम सोचें और तय करें।

*४९-५०—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—३१ जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।

मथुरा जिले की छाता तहसील के हताना गांव में चिकित्सालय खोलने की मांग

*५१—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ५ मील की दूरी पर चिकित्सा सुविधा देने की योजनानुसार मथुरा जिले की तहसील छाता में हताना गांव जो कोसी से ७ मील की दूरी पर है यह सुविधा प्रदान करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह सम्भव नहीं है, क्योंकि तहसील छाता के हताना ग्राम के निकट चार-चार मील की दूरी पर दो चिकित्सालय एक आयुर्वेदिक तथा दूसरा एलोपैथिक स्थित हैं।

श्री रामहेतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब की सरहद होने के कारण वहां पर कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है ? इन बातों का खयाल रखते हुये सरकार इस सम्बन्ध में सुविधा देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो इस वक्त दिक्कत मालूम हो रही है।

श्री रामहेतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह दिक्कत क्या है और उस दिक्कत का हल कब तक निकल आयेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव उसका कारण है।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत सलौना ताल में मत्स्योन्नति के लिए रिपोर्ट

*५२---श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ग्राम में जो सलौना ताल है उसमें मत्स्योन्नति करने से सम्बन्धित रिपोर्ट तत्कालीन डाइरेक्टर मत्स्योन्नति विभाग श्री बिसुन्दर राज ने की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। सरकार ने रिपोर्ट पर उचित विचार विनिमय के पश्चात् आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये सलोना ताल से संबंधित विकास योजना को स्थगित कर दिया।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या यह सही है कि उक्त डाइरेक्टर महोदय ने अपनी उस रिपोर्ट में सरकार को यह लिखा था कि इस योजना को कार्यान्वित करने से ६ लाख रुपया वार्षिक की रेवेन्यू में वृद्धि होगी। अगर यह सच है तो क्यों ऐसी योजना को कार्यान्वित करने में सरकार धनाभाव का अनुमान कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उन्होंने बताया था कि ४,८५१ रुपये सालाना का घाटा होगा।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जायगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी तो जरूरत नहीं मालूम होती है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या उस रिपोर्ट को सरकार मुझे दिखा सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दफ्तर में आप आयें तो मैं दिखा दूंगा।

कम्पोस्ट योजना पर आय-व्यय

*५३---श्री इन्द्रभूषण गुप्त---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया पिछले तीन वर्षों में नगरों में कम्पोस्ट बनाने की योजना पर सरकार का व्यय हुआ है और उससे कितनी आय हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---पिछले तीन वर्षों में नगर कम्पोस्ट योजना पर व्यय तथा आय का ब्योरा निम्नलिखित है:-

सन्			व्यय रु०	आय रु०
१९५४-५५	..		१,१३,३२१	१५,२८१
१९५५-५६	..	..	१,२८,२१९	१४,८६६
१९५६-५७	..	..	१,२८,६१७	१२,३८७

(और ८,०४९ बकाया है।)

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या सरकार देहात में इस खाद को पहुंचाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार की तरफ से ८ आना से लेकर १ रुपये टन तक सब्सिडी दी जाती है इसी खयाल से कि वे लोग आसानी के साथ ले जायं ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त नगरों में सरकार के द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाने का काम जारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से बनता है और वे २७३ सेन्टर हैं जहां पर यह काम होता है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—यह जो सब्सिडी दी जाती है वह खाद के लिये दी जाती है लेकिन मैं यातायात के लिये सब्सिडी देने की व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब्सिडी अलग-अलग आइटम पर नहीं दी जाती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस खाद को देहातों पर पहुंचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हमने प्रोपेगेन्डा किया है । प्रश्नकर्त्ता तथा दूसरे अन्य साथियों से मैं चाहता हूं कि वे इसका प्रोपेगेन्डा करें ताकि लोग इस खाद को आकर ले जाया करें ।

*५४—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—[३० जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

शाप्स ऐन्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट का लागू करना

*५६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस वर्ष कितने और किन-किन नगरों में शाप्स ऐण्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट (Shops and Commercial Establishment Act) लागू करने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—इस वर्ष ३१ शहरों में यू० पी० शाप्स ऐन्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट, १९४७ के उपबन्ध लागू करने का विचार है ।

इन शहरों के नाम निम्नलिखित हैं:—

१—बांदा

२—हरदोई

३—पीलीभीत

४—बाराबंकी

५—जौनपुर

६—शाहजहांपुर

७—बुलन्दशहर

८—इटावा

९—हमीरपुर

१०—औरई

११--सुल्तानपुर

१२--रायबरेली

१३--बस्ती

१४--बहराइच

१५--आजमगढ़

१६--पडरौना

१७--मैनपुरी

१८--बलरामपुर

१९--मऊ नाथ भंजन (आजमगढ़)

२०--फतेहपुर

२१--वृन्दावन

२२--तिलहर (शाहजहांपुर)

२३--नगीना

२४--जालौन

२५--देवबन्द

२६--शाहाबाद

२७--पंडितवारी (देहरादून)

२८--रसड़ा (बलिया)

२९--हल्द्वानी

३०--नजीबाबाद

३१--अमेठी

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ३१ शहरों में यह ऐक्ट किस तारीख को लागू होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--इस ऐक्ट के संबंध में उज्रदारी करने के लिये १५ जून तक की तारीख रखी गयी थी। अब वह तिथि खत्म हो गयी है, शीघ्रातिशीघ्र उसको लागू कर दिया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या मुजफ्फरनगर शहर में भी इस ऐक्ट को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सरकार का इस ऐक्ट को हर जगह लागू करने का विचार है और मुजफ्फरनगर में भी है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है और शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लेगी कि कहां-कहां लागू होगा ।

श्री गैंदा सिंह--सरकार को सभी शहरों में इस ऐक्ट को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--यदि यह सदन हमको इतना रुपया दे दे कि हम इंस्पेक्टर्स रख सकें और पब्लिक सर्विस कमीशन हमको आदमी दे दे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

पुनर्वासन विभाग के छटनी हुए कर्मचारियों को नौकरी मिलने में सुविधायें

*५७--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहैबिलिटेशन विभाग में सन् १९५५-५७ के बीच छटनी हुये कर्मचारियों को पुनः सरकारी नौकरी मिलने में क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५६ के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के छंटनी हुए कर्मचारियों को पुनः सरकारी नौकरी मिलने में निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हैं---

१---प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि भविष्य में जो नियुक्तियां नानगजटेड पदों में की जायं उनमें अन्य विभागों के छंटनी हुए कर्मचारियों के साथ-साथ स० पु० विभाग के छंटनी हुए कर्म- चारियों को भी नियुक्त किया जाय।

२---प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को जिसका कार्य तथा आचरण अच्छा होता है, छंटनी के समय एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है जिसे "क्लीन चिट" कहते हैं। विभागाध्यक्षों इत्यादि से कह दिया गया है कि जो लोग अपने प्रार्थना-पत्र के साथ क्लीन चिट की प्रतिलिपि पेश करें उन्हें ही विशेष सुविधा दी जाय।

३---जिन कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों में नियुक्ति का अभिस्ताव किया जाता है उनको उस विशेष पद के लिये निर्धारित उच्चतम आयु की सीमा से मुक्त कर दिया जाता है और जितने समय तक की उनकी नौकरी सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की होती है उतने समय की छूट दे दी जाती है।

४---छंटनी हुए कर्मचारियों को तथा ऐसे कर्मचारी को भी जिसको छंटनी होने की संभावना होती है, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्री कराने में सुविधा दी जाती है।

५---एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों से भी कह दिया गया है कि "क्लीन चिट" प्राप्त व्यक्तियों को ही दूसरे विभागों में नियुक्ति के लिये भेजे।

६---छंटनी हुए कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति के समय टाइप टेस्ट से विशेष परिस्थितियों में मुक्त किया जा सकता है।

७---स० पु० विभाग के छंटनी हुए कर्मचारियों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रायटी ३ की श्रेणी में रजिस्टर किया जाता है और उन्हें प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिये पुनः नियुक्त किया जाता है।

इटावा तहसील के पारपट्टी क्षेत्र में जनाना अस्पताल खोलने की योजना

*५८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार इटावा तहसील के पारपट्टी क्षेत्र में कोई जनाना अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, इस पर अन्य स्थानों के साथ सितम्बर या अक्तूबर, में विचार होगा।

*५९---श्री भुवनेश भूषण शर्मा---[२० अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६०-६२---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---[२० अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५४- ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

खांई तहसील, उत्तर काशी में जनाना अस्पताल का न होना

*६३--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि खांई उत्तरकाशी तहसील में एक भी जनाना अस्पताल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

महिलाओं के लिए दस्तकारी सीखने के केन्द्र

*६४--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कोई ऐस ट्रेनिंग केन्द्र खोलने का विचार कर रही है जहां महिलाएं दिन में १२ से ४ बजे के बीच कोई दस्तकारी सीख सकें ?

समाज कल्याण मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--समाज कल्याण विभाग की महिला मंगल योजना के अन्तर्गत २८७ केन्द्र देहातों में ३२ जिलों में खुले हैं जहां औरतों को दस्तकारी वगैरह दो से पांच बजे तक दिन में सिखाई जाती है। सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत दो प्रोडक्शन सेन्टर लखनऊ व इलाहाबाद में खुले हैं जहां औरतों को सिलाई व दस्तकारी १२ से ४ बजे तक दिन में सिखाई जाती है। श्रम विभाग की श्रम हितकारी योजना के अन्तर्गत ३३ केन्द्रों में श्रमिक महिलाओं व उनकी लड़कियों को सिलाई व दस्तकारी १० से ४ बजे तक दिन में सिखाई जाती है। इनके अतिरिक्त नेशनल एम्प्लायमेंट सर्विस योजना के अन्तर्गत बापू वोकेशनल इन्स्टीट्यूट, देहरादून व इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, अल्मोड़ा, लखनऊ व देहरादून में भी लड़कियों को दिन में दस्तकारी सिखाई जाती है।

*६५--श्री गोविन्द सिंह (जिला अल्मोड़ा)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६६--श्री रामदास आर्य--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

*६७--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार निकट भविष्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की वास्तविक आर्थिक दशा का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये किसी जांच समिति का निर्माण कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगल किशोर--जी नहीं ।

*६८-६९--श्री जवाहर लाल--[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७२-७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७०-७२--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७३-७४--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--[२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

ऐग्रीकल्चरल ऐडवाइजर की नियुक्ति

*७५--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के अतिरिक्त एग्रीकल्चर ऐडवाइजर की भी एक नई जगह हाल में ही बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां, परन्तु यह नई जगह नहीं है । अतिरिक्त कृषि संचालक के पद को रिक्त रख कर ऐग्रीकल्चर ऐडवाइजर की जगह हाल में बनाई गई है । इस पद के सृजन का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व कृषि संचालक के प्राविधिक ज्ञान तथा परिपक्व अनुभव द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के कृषि विकास कार्य-क्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना है।

लखीमपुर और गोला गोकरननाथ के बीच रजागंज का चिकित्सालय

*७६---श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर से गोला गोकरननाथ के बीच कोई चिकित्सालय है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रजागंज में है।

*७७---श्री शिवप्रसाद नागर---यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में कोई चिकित्सालय खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रश्न नहीं उठता।

*७८-७९---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में खुलने वाले महिला चिकित्सालय

*८०---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की किस-किस तहसील में सरकारी महिला अस्पताल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---(१) वाराणसी, (२) रामनगर, (३) ज्ञानपुर, (४) भदोई।

*८१---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---क्या सरकार यह बतायेगी कि वह सन् १९५७-५८ में उपर्युक्त जिले की किस तहसील में नया अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वाराणसी के निम्नलिखित स्थानों में इस वर्ष अन्य स्थानों के साथ महिला चिकित्सालय खोलने पर विचार होगा---

(१) तहसील चन्दोली
(२) तहसील चकिया, तथा
(३) मोगलसराय ।

*८२---श्रीमती सज्जन देवी महनोत---[२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रतापगढ़ में स्टाकमैनों का चुनाव

*८३---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में स्टाकमैन का जो चुनाव अप्रैल, १९५७ में हुआ था उसके लिये कितनी अर्जियां आयी थीं, उनमें से कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से ५ प्रार्थना-पत्र हरिजनों के थे ।

*८४---श्री रामकिंकर---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने उम्मीदवार लिये गये तथा उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---प्रतापगढ़ से जो उम्मीदवार चुने गये उनमें कोई हरिजन नहीं था।

*८५-८७--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*८८-८९--श्री यमुनासिंह--[३० अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती जिले के मगहर जच्चा-बच्चा केन्द्र में मिडवाइफ न होना

*९०--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मगहर (बस्ती) में जो जच्चा-बच्चा केन्द्र खोला गया है उसमें काम करने वाली मिडवाइफ अब तक क्यों नहीं गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रशिक्षित मिडवाइफों की कमी के कारण।

*९१--श्री राजाराम शर्मा [२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नारी मंगल योजना तथा महिला सम्बन्धित योजना को मिलाने के संबंध में जानकारी

*९२--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि प्रदेश की सरकारी नारी मंगल योजना तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रचालित महिला सम्बन्धित योजना को एक में मिला कर चलाई जावें ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

*९३--श्रीमती चन्द्रावती--यदि हां, तो इस योजना पर कब से कार्य आरम्भ होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न नहीं उठता।

*९४--श्री महीलाल--[३० जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में अधिक अन्न उपजाओ सम्बन्धी कार्य

*९५--श्री राम गोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर में सरकार खेतों में अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिये किस योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मौदहा तहसील जिला हमीरपुर में अधिक अन्न उपजाने के हेतु कोई विशेष योजना नहीं है। इस वर्ष निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है :--

(१) कृषि तथा सहकारी विभाग के बीज भण्डारों से १३,००० मन रबी और २५० मन खरीफ़ का बीज वितरण करना,

(२) हरी खाद के बीज के ६,००० पैकेट खरीफ़ की फसल में वितरित करना,

(३) ६७ टन रासायनिक खाद और ३१० मन खली की खाद वितरण करना,

(४) लगभग १,४०० कृषि विषयक प्रदर्शन किये जाना,

(५) १,००० रु० की खाद सम्बन्धी तकावी और विकास क्षेत्र से १०,००० रु० की तकावी देना,

(६) फसल प्रतियोगिता में क्षेत्रीय स्तर पर १ प्रतियोगी, जिलास्तर पर ४, तहसीलस्तर पर ११० और गांव सभा स्तर पर ५०० प्रतियोगी बनाना,

(७) अर्जुन और कबरई बांध से लगभग २६,००० एकड़ भूमि का और सिंचित किया जाना, ३ या ४ पक्के कुएं बनवाने के लिये तथा १ या २ पम्पिंग सेट देने के लिये तकावी का आयोजन,

(८) लगभग २० उन्नतिशील कृषि यंत्र बांटने का आयोजन,

(९) लगभग ३,००० एकड़ व्यक्तिगत बन्धी, तकावी ऋण दे कर बनवाने का आयोजन, पुरानी बन्धियों की मरम्मत के लिये भी २,००० रु० के तकावी ऋण देने का प्रबन्ध करना,

(१०) ग्रामीण (पांस) खाद को अधिक उपयोगी बनाने के लिये, प्रति परिवार एक गड्ढा बनाने का लक्ष्य बनाना।

खीरी जिले के बरबर अस्पताल में डाक्टर का न होना

*९६--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के बरबर अस्पताल में मार्च से अब तक कोई भी डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बरबर अस्पताल के डाक्टर को मोहम्मदी अस्पताल में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया था, क्योंकि वहां डाक्टर की अधिक आवश्यकता थी। डाक्टरों की कमी के कारण यह व्यवस्था करनी पड़ी। अब मोहम्मदी में एक दूसरा डाक्टर भेज दिया गया है और बरबर का जो डाक्टर मोहम्मदी में काम कर रहा था, उसको बरबर जाने की आज्ञा दे दी गई है। आशा है कि वह १३ तारीख तक वहां पहुंच गया होगा।

मिडवाइफ ट्रेनिंग सेण्टर, सहारनपुर से तीन शिक्षार्थियों का पृथक् होना

*९७--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सही है कि सहारनपुर के मिडवाइफ ट्रेनिंग सेण्टर से कुछ शिक्षार्थियों को पृथक् कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--स्थानीय कमेटी ने जो उम्मीदवार चुन कर सहायक संचालक मैटरनिटी व शिशुपालन को लखनऊ अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजे थे उनमें से तीन उम्मीदवार आठवां दर्जा पास न थी। यह अन्तिम स्वीकृति के पूर्व से ट्रेनिंग क्लास में स्थानीय कमेटी द्वारा प्रविष्ट कर ली गई थीं, परन्तु जब सहायक संचालक ने उनके चुनाव पर स्वीकृति न दी तो वे हटा दी गईं।

मिडवाइफ ट्रेनिंग सेण्टर, सहारनपुर में प्रवेश का तरीका

*९८--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार सहारनपुर के मिडवाइफ ट्रेनिंग सेण्टर में प्रवेश पाने के लिये शिक्षार्थियों का इन्टरव्यू लेने का प्रबन्ध सहारनपुर में करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मिडवाइफों के शिक्षा केन्द्रों में उम्मीदवार भर्ती करने के लिये पहले एक स्थानीय कमेटी बैठती है जिसमें सिविल सर्जन, जिला नियोजन अधिकारी, व जिला स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। यह कमेटी उम्मीदवारों की इन्टरव्यू करके अपनी सिफारिशें सहायक संचालक मैटरनिटी व शिशु कल्याण को भेजती है। सहायक संचालक उन सिफारिशों की जांच करते हैं और तब उम्मीदवारों के चुनाव का अन्तिम निर्णय होता है। यही तरीका सहारनपुर केन्द्र के लिये भी है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शेरवा, जिला मिर्जापुर में आपरेशन रूम निर्माण तथा रोगी शय्याओं के बढ़ाने की योजना

*९९--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि १४ अप्रैल, १९५६ को भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मिर्जापुर जिला के शेरवा आयुर्वेदिक चिकित्सालय उद्घाटन समारोह में जो धन जनता द्वारा प्राप्त हुआ था उसका क्या उपयोग हुआ ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--भूतपूर्व मंत्री जी को ५१ रु० श्री भगवती सिंह द्वारा प्राप्त हुये थे। इस रुपये से औषधालय के लिये साज-सज्जा का सामान खरीदा गया है।

*१००--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार अपने ३१ अक्तूबर, १९५६ के १० वें बुधवार के प्रश्न संख्या ३९, ४० के उत्तर के अनुसार बतायेगी कि तखमीना क्या बना और क्या प्रबन्ध हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तखमीना अभी नहीं बन पाया है, परन्तु वर्तमान भवन में ही एक कमरे में आपरेशन का काम शुरू कर देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में बेरोजगारों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नौकरी मिलना

१--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश के बेकारी के दफ्तरों में कितने आदमियों ने सन् १९५५ से फरवरी, १९५७ तक अपने नाम रजिस्टर कराये ? उनमें से कितने आदमियों को नौकरियां मिल गईं।

आचार्य जुगलकिशोर--जनवरी, १९५५ से फरवरी, १९५७ तक प्रदेश के विभिन्न एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में ७,०४,९२८ व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर कराये, और इनमें से ६७,५५७ व्यक्तियों को इस अवधि में नौकरियां मिल गईं।

२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद जिले में बेरोजगारी के दफ्तर में कितने आदमियों का नाम रजिस्टर है और उनमें से १९५५-५६ में कितने आदमियों को नौकरी दी गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--

(क) इलाहाबाद एम्पलायमेंट एक्सचेंज में मई १९५७ के अन्त तक ११,७८१ आदमियों के नाम रजिस्टर थे।

(ख) १९५५-५६ में ३,१२० आदमियों को नौकरी दी गई।

३--श्री कल्याण चन्द मोहिले--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी में शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट् ऐक्ट लागू करने की मांग

४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्द्वानी में "Shops and Commercial Establishment Act" लागू करने की मांग बहुत समय से सरकार के विचाराधीन है ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां।

५-६--श्री यमुना सिंह--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जोशीमठ में हाई स्कूल क्लासेज खोलने की आज्ञा रद्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री घनश्याम जी डिमरी ने भेजा है मैं मुख्तसिर में उसको बता देना चाहता हूं। वे कहते हैं कि जोशीमठ में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना ३६-३७ में हुई थी और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक को वह कहते हैं कि यह इजाजत मिली थी कि वे हायर सैकंडरी स्कूल की नवीं और दसवीं कक्षा खोल सकें। इसके लिये कुछ लड़कों की भर्ती हुई लेकिन उसको बाद में बन्द कर दिया गया। इससे जो परेशानी पैदा हुई है तथा विद्यार्थियों का जो नुकसान हुआ है उस पर बहस करने के लिये वे चाहते हैं कि सदन का काम रोका जाय। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थिति वहां है, इसकी सूचना वे कृपा कर के दें, तब मैं इस पर विचार कर सकूंगा।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह बात सही है मान्यवर, कि विद्यार्थियों का प्रवेश इस प्रकार से हो रहा था और फिर अभी हाल ही में उसे रोकना पड़ा। कारण उसका यह है कि जोशीमठ में जो जूनियर हाई स्कूल था वह हायर सेकेंड्री स्कूल बन गया। लेकिन वहां के आस-पास के भोटिया लोगों की ओर से और हमारे कुछ लेजिस्लेचर, कुछ मेम्बर साहबान की ओर से भी जोशीमठ में इस स्कूल को खोलने के सम्बन्ध में विरोध था। भोटिया लोग तो यह कहते थे कि छिनकाबोला, जो चमोली के ऊपर एक जगह है, वहां यह स्कूल खोला जाय और हमारे लेजिस्लेचर के कुछ सदस्य लोग यह चाहते थे कि गोपेश्वर में स्कूल खोला जाय। लेकिन यह जोशीमठ के लिये तय हो चुका था, क्योंकि वहां एन० ई० एस० ब्लाक का भी हेडक्वार्टर है और यह सोचा गया था कि यह जूनियर हाई स्कूल हायर सेकेंड्री स्कूल कर दिया जाय जो कि बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थान के यात्रापथ पर एक केन्द्रीय स्थान है, और सांस्कृतिक स्थान भी है तथा वहां एन० ई० एस० का हेडक्वार्टर भी है, इसीलिये यह स्कूल बनाया गया और उसके लिये आर्डर दिया गया। लेकिन जब यह विरोध हुआ तो सरकार ने यह तय किया कि गढ़वाल के कलेक्टर तथा वहां के एम० एल० एज० सब मिलजुल कर इस मसले को हल करें, स्कूल तो स्थापित करना ही है। यह जोशीमठ में नहीं रहेगा तो फिर यह छिनकाबोला, जहां कि भोटिया लोग चाहते हैं वहां ले जाना है या गोपेश्वर ले जाना है। आपस के मतभेद को हल करके निश्चित स्थान बतलावें तो फिर उस जगह इस स्कूल की व्यवस्था की जाय। इसी कारण यह प्रवेश रोक दिया गया था, लेकिन यह मामला जब मेरे सामने आया तो मैंने उस पर यह आदेश दे दिया कि जब यह स्कूल यहां स्थापित हो गया है और विद्यार्थियों का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है तो यह स्कूल यहां चलना चाहिये और इसमें प्रवेश होना चाहिये। यह आदेश यहां से चला गया है और मैं समझता हूं कि अब यह दिक्कत दूर हो जायगी।

अब रहा गोपेश्वर और छिनकाबोला का मामला तो वह बात तय होती रहेगी।

श्री अध्यक्ष---इस उत्तर के बाद अब इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रही कि मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७*

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ा अधिनियम, १९४७ की धारा २३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में माल विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ८४६२/१(अ)---१०४५-५५, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५६ ई०, संख्या ९२८५/१ (अ)---१०५१-५६, दिनांक १ नवम्बर, १९५६ तथा संख्या ९९५९/१(अ)---१०५१-५६, दिनांक २९ नवम्बर, १९५६ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जिन्हें पिछली विधान सभा के अन्तिम सत्र में सदन की मेज पर रखा गया था और जो उक्त विधान सभा के विघटन पर निर्धारित दिनांक तक सदन की मेज पर न रह सके, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

(कुछ ठहर कर)

---

*छापे नहीं गये।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में माल विभाग की विज्ञप्तियां संख्या २६०७/१ (अ)--१०४२-५५, दिनांक २४ अप्रैल, १९५७, संख्या १४३४/(आर)/१(अ)--१०५१-५७, दिनांक ४ जून, १९५७, संख्या १०८२/(आर)/१ (अ)--१२५ (द)-५३, दिनांक २६ जून, १९५७, संख्या २१३१ (आर) /१ (अ) माल (द)--२८ (द)-५५, दिनांक ३ जुलाई, १९५७, तथा संख्या २२८७ (आर)/१ माल (द)--२५ (द)-५४, दिनांक १० जुलाई, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

जौनसार-बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७*

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं जौनसार-बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ को जौनसार, बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७**

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये १ घंटा तीनों रीडिंग्स के लिये मुकर्रर है, तो इसके विचार के लिये यानी जो बहस होगी उसके लिये आधा घंटा और बाकी आधे घंटे में क्लाज वाई क्लाज डिसकशन और तीसरी रीडिंग समाप्त होगी ।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और मैं समझता हूं कि इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--आप उसूल पहले बतला दें तब आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं ।

†**श्री चरणसिंह**--मैं यह देख रहा था कि वह गेंदा सिंह ही रहेंगे या गेंडा सिंह हो जायंगे । यह जो विधेयक पेश किया गया है यह केन्द्रीय सरकार के मशविरे से पेश किया गया है, उनकी ऐसी इच्छा थी । इसमें तीन छोटी-छोटी बातें हैं । एक तो यह है कि कानून जो इस के आर्डिनेन्स के पहले था जिसके सिलसिले में यह विधेयक आया है वह यह था कि जो लोग भूमिधर बन चुके थे वह ५ गुना और जमा करें, अगर वह ३१ दिसम्बर, सन् ५६ तक उसे जमा नहीं करते तो वह बेदखल हो सकते थे । हमारे यहां जो जमींदारी की तमाम जमीनें नान-एवेकुई वाली थीं उन सब में दस गुना जमा हुआ था, लेकिन केन्द्रीय सरकार का कहना यह था कि उनका कोई पूल था उसमें उनका यह रुपया जायगा और जो डिसप्लेस्ड हो कर आये हैं उनको यहां की जायदाद दी जायगी । जो यहां से चले गये, जो जमींदार थे या काश्तकार थे, उनका जो मुआवजा मिलेगा वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के उस पूल में जमा होगा और वह डिसप्लेस्ड लोगों को मिलेगा । केन्द्रीय सरकार की ऐसी ख्वाहिश थी कि वह एक माकूल रकम हो जाय । उनका कहना था कि आपने दस गुना रखा वह ठीक है, लेकिन इसमें वह बजाय दस गुने के पन्द्रह गुना कर दिया जाय, जो भूमिधर बन चुके.....

---

*छापे नहीं गये ।

**२२ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही मे छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर । आवाज बहुत धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष—(माल मंत्री से) आप कृपया माइक पर बोलें ।

श्री चरणसिंह—उनको राय थी कि दस गुना कम है, वह पन्द्रह गुना होना चाहिये । वह तो मुखालिफ को पाकर आवाज बढ़ती है । जब मुखालिफत देखूंगा तब आवाज देखेंगे आप । लेकिन मैं समझता हूं कि निर्विवाद होने वाला है, शक यह है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा कि दस गुना लेकर जो आपने भूमिधर बनाये हैं यह रकम नाकाफी है, क्योंकि इवेक्वी प्रापर्टी में भी सद गुना लेकर बना दिया है । उसको हम मानते नहीं, क्योंकि इवेक्वी प्रापर्टी का ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है । इसमें हमारी रजामन्दी से ही जो चीज करना चाहें कर सकते हैं । हमारा कहना है कि चूंकि प्रेसीडेंट के दस्तखत हो चुके हैं लिहाजा फाइनल हो गया है । इस पर उन लोगों से काफी बातचीत हुई । खैर हमने मान लिया कि अच्छा पन्द्रह गुना ही सही । जो दस गुना दे चुके थे १९५४ में, उनको पांच गुना देना चाहिए और जो आगे को बनें वह पन्द्रह गुना दें और उसके लिए मियाद रख दी ३१ दिसम्बर, १९५६, लेकिन उसका लोग फायदा उठा नहीं पाये । क्या वजूहात थे मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी वजूहात थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी । वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की जिम्मेदारी थी । तो ३१ दिसम्बर, १९५६ तक जिन लोगों को भूमिधर बनना चाहिए, जिनको गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती थी कि बन जायं और हम भी चाहते थे कि उनके राइट्स सीक्योर हो जायं, वह फायदा नहीं उठा पाये । उसको हम कर रहे हैं ३१ दिसम्बर, १९५७ । और साथ ही यह भी अख्तियार स्टेट गवर्नमेंट ले रही है कि ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद भी अगर मियाद बढ़ाना जरूरी हुआ तो १९५८ तक मियाद और बढ़ायी जा सकती है । उसमें १९५८ लिखा नहीं है, बल्कि लिखा है 'फ्राम टाइम टु टाइम' और मियाद बढ़ा सकती है । लेकिन बाद में एक क्लाज आता है उससे मंशा निकलता है कि १९५८ के बाद नहीं बढ़ा सकती है, डेढ़ साल समझिये । एक तो प्राविजन इसमें यह है ।

दूसरा यह कि उसमें जो अब ऐक्ट है, जैसा शेड्युल ५ है, उसमें कुछ मालगुजारी इन लोगों की, किन उसूलों के मातहत, किस तरीके से, किस ढंग से कितनी तय होगी वह केवल लिखा है । उसके बजाय हम कहते हैं "अंडर सेक्शन २४६", क्योंकि जो जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा २४६ है वह काम्प्रोहेंसिव है । टेक्निकल सी बात थी । धारा २४६ में जैसे मालगुजारी तय होती है, उसमें सब मालगुजारी का जिक्र है, वह कर दिया जाय ।

तीसरा संशोधन यह है । पैराग्राफ ४ और सब पैराग्राफ १, जो शेड्यूल ५ का है उसमें भी यही मियाद कर दी जाय १९५६ के बजाय १९५७ ।

चौथी बात यह है कि के बजाय यह लफ्ज कर दिये जायं कि जहां-जहां ४ में २० लिखा हुआ है वहां १५ जोड़ा जायगा । यह केवल शाब्दिक है और इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता । जैसे अभी लफ्ज थे वह नाकिस थे । लेकिन महत्व का जो संशोधन है वह यह कि यह तो हुआ कि जो लोग भूमिधर बनने वाले थे उन लोगों के लिये जो आकूपायर हैं यानी काबिज हैं, १३५६ फसली में जिनका कब्जा था हमने उनको अधिवासी मान लिया और सीरदार डिक्लेयर कर दिया । इसमें हम करने जा रहे हैं कि ६३ तक भी जो अकूपायर हैं, चाहे ६३ में ही कब्जा हुआ हो वह भी अगर भूमिधर बनना चाहे तो वह भी २० गुना जमा कर दे ३१ दिसम्बर, १९५७ तक या जो मियाद बढ़े उसके अन्दर, तो वह भूमिधर बन जायगा । यह ऐसे ही हमने मश्विरे, बातचीत के दौरान में जो कस्टोडियन हैं इवेक्यूवी प्रापर्टी के उनसे यह कहा कि जिन लोगों का कब्जा है उनको

[श्री चरणसिंह]

क्यों बेदखल कर रहे हैं, ५६ के बाद जिसने कब्जा किया। आखिर किसी न किसी को जमीन दोगे। तो सब को अधिकार दे दो २० गुना जमाकर दें और भूमिधर हो जायं। लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब वह इस राय के हैं। उन्होंने कहा आप कर दीजिये। अब १३६५ फसली शुरू हुई है तो आखिरी साल १३६३ था इसलिये लफ्ज १३६३ है, उसको वह राइट हो गये, ऐसे आक्यूपायर्स भी भूमिधर बन सकते हैं। फिर हमने उनसे यह कहा कि यह मामला कहीं सैटिल होना चाहिये। एक अनसर्टेंटी बनी हुई है लोगों में। तो जो आदमी काबिज होंगे उनको अगर आप को कोई नोटिस आफ इजेक्टमेंट देना है तो ३१ दिसम्बर, १९५८ तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे, उसके बाद वह मालिक हो जायंगे। मान लो उनकी रजामन्दी से हमने मियाद बढ़ाई ३० सितम्बर, १९५८ तक और तब भी २० गुना नहीं जमा करते तो इसकी मंशा यह है कि फिर आप उनको नोटिस दे दीजिये तीन महीने के अन्दर और अगर नोटिस नहीं देंगे तो उनके राइट परमानेंट हो जायेंगे, ताकि वन्स फार आल यह मामला तय हो जाय।

(इस समय १२ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

इसमें एक प्रावीजो रखा है, इवेक्वी लैंड किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा दे रखी है। और फिर मान लो उन्हें नोटिस दे दिया भूमिधर कोई नहीं बना, सीरदार कोई रहा तो सीरदार के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का अधिकार कस्टोडियन को हो, यह हमने एक दफ़ा रखी है। जो सीरदार का राइट नान-ट्रांसफरेबिल है, लेकिन सीरदार के राइट को ट्रान्सफर करने का अधिकार हम इस लिमिटेड प्रापर्टी में कस्टोडियन को दे रहे हैं, ताकि वह जमीन को बेच दे और पूल में रुपया जमा कर दे। एक क्लाज यह है।

बस उपाध्यक्ष महोदय, यही दो तीन छोटी मोटी बातें थीं। आर्डिनेंस हमने इसीलिये जारी कर दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कुछ अपने राज कर्मचारी रख चुकी थी और वे लोग खाली बैठे थे। यह बिल पास हो जाना चाहिये था मई में और जून में प्रेसीडेंट की असेंट हो जाती तो जुलाई से नाफिस हो जाता। लेकिन वह मेरी गलती समझिये कि असेम्बली से पास नहीं हो सका, काउन्सिल से पास हो गया। तो हमने आर्डिनेंस बना कर भेजा, ३० जून या पहली जुलाई से आर्डिनेंस लागू हो गया, उसके मातहत उनके राज्य कर्मचारी लिस्ट वगैरह बना रहे हैं। तो उसी आर्डिनेंस को इस बिल की शक्ल में आप की स्वीकृति हासिल करने के लिये पेश किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री मोती लाल अवस्थी से) आप जानते हैं केवल आध घंटा वाद-विवाद के लिये था और ११ मिनट खत्म हो गये। इसलिये आप संक्षेप में ही भाषण कीजिये जिससे कि और माननीय सदस्यों को भी मौका मिल जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आप की आज्ञानुसार जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस विधेयक की १९ तारीख को हमको सूचना मिली थी कि शायद पेश हो जाय जो आज २६ को पेश हो चुका है। लेकिन मैं आप के द्वारा इस बात को रखना चाहता हूं कि इस शेड्यूल ५ को लाइब्रेरी में से ढूंढ निकालना एक बहुत बड़ी पहेली हो गई। सारा स्टाफ लाइब्रेरी का इसके ढूंढने में लग चुका और बमुश्किल उसकी एक कापी अभी दो घंटे पहले मुझे देखने को मिल सकी है।

श्री उपाध्यक्ष--पहले तो आप संशोधन पेश कर लीजिए और यह तो बात अलग की जा सकती थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा अमेंडमेंट यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जो अपनी रिपोर्ट आगामी १५ अगस्त, १९५७ तक पेश कर दे।

इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने में मेरा मंशा सिर्फ यह है कि अभी हमारे माल मंत्री जी ने कुछ इसके सम्बन्ध में विवरण हमें बताया है। लेकिन यही पहला अवसर है जब कि हम इसका कुछ विवरण जान सके हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि यह जो ऐक्ट है वह सिर्फ एक ही कापी उसकी लाइब्रेरी में थी और बहुत कम सदस्य इसको पढ़ पाये होंगे। यद्यपि यह मैं मानता हूं कि इसकी कुछ थोड़ी सी बातें माननीय माल मंत्री जी ने हाउस के सामने रख दी हैं, लेकिन तो भी मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने के लिये कुछ समय जरूर चाहिए। इसके ऊपर विचार करने में कुछ समय जरूर लगेगा। यद्यपि जहां इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही गई है वहां १५ दिन का समय भी इसके लिये रख दिया गया है, लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वह अवधि कुछ घटा दी जाय। यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के योग्य है क्योंकि चन्द मिनटों में ही इसको तय कर देना मुश्किल सा है। मैंने अभी जो कुछ सुना उसके मुताबिक मैं यह कह सकता हूं कि यह निष्क्रान्त भूमि जो कई साल से लोगों के कब्जे में है वहां भी ऐसा हुआ है कि कुछ काश्तकारों के हाथ से छिनकर उनके पास पहुंच गई है। उन जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसको पाने के लिये कुछ लोग चिन्तित थे और इस समय किसी तरह वह उनके हाथ पहुंच चुकी है। तो इसमें बहुत सी बातें विचारणीय हैं। अतः यह आवश्यक है कि इसको हर पहलू से देख लिया जाय और उसके लिए उसको कुछ समय के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--श्रीमन्, जो बिल आप के सामने इस वक्त पेश किया गया है, मोहतरिम वजीर साहब ने जिसको पेश किया है, मैं इस बात की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह बिल जो है हालांकि बहुत मुख्तसर सा बिल है और इसके लफ्ज बहुत सादे से मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की जरूरत है कि इसके ऊपर निहायत गौर व खौज के साथ और ठंडे दिल से विचार किया जाय। इस बिल का जो अमेंडमेंट है वह शेड्यूल फाइव जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जो है उसके जरिये से किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस शिड्यूल में भी कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है और वह उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम इसके तमाम कानून के ऊपर पूरे तरीके से गौर न करें। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों के साथ जो कि उन आराजियात के काश्तकार हैं जिनके कि मालिक पाकिस्तान चले गये हैं और जो इवैकुई प्रापर्टी डिक्लेयर हो चुकी हैं उनके साथ बड़ी नाइन्साफी की जा रही है। मसलन जो लोग सन् ५६ में या सन् ५९ फसली में आक्युपेंट रेकार्डेड हैं अगर वह एक मामूली काश्तकार के शिकमी रहे होते तो उनको अधिवासी और सीरदारी के हकूक हासिल हो गये होते, लेकिन अगर वह ऐसे काश्तकार के शिकमी रहे हैं जो पाकिस्तान चला गया है तो शेडयूल फाइव के देखने से पता चलता है कि उसको अधिवासी या सीरदारी के हकूक हासिल नहीं होते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि जो मुनासिब नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि और मामले जहां पर कि आर्डिनरी कोर्ट आफ लाके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, रेवेन्यू आफिसर और सिविल कोर्ट्स उनको डिसाइड करते हैं। वहां अगर इवैकुई प्रापर्टी का मामला है तो उसके लिये आपने आर्डिनरी कोर्ट आफ ला का जुरिस्डिक्शन खत्म कर दिया है और सिर्फ असिस्टेंट कस्टोडियन को या जुडिशल कस्टोडियन को आपने अख्तियार दिया है। लेकिन आर्डिनरी कोर्ट आफ ला में जिस तरह से मुकदमें का प्रोसेस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

चलता है उसमें और कस्टोडियन के यहां जिस तरह से चलता है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वह आप के सामने कहने की जरूरत नहीं है। मेरा खयाल है कि वह सभी लोग इससे वाकिफ होंगे जिनका कभी साबका पड़ा है। यह भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है।

फिर यह ऐक्ट जो आपने इस वक्त रक्खा है इसमें आपने अकुपायर का शब्द इस्तेमाल किया है, उससे भी बड़ी पेचदगी पैदा हो जाती है। बदकिस्मती से जो हमारा टेनेन्सी लेजिस्लेशन है वह भी एक मामले में बड़ा नाकिस सा है। मसलन मुश्तर्का खानदान है। एक आदमी के नाम खाता होता है और जो उसके खानदान में होते हैं उनके नाम मार्फत फलां दर्ज कर दिये जाते हैं...

†श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ आर्डर। बजाय दफा ५ पर फरमाने के इस वक्त जो विधेयक है उसमें क्या-क्या खामियां हैं उन पर तकरीर करें। अगर केवल दफा ५ पर तकरीर की और मैंने जवाब दिया तो कोई खास फायदा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय हैदर साहब के सामने जो विधेयक है वे उसी के उसूलों पर महदूद रहें।

श्री सैयद जरगाम हैदर--इस कानून में अकुपायर का लफ्ज आया है जिससे दुश्वारी पड़ती है। एक शख्स फर्ज कीजिये पाकिस्तान चला गया, उसका जो छोटा भाई है उसका नाम ६३ में मार्फत फलां लिखा हुआ है, इस तरह वह अकुपायर की डेफिनीशन में नहीं आयेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि अकुपायर के लफ्ज को इतने स्ट्रिक्ट मीनिंग न दिये जायं और यह रक्खे जायं कि अकुपायर के मानी यह भी होंगे कि जो उसके खानदान के लोग मार्फत में होंगे।

दूसरी चीज यह है कि वे लोग जो रुपया जमा नहीं करेंगे उनको कस्टोडियन, एवेकुई प्रापर्टी ऐक्ट द्वारा इजेक्ट कर देंगे और इस वक्त कानून जो है वह यह है कि जून या अप्रैल के अलावा किसी वक्त बेदखली नहीं हो सकती। अगर यह अमेंडमेंट जैसा कि मौजूद है मान लिया जाता है तो अगर किसी आदमी ने ३० दिसम्बर तक जमा नहीं किया तो इजेक्ट हो हो जायगा आसानी के साथ। कस्टोडियन चाहेगा तो फरवरी के महीने में ही इजेक्ट हो सकता है। लिहाजा ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस इस ऐक्ट में होने चाहिये जिस प्रकार कि जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में सेक्शंस १८२-१८३ हैं। इस ऐक्ट में कस्टोडियन को इजेक्टमेंट पावर्स आर्डिनरी ला के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। आर्डिनरी ला में इजेक्टमेंट के प्राविजन्स काश्तकारों के फायदे के लिये हैं।

तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो कानून है उसमें १० गुना लगान दे कर अधिवासी राइट्स कोई हासिल कर सकता है, लेकिन इसमें बजाय १० गुना के १५ गुना कर दिया गया है, यानी ५ गुना और बढ़ा दिया गया है और इस प्रकार ईक्वलिटी आफ राइट्स का प्राविजन जो कांस्टीट्यूशन में है, उसको यह वायलेट करता है।

फिर ३१ दिसम्बर, ५७ तक की लिमिट कर दी है। यह ठीक है कि ये पावर्स दी हैं कि जब जरूरत होगी तो उस डेट को बढ़ा देंगे। जो काश्तकारों की हालत है वह सब जानते हैं। बाढ़ से वे तबाह हैं, सैलाब आते रहते हैं, सूखा पड़ता रहता है, लिहाजा सन् १९५७ की लिमिट को ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय तो बेहतर होगा।

फिर प्राविजन लगा दिया है कि मालगुजारी नहीं देगा तो इजेक्ट हो जायगा। इसमें भी कोई शिकमी से जमीन लेता है और काश्तकार पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन जाने का खमियाजा शिकमी को भुगतना पड़ता है। १५ गुना लगान नहीं देगा तो जमीन छीन ली जायगी,

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है। आर्डिनरी ला के राइट को यह वायलेट करता है कि मजबूर करके हमसे इस तरह लगान लिया जाय।

इसलिए इन तमाम बातों के लिहाज से जो फैसला हो उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। आपके सामने दुश्वारी पड़ेगी। यह रुपया हमें एक पूल में जमा करना है। यह बहुत ही अहम मसला है, इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि आध घंटे में हम सरसरी तौर पर इस पर गौर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो प्रस्ताव पेश हुआ है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रिफर कर दिया जाय, मैं उसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

*श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट विधेयक सदन की सेवा में पेश है, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। कुछ तो जो उसके उसूल के विरुद्ध है वह हमारे साथी जरगाम जी हैदर ने निवेदन कर दिया है, लेकिन मैं भी उसी तरीके से इसके विषय में दो बातें कहना चाहता हूं, गो रिपिटीशन होगा। वह यह है कि जहां पर एक कानून का उसूल मान लिया जाता है जैसे कि जमींदारी ऐक्ट में मान लिया गया है कि जो काश्तकार अधिवासी से भूमिधर बनेंगे, उनको दस गुना लगान अदा करना पड़ेगा। ठीक है, एक उसूल मान लिया गया है। अगर उसूल को तब्दीली होती है तो वह पब्लिक पालिसी के खिलाफ होता है और यह ७६ परसेंट काश्तकारों के हित में नहीं है, यह प्रिंसिपल आफ ला को वायलेट करता है। अगर इसलिए यह गवर्नमेंट आफ इन्डिया की इच्छा से या किसी खास आदमी की इच्छा से पेश किया गया है तो यह ठीक नहीं है। हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया के मातहत हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल आफ ला को या ला आफ इक्विटी को वायलेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो कांसीक्वेंसेज हैं, उनके डेंजरस नतीजे निकलेंगे। एक तरफ तो आपने तस्लीम किया है कि जो इस आर्डिनेंस से पहले ५ गुना देगा वह भूमिधर हो सकता है और दूसरी तरफ आर्डिनेंस निकाला है, उसमें १५ गुना देकर हक मिलेगा। यह कहां तक सामंजस्य है और इसमें कहां तक रीजनेबिलनेस दिखाई पड़ती है? सब काश्तकार बराबर हैं।

इवैकुई प्राप्टी के बारे में मेरे तजुर्बे में ऐसा आया है कि वह बड़े-बड़े जमींदार थे जो पाकिस्तान चले गये हैं या जिनके जाने की सूचना इवैकुई डिपार्टमेंट से आयी है और उनके काश्तकार बहुत ही गरीब और छोटे हैं और जिनको लैन्डलेस काश्तकार कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को तो फेवर करना चाहिए था न कि उनके ऊपर १० गुने के बजाय १५ गुना बोझा लाद दिया गया है। अगर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का सारा बोझा इन लैन्डलेस काश्तकारान पर हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का या सूबे की सरकार का ज्यादा हित हो सकता है। ऐसे बहुत कम केसेज हैं जिनमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया को धन दिया जा सकता है। अगर कुछ रकम हुई तो वह बहुत बड़ी रकम नहीं होगी.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बात को बार-बार दुहरा रहे हैं।

श्री रामशरण यादव—मैं दुहरा नहीं रहा हूं बल्कि इम्फेसाइज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन को ज्ञात है और मन्त्री जी को भी जानकारी है। वक्त बहुत कम है और काफी लोगों को बोलना है इसलिए आप संक्षेप में ही कहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामशरण यादव—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस ऐक्ट में और जो पुराना ऐक्ट है, उससे जो कांस्क्विवेंसेज निकलने वाले हैं, उन पर गौर करने की जरूरत होगी। इस लिए जो अमेंडमेंट आया है, मैं उसको ताईद करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, ताकि अच्छे तरीके से जो इसके कांस्क्विवेंसेज निकलने वाले हैं, उन पर गौर हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी(जिला देवरिया)----उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसके सम्बन्ध में ऐसा समझता हूं कि इस सरकार की भूमिनीति बिलकुल अस्थिर है, लोगों को कष्ट में डालने की है, और लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। या तो इस सरकार को भूमि के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है या उनका प्रोग्राम दूसरी तरफ ले जाने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष--आप विधेयक पर बोलिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जी हां, मैं उसी पर बोल रहा हूं। भूमिधर बनाने के लिए कभी १० गुना, कभी १५ गुना और अब तो २० गुना किया जा रहा है।

जहां तक इवैकुई प्रापर्टी का सवाल है, अगर कोई नागरिक अपना देश छोड़ने के बाद नागरिक न रहे तो फिर उसकी सारी सम्पत्ति ही ले ली जाय। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए कि अगर उसने अपना खेत दूसरे के कब्जे में उठा, दिया तो उसकी बेदखली हो जाय, यह तो उचित नहीं है। जब अपने देश में आज कारखाने खोले जा रहे हैं, फैक्टरियां और फार्म्स खोले जा र तब किसानों के साथ यह अन्याय है। आज तक जो टेनेंसी ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के संशोधन किये गये हैं उनका जो प्रभाव है वह स्पष्ट है। कई बार माननीय माल मन्त्री जी ने कहा है कि वही मुल्क तरक्कीपसन्द है जहां ५० प्रतिशत से कम लोग खेती पर अपनी जीविका चलाते हैं। तो उसी योजना के अनुसार आज जो गरीब हैं, उनको खेती से हटाने की योजना इसमें निहित है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में महात्मा गांधी का भी नाम लिया जाता है, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि किसान मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--यह विषयान्तर हो रहा है। आप बारबार यह कह देते हैं कि मैं उसी पर आ रहा हूं। यह कहकर कि उसी पर आ रहा हूं और बार-बार विषयान्तर बात कहते जाना अच्छे वादविवाद के लिए उचित नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं यह कह रहा था कि १० गुना लिया गया और फिर भी उनको वह अधिकार नहीं दिया गया है। मैं यह सब इसलिए कह रहा था, श्रीमन्, कि यह जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें भी उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उसका विरोध करने की नीयत से ही मैं उसको कोट कर रहा हूं। १० गुना दाखिल करने के बाद और भूमिधरी का अधिकार मिलने के बाद सिर्फ बेचने का हक है और किसी दूसरी प्रकार से अपनी आराजी उठाने का हक नहीं है। आज ६३ फसली का जहां तक हवाला आपके सामने पेश किया गया है कि जिन्होंने १०, १५ या २० गुना दिया है वह सीरदार हो जायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक रुपया देकर उनको अधिकार देने का सवाल है उनको रुपया देने के बाद भी वह अधिकार नहीं दिये जाते, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि किसी न किसी तरह से जो निर्धन, गरीब और स्वत्वहीन हैं वे धीरे-धीरे अपने खेत से हट जायं। श्रीमन्, उसमें १९५८ के लिये भी कहा गया है कि ५७ तक जो न दे देंगे तो वह ५८ में बेदखल कर दिये जायेंगे। यह बेदखली की धमकी है यह अनुचित है।

फिर उसके बाद चकबन्दी योजना के साथ संशोधन आया कि भूमिधर को भूमि बेचने का अधिकार है लेकिन फिर बाद को चकबन्दी का टुकड़ा भी बेचने का अधिकार उसको नहीं रहता है। तो यह जो विरोधाभास आपके कानून में है उसकी वजह से जहां तक यह बन चुका है उसको तो रहने दिया जाय और आगे संशोधन के लिये आप क्षमा करें तो अच्छा है, क्योंकि धीरे-धीरे किसान भूमि सम्बन्धी कानूनों में आपके फंसता आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--इस विवाद के लिये आधा घंटा समय रखा गया था। इसमें संशोधन कम हैं। इसलिये मैंने सोचा कि १० मिनट का समय विवाद के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जरगाम हैदर साहब ने प्रस्तुत विधेयक के दोषों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन जहां तक मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया मुझे महान् आश्चर्य हुआ कि बराबर इस सदन में इस बात की चर्चा सुनने के बाद कि जो भी विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय उसकी भाषा देखभाल कर इस्तेमाल होनी चाहिये, इसमें टैक्नीकल मिस्टेक ऐसी है जिसके कारण काफी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मैं आपका ध्यान शिड्यूल ५ के पैरा ४ के (ए०) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा गया है कि "For the figures and words "20 times" the figures and words "15 times" had been substituted".

इसमें २० गुना और १५ गुना को इन्वर्टेड कामे से बन्द कर दिया गया है लेकिन, हिन्दी का जो संस्करण हमारे सामने है उसमें यह इन्वर्टेड कामा नहीं है। इस तरह की भूल से श्रीमन्, जहां तक कानून का सम्बन्ध है, बड़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिये मैंने यह समझा कि आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं। हिन्दी और अंग्रेजी के संस्करणों में काफी अन्तर है। हिन्दी के संस्करण में काफी अशुद्धियां हैं जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

असल बात यह है कि जो लोग इस काम को करते हैं वे हिन्दी को उपेक्षा करते हैं। जहां पर हिन्दी में विधेयक को ड्राफ्ट किया जाता है वहां पर उसमें काफी त्रुटि रह जाती है। हम लोग बराबर इस बात का निवेदन करते हैं कि हिन्दी की प्रति तैयार करने में काफी होशियारी के साथ काम लेना चाहिये, क्योंकि अब हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो चुकी है और हिन्दी की तरफ सारे देश का ध्यान है। हिन्दी की उपेक्षा करना राष्ट्र की उपेक्षा करना है। तो उसमें २० गुना और १५ गुना के पहले और बाद को इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---हम तो हिन्दी की प्रतिलिपि के पाबन्द हैं। अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हो उससे पाबन्द नहीं होंगे।

श्री रामायणराय---इसलिये यह जो हिन्दी का संस्करण हम को दिया गया है इसमें काफी गलतियां हैं, जिनकी वजह से काफी कठिनाई पैदा हो सकती है। इसी आधार पर मैं टैक्निकली यह चाहता था कि इस बिल को फिर से पुनः विचार के लिये सिलेक्ट कमटी के सामने भेज दिया जाय, क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं किया तो इस बिल के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

'इक्वालीटी बिफ़ोर ला' की बात तो हमारे संविधान में कही गई है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा इस सिद्धांत को भी हत्या होती है। साधारण कानून के अन्दर, जमींदारी विनाश कानून के अन्दर, जिस तरह के अधिकार साधारण काश्तकार को प्राप्त हैं। वे इस कानून के द्वारा छीने जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। और ठीक ढंग से इसे हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाय।

†**श्री चरणसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र का व्याख्यान बड़े ध्यान से सुना वे बहुत अधिकार और डेफीनिटनैस के साथ अपनी स्पीच दे रहे थे। उनकी शिकायत यह है कि हिन्दी के संस्करण में कौमा, जो अंग्रेजी के संस्करण में दिये गये हैं, नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि दिये गये हैं। लेकिन फर्ज कर लिया जाय कि नहीं भी दिये गये हैं तो उससे ऐक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी छोटी-छोटी बातें, पंकचुएशन की, माननीय अध्यक्ष ठीक कर सकते हैं, उनको पावर है। उन्होंने विधान सभा में एक डिस्क्रिमिनेशन की बात कही। तो क्या वह रामशते हैं कि मैंने आर्डर दे दिया कि माननीय रामायण राय जी को जो कापी दी जाय उसमें से कामा निकाल दिये जावें और मेरे पास जो रहे उसमें कामा लगा दिये जावें? इस छोटी सी बात पर डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज गवर्नमेंट के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। अगर मुझे बेईमानी करनी होती तो क्या इस छोटी सी चीज की बेईमानी करता। प्रेस से ऐसी गल्ती हो गई है। प्रेस के पास विधेयक की वह प्रतिलिपि हो सकती है जब कि यह मई में आया था। इस बिल में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

अध्यादेश का जिक्र है और इस में इनवर्टटेड कामाज मौजूद हैं। यह भी हो सकता है कि किसी एक आध कापी में कामा न आया हो और दूसरों में आ गया हो। कम से कम यह एसी बात नहीं है जिससे माननीय रामायण राय जी को अपने दिमाग में गर्मी लानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। मैं किसी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी या डिबेट एवायड नहीं करना चाहता हूं। लोगों को जितना ज्यादा समय अपनी बात कहने का मिलेगा उतनी ही गल्तियां नहीं रहेंगी। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि पहली जुलाई को यह अध्यादेश हुआ और ११ अगस्त तक यह ऐक्ट बन जाना चाहिये। अगर यह सेलेक्ट कमेटी में १०, ५ दिन के लिये भेजा गया तो वहां उतनी ही देर होगी। फिर गवर्नर के दस्तखत होकर इस पर कार्यवाही होगी। दूसरी बात यह है कि यह इतना छोटा सा मामला है कि इस पर बहस ही क्या होगी? मसलन, माननीय रामायण राय जी के बगल में जो मेरे दोस्त बैठे हुये हैं--मुझे माफ करें कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं--उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कहीं कि अगर उन को वही बातें सेलेक्ट कमेटी में कहनी हैं तो वहां भेजना बेकार है। मसलन, कोई अधिवासी या सीरदार इस एपेन्डिक्स के जरिये नहीं बनाया गया है, ठीक है। हम सबको भूमिधर बनाना चाहते हैं। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कहते हैं तो वह यही है कि कुछ लोग तो आटोमेटीकली सैक्शन ८० में भूमिधर बन सके और कुछ केवल सीरदार और कुछ अधिवासी बने। इसे डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और रीजनेबिल डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत भी कांस्टीट्यूशन देता है कि किसी प्रिन्सिपल पर डिस्क्रिमिनेशन या क्लासीफिकेशन हो सकता है। अगर यही डिस्क्रिमिनेशन की बात सेलेक्ट कमेटी में कहनी है तो इस में कोई वजन नहीं है। जहां तक कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन का सवाल है उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को पूरा-पूरा अधिकार इस बात को तय करने का है। हमारी उनसे बातचीत हुई तब वह तैयार हुये कि उनको भूमिधरी का अधिकार दे दिया जाय। इवेकुई प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत कस्टोडियन और असिस्टेंट कस्टोडियन में यह पावर्स वेस्ट करती हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत उनको इजेक्ट करने का अधिकार है।

उनको तो यह भी शिकायत हो सकती है कि बाज मामला रेवेन्यू में क्यों जाय सिविल में क्यों न जाय।

श्री सैयद जरगाम हैदर--इवेकुई प्रापर्टी ऐक्ट में जो कुछ है उसके मुताबिक तो वे यह डिसाइड करेंगे कि वह इवेकुई प्रापर्टी है या नहीं है लेकिन इस केस में आप यह डिसाइड करने को कहते हैं कि अधिवासी है या नहीं, यह एक डिफिरेंट ही चीज है। जो जुरिसडिक्शन इवेकुई प्रापर्टी ऐक्ट उनको नहीं देता है वह इसके जरिये से आप उन को देने जा रहे हैं।

श्री चरणसिंह--मैंने उस ऐक्ट को पढ़ा नहीं। माननीय मित्र ने वकालत की होगी और उन्होंने उसको पढ़ा होगा। लेकिन हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया के लीगल एडवाइजर ने यह बतलाया कि उनको यह तय करने का अधिकार है और यह कि वह इन राइट्स को रेवन्यू कोर्ट्स को देना नहीं चाहते हैं।

अब रही यह बात कि आक्यूपायर कौन है। कौन मार्फत होगा, किसके सिलसिले में होगा। उसमें कोई राइट्स हैं या नहीं यह वैल सैटिल्ड ला है। यह जो मार्फत के राइट्स हैं वह भी एडवर्स नहीं हैं। वह तो उसके बिहाफ पर (आन हिज बिहाफ) राइट्स होल्ड करता है। आक्यूपायर का मतलब यही है। उसे दूसरी डैफीनीशन में ट्रेसपासर कह सकते हैं। वह आक्यूपायर है चूंकि वह अक्यूपाई करता है।

तो यह सब बातें जो कही गयी हैं, इन्हीं सब बातों पर सेलेक्ट कमेटी में गौर किया जायगा। मेरी समझ में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब लीगल व कांस्टीट्यूशनल प्वायंट्स हैं। इन पर वहां बहस करने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह एक बहुत छोटा सा बिल है,

दो तीन छोटे-छोटे प्राविजंस हैं। मैं समझता हूं कि यहीं पर हमको गौर करके, इसका रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जो कुछ भी हो, कर देना चाहिये। इसलिये मेरे माननीय मित्र ने अपने प्रस्ताव में जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं पहले माननीय मोतीलाल अवस्थी जी के संशोधन को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जो अपनी रिपोर्ट आगामी १५ अगस्त, १९५७ तक पेश कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त-भूमि) विधेयक, १९५७, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २-४

२--१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) अनुसूची ५ के परिच्छेद (Para) २ में--

(१) उप-परिच्छेद (Sub-Para) (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे", रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं, तथा

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद २ का संशोधन।

(२) उप-परिच्छेद (३) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के दिनांक पर" के स्थान पर शब्द "धारा २४६ के अधीन" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रखे हुये समझे जायं।

३--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ के उप-परिच्छेद (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक पर जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क में वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रक्खा हुआ समझा जाय, अर्थात्--

"(क) अंक और शब्द '२० गुना' के स्थान पर अंक और शब्द '१५ गुना' रख दिये गये थे, तथा"

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(जब माननीय उपाध्यक्ष खड़े थे उसी बीच में श्री मोतीलाल अवस्थी ने एक प्वायंट आफ आर्डर उठाना चाहा, जिसके लिये श्री उपाध्यक्ष ने माननीय सदस्य को इस नियम से अवगत कराया कि जब अध्यक्ष खड़े हों, उस समय आपको खड़ा नहीं होना चाहिये।)

खंड ५

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ४-ख का रखा जाना ।

५--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"४-ख--(१) १३६३ फसली के खसरा या खतौनी में तथा जब उस वर्ष ऐसा कोई अभिलेख तैयार न किया गया हो, तो सब से अन्त में निर्मित खसरा या खतौनी में, निष्क्रान्त भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित कोई भी व्यक्ति कस्टोडियन को ३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान के बीस गुने के बराबर (Twenty times the rent computed at hereditary rates) धनराशि देगा।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई (evacuee) के लेखे में जमा कर दी जायगी ।

(३) यदि उप-परिच्छेद (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति है--

(क) उसे तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर देता है तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और उक्त भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान की आधी धनराशि के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा, अथव

(ख) तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर उसे अदा करने में असफल रहता है तो निष्क्रान्त भूमि (evacuee land) म उसके समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व, यदि कोई हो, अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और फिर वह कस्टोडियन द्वारा ऐसी रीति से मानों वह कस्टोडियन का पट्टेदार हो बेदखल किया जा सकेगा तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के बेदखली से सम्बद्ध समस्त उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे :

ऐक्ट ३१, १९५० ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ के पश्चात् कोई भी बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--इस परिच्छेद में " निष्क्रांत भूमि " (evacuee land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो निष्क्रान्त सम्पत्ति (evacuee property) हो किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि नहीं है --

(१) कस्टोडियन के प्रदिष्ट गृहीता (allottee) या पट्टेदार के अध्यासन में भूमि, अथवा

(२) डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति (displaced person) को उसके दावे के उपलक्ष्य में उसे प्रदिष्ट भूमि अथवा

(३) ऐसी भूमि जिसमें अनुसूची ५ द्वारा प्ररिष्कृत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ तथा २० के अधीन भूमिधरी के अधिकार अर्जित किये जा सकते हों ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ४-ख की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "है" निकाल दिया जाय।

यह शब्द अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह--मुझको स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ४-ख की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "है" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ७ के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ८ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ८ का रखा जाना।

"८--धारा १५३ में किसी बात के होते हुए भी, कस्टोडियन अथवा केन्द्रीय सरकार, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० अथवा डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपने में निहित भूमि में सीरदार के स्वत्व को, विक्रय द्वारा अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित कर सकते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई भी हस्तान्तरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि कोई व्यक्ति परिच्छेद २, ४, ४-क अथवा ४-ख के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी रहे।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७--उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसत एक विधायन (enactment) रहा हो।

उ० प्र० अध्यादेश २, १९५७ का निरसन।
यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४।

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ४ में शब्द "निरसत" के स्थान पर शब्द "निरसित" रख दिया जाय।

यह गलती से छप गया है। मैं समझता हूं कि इसको मान लिया जायगा।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, वह तो दूसरी पंक्ति में पहले भी लफ्ज "निरसित" ही आया है। यहां केवल प्रिंटिंग एरर है। मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति ४ में शब्द "निरसत" के स्थान पर शब्द "निरसित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१।

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम सं० १,१४५१।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के निमित्त, भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश, १९५७ प्रचारित किया था,

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मण्डल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ। य० पी० ऐक्ट २, १९१६। ऐक्ट २, १९२४। य० पी० ऐक्ट २, १९१४।

१---(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) उन क्षेत्रों को छोड़ कर, जो ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटिफाइड एरिया में अथवा कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन किसी कैन्टूनमेंट में अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया में सम्मिलित थे, इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि इसके बारे में अधिक सावधानी बरती जाय। जब प्रश्न उपस्थित हो तभी विभाजन मांगा जा सकता है, मेरे स्वीकार हुआ कहने के पहले ही टोक दिया करें तब वह माना जा सकता है। इसलिए पूरी हमदर्दी होते हुए भी अब मैं मजबूर हूं कि अब आपको विभाजन की मांग को स्वीकार करूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप विभाजन मांगने के पहले खड़े थे तो आप के खड़े रहते हुये कैसे कोई विभाजन मांग सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--आपने प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहा था, मेरे खड़े रहने पर, वह नहीं उठाया जा सकता, लेकिन अगर विभाजन की मांग आती उस समय जब मैं खड़ा था तो मैं बैठ जाता।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आया.....

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठ जायं और ज्यादा सावधानी से समझें तो उचित होगा।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७

स्वशासन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह ऐक्ट सन् ४७ में पारित हुआ था। इस ऐक्ट में कुछ संशोधन सन् ५० और सन् ५२ में किये गये और उसके बाद सन् ५४ में काफी बड़े संशोधनों के द्वारा इसमें आमूल परिवर्तन किया गया। इस वक्त भी कुछ ऐसा समझा गया कि अब भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इसके संचालन में कुछ दिक्कत होती है और इसी वजह से यह छोटा सा संशोधन विधेयक लाना जरूरी समझा गया। इस बिल की धारा २ में शब्द 'कलेक्टर' व शब्द 'सब-डिवीजनल आफिसर' का प्रयोग किया गया था। अब कहीं-कहीं ऐसी आपत्तियां उठाई गई हैं कि 'एडीशनल कलेक्टर', 'एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर' तो ऐक्ट में नहीं है वह ऐसे मामले नहीं देख सकते। अब चूंकि चुनाव हो चुका है और याचिकायें उनके सम्मुख गांव पंचायतों की आई तो यह उचित समझा गया कि ऐसे मामले इन एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर को दे दिये जायं। इस सम्बन्ध में इसके फैसले कुछ दूसरी ओर हुये तो यह मुनासिब समझा गया कि जो कुछ कार्यवाही एडीशनल, सब-डिवीजिनल आफिसर या एडीशनल कलेक्टर की हैं उनको इस संशोधन के द्वारा ठीक कर दिया जाय ताकि नियम के अन्दर उनकी कार्यवाही आ जाय। जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है उन फैसलों पर लागू नहीं होंगे जो कि न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिये गये हैं। इसके अलावा धारा ५ 'ए' में ऐसी डिसक्वालिफिकेशन्स दी हुई थीं कि जिनके अनुसार लोग पंचायतों के पदाधिकारी नहीं हो सकते थे, लेकिन उस वक्त सन् ५५ का अनटचेबिलिटी ऐक्ट मौजूद नहीं था, इसलिये केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार इस बात की आवश्यकता हुई कि जो व्यक्ति इस तरह सजा याफ्ता हो चुके हैं वह भी पदाधिकारी नहीं रह सकते। इसलिये उस दफा ५ 'ए' में इस तरह के प्राविजन का लाना आवश्यक था।

इसके साथ ही साथ कुछ व्यक्ति अंधे या गूंगे होते हैं, उनके लिये भी आवश्यक था कि वे भी डिसक्वालिफिकेशन में आ जायं जिससे वे पदाधिकारी न बन सकें। दफा ९५ में ऐसा दिया हुआ था कि जो ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वह पांच वर्ष के लिए लागू होगी। लेकिन ५ (१) में भी लाना आवश्यक था इस वजह से पांच वर्ष की जो अवधि है वह इसमें भी ला दी जाय।

---

*७ मई, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामस्वरूप यादव]

दफा ३७ (१) में गांव सभाओं को अधिकार था कि वह बाजार और अपनी हाटों पर कुछ कर लगा सकें। उनका जहां-जहां विवरण किया गया है वह फीस के रूप में है। न्यायालय में फीस में भी बाधा की गयी है कि जो फीस है वह उसी कार्य में लगायी जा सकती है, जिस कार्य के लिये वह ली गयी है। इससे गांव सभाओं की ऐसी स्थिति हो जायगी कि अन्य व्यय चाहे वह किसी से सम्बन्धित हो, उसके लिये वह रुपया नहीं दे सकतीं। इस वास्ते इसमें फीस के बजाय टैक्स का प्रयोग किया जाय। इसलिए इसके खंड ६ में 'टैक्स' शब्द का प्रयोग करने का संशोधन रखा गया है।

१२(सी) में प्रधान और अन्य जो व्यक्ति चुने जाते थे उनके पेटीशन के बारे में ऐसा था कि सब-डिवीजनल आफिसर के सामने ही पेटीशंस कर सकते थे। उसमें भी यही रखा गया है कि सब-डिवीजनल आफिसर्स में ऐडीशनल तथा सब-डिवीजनल आफिसर्स भी शामिल कर लिये जायं।

ऐसा भी अनुभव हुआ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो नियमों के अनुसार उस पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता था किसी गलती से या किसी वजह से अगर वह उसके अन्दर आ गया है और उस समय जिस वक्त याचिका द्वारा हटाया जा सकता था, वह भी निकल गया है। अब तक ऐसा नहीं था, कि उसको हटाया जा सके। अब इसमें यह रखा गया है कि अगर ऐसा कोई आदमी आ गया है जो उसका अधिकारी नहीं था, या उसमें नहीं आता था,जिससे वह चुना जा सके, तो वह हटाया जा सके। इस वास्ते यह आवश्यक है कि ऐसा भी प्राविजन रखा जाय कि ऐसा व्यक्ति जिस समय भी पता चले हटाया जा सके।

मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन पर सदन विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने चार संशोधन हैं। एक माननीय राजेन्द्रसिंह जी का, दूसरा माननीय जगन्नाथ लहरी का, तीसरा माननीय उग्रसेन का और चौथा माननीय सजीवनलाल का।

माननीय उग्रसेन तो जेल में हैं। बाकी तीनों में माननीय जगन्नाथ लहरी का संशोधन व्यापक है। वह परिधि बढ़ाने के बारे में भी कहता है और उसमें रिपोर्ट देने का समय भी ज्यादा है। इसलिये मैं उनको इजाजत देता हूं कि वह अपना संशोधन प्रस्तुत करें। दूसरे माननीय सदस्य उस पर भाषण कर लेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज (संशोधन) विधेयक पर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व कि हम खंडों पर विचार करें, उससे पहले मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन २ दिवस में इस सदन में प्रस्तुत करे। इसके बाद माननीय जगन्नाथ लहरी का प्रस्ताव है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---श्री लहरी का प्रस्ताव सब से व्यापक है। आपने सिर्फ दो दिन का समय मांगा है, उन्होंने १५ दिन का मांगा है। साथ-साथ उन्होने विधेयक की परिधि बढ़ाने के लिये भी कहा है। इसलिये मैंने उनको इजाजत दी। आप जितना भाषण करना चाहें इसी पर बोल लेंगे। ऐसी दशा में मैं मजबूर हूं आपको इजाजत देने के लिए।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---श्रद्धा एवं विश्वास के योग्य उपाध्यक्ष महोदय, स्वशासन मंत्री ने जो पंचायतराज (संशोधन) विधेयक पेश किया है मैं उसमें अपना निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जावे कि वह आवश्याकतानुसार उसकी परिधि को भी बढ़ा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी स्वशासन मंत्री के सभा सचिव जी ने कहा कि यद्यपि यह ऐक्ट १९४७ में पास हुआ, लेकिन १९५०, १९५२ और १९५४ में इसमें समय-समय पर संशोधन किये जा चुके हैं। आज पुनः जब कि चन्द दिनों पूर्व ही ग्राम–पंचायतों के चुनाव हुए हैं हम लोगों के समक्ष एक संशोधन आ गया है। संशोधन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खटकने वाली हैं। आज हम लोगों को जो सदन में हैं, इस संशोधन के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि हमें यह संशोधन विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। मैंने इसमें यह भी मांग की है कि इस संशोधन की परिधि बढ़ाने का व्यापक अधिकार भी दिया जाय। ग्राम पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके हमने ग्रामवासियों को सत्ता सुपुर्द की। लेकिन फल यह हुआ कि आज इतनी पार्टीबन्दी है, इतनी फूट और कलह है लोगों के भीतर कि लोग अनियमित कार्यवाही करने में लगे हुए हैं। इसलिये हमें यह भी गम्भीरतापूर्वक सोचना है कि हम जब १९५७ में इस विधेयक में पुनः संशोधन करने जा रहे हैं तो हम उन कारणों के ऊपर भी अच्छी तरह से विचार कर लें जिनकी वजह से गांवों में पार्टीबन्दी, फूट और कलह उत्पन्न हुई है। उसका मुख्य कारण प्रत्यक्ष चुनाव है। जहां हम लोग, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, टाउन एरिया का हो या असेम्बली का हो, पार्लियामेंट का हो, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाते हैं, वहां ग्राम पंचायतों का चुनाव सरे आम एक जगह एकत्रित होकर हाथ उठा कर किया जाता है। ऐसे अवसर पर वह व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपना वोट पाने का विश्वास करता है, जब यह देखता है कि इस अमुक व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया जिसने मुझे देने को कहा था तो उसके हृदय में उसके प्रति कलह और विद्वेष पैदा हो जाता है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथ लहरी––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। उस समय मैंने यह कहा था कि जो ग्राम पंयायतों का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा हो रहा है। ग्रामों में आज हर व्यक्ति इस बात की शिकायत करते हुए पाया जाता है कि एम० एल० ए० और एम० पीज़० का चुनाव तो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन हम लोगों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा कराया जाता है जिससे कि पार्टी बन्दी देहात में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। वह गरीब तथा पिछड़े हुए व्यक्ति जो कि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को या उन बड़े-बड़े धनाढ्य व्यक्तियों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हमें उन्हें विवश होकर उनके लिए अपना हाथ उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने मांग की थी कि इस प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। साथ ही साथ सैकड़ों वर्षों के अनुभव के बाद लोकल बाडीज़ में म्युनिसिपैलिटीज़ की सीमा या नोटीफाइड एरिया की सीमा के भीतर की ज़मीन, जो नज़ूल लैण्ड कहलाती है, उनको पहले जहां म्युनिसिपैलिटीज पट्टा दिया करती थी, अब सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि बोर्डस् के मेम्बर चुने हुए होते थे और वे अपने रिश्तेदारों और अपने घरवालों के नाम अक्सर उस ज़मीन का पट्टा करा

[श्री जगन्नाथ लहरी]

लिया करते थे। इसीलिए अब सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया है। आज गांवों में देखा जाता है कि गांव सभाओं के प्रधान को जो अधिकार मिले हुए हैं कि जो जमींन बेकार पड़ी हुई है उसका वह पट्टा कर सकता है तो इस अधिकार के द्वारा वह अपने सम्बन्धियों, रिश्तेदारों और उन व्यक्तियों के नाम जिनसे उसे लाभ पहुंचता है, उन जमीनों का पट्टा कर रहा है। अतः इस तरह के अधिकार को समाप्त करने के लिए भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं इन चन्द कारणों से यह मांग कर रहा था कि इसकी परिधि भी बढ़ाने का अधिकार दिया जाय।

अब मैं प्रस्तुत विधेयक की तरफ आता हूं। प्रस्तुत विधेयक में भी बहुत सी इसी तरह की बातें हैं जिनपर कि सेलेक्ट कमेटी को विचार करना परमावश्यक है। इसमें जो कलेक्टर, ऐडीशनल कलेक्टर आदि का हवाला दिया है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह सदैव से ही बढ़े हुए समझे जायं। लेकिन, अगर इसको सदैव से बढ़ा हुआ समझा जायगा तो इसका मतलब यह होगा कि अदालतों में जो पेटीशंस पड़ी हुई हैं जो कि इसी ग्राउंड पर की गई हैं कि ऐडीशनल कलेक्टर या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को कोई राइट नहीं है तो वह सारी की सारी पेटीशन्स अस्वीकृत हो जायंगी और उसमें उन्होंने जो पिछले कानून को देखते हुए व्यय किया है, वह सब व्यर्थ चला जायगा। इसलिए इन शब्दों को निकालना भी हमारे लिए परामवश्यक हो जायगा।

खास तौर पर एक चोज और भी है कि ब्लाइंड मैन को इसके चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं मिलेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कि साधन गुप्ता जैसे ब्लाइंड व्यक्ति एक उच्च कोटि के वकील हो सकते हैं और एक लीडिंग एम० पी० हो सकते हैं, एक ब्लाइंड व्यक्ति जब भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट में चुना जा सकता है तो फिर उसे ग्राम सभा का सदस्य चुने जाने से क्यों वंचित किया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर इस तरह का संशोधन हमें करना है तो हमें नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से चलना चाहिए। एम० पी० और एम० एल० ए० होने पर पहले रोक लगानी चाहिए, वर्ना गांव के भाई फिर वही शिकायत करेंगे जो कि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के सम्बन्ध में करते हैं। इसलिए यह रोक लगाना अनुचित है। इसी वजह से मैं यह मांग कर रहा हूं।

एक खास बात और है 'फी और टैक्स के सम्बन्ध में। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं 'फी' शब्द है उसे 'टैक्स 'समझा जाय। 'फी' और 'टैक्स' में कुछ अन्तर है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना टैक्स अदा नहीं किया है तो उस व्यक्ति को निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार नहीं है, वह डिस्क्वालिफाइड समझा जाता है। लेकिन अगर उसकी तरफ 'फी' बाकी है तो उसे चुनाव में खड़े होने से नहीं रोका जा सकता। तो 'टैक्स' और 'फी' में बड़ा अन्तर है और खास तौर पर निर्वाचन में खड़े होने के लिए अधिकार प्राप्त करने में 'टैक्स' और 'फी' बड़ा काम करते हैं। हर 'फी' को 'टैक्स' कर लिया जाय तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जिसकी तरफ 'फी' बाकी होगी, वह 'टैक्स' समझ लिया जायगा और उसे चुनाव से वंचित कर दिया जायगा।

एक खास बात यह भी है कि भारतीय समाज में छुआछूत एक कलंक है। हर बुद्धिमान व्यक्ति छुआछूत गलत समझता है और अनटचेबिलिटी ऐक्ट में अगर किसी को सजा हो जाती है तो वह ग्राम सभा के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एम० पीज० और एम० एल० एज० के चुनाव में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। हमें ऐसा प्रतिबन्ध पहले ऊपर से लगाना चाहिए और बाद में ग्राम पंचायतों पर इसे लागू करें तो ग्रामीण भाइयों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर उन की भावनाओं का आदर नहीं किया तो कहेंगे कि अपने लिए तो सुविधा कर ली और हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया।

इस संशोधन विधेयक को, जैसा कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने कहा है, बड़ा मामूली सा विधेयक है और बहुत थोड़े से संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन ये संशोधन

ऐसे हैं जो स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं। अगर इन संशोधनों को मान लिया गया तो ग्रामीण भाइयों को चुनाव में पग-पग पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनको स्वीकार न करना चाहिए। अतएव मैं स्वायत्त शासन मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को वे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और उसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार दें।

श्री राजेन्द्रसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष--आप प्रस्ताव न रखिये। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्रसिंह--इसको क्यों प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इसके लिए ६ कारण उपस्थित करता हूं। पहला तो यह है कि यह प्रस्ताव पंचायत राज एक्ट से सम्बन्धित है और पंचायतें ९० प्रतिशत जनता से सम्बन्धित हैं।

दूसरा कारण यह है कि आज कल पंचायतों में ५ या ७ वर्ष का टैक्स लोगों पर इकट्ठा हो गया है और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनसे जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है, कुर्की की जा रही है। जब कि पूर्वी प्रदेश अकाल पीड़ित हैं, तो ऐसी हालत में किसानों से कोई टैक्स न लिया जाना चाहिए। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि पंचायतों को उन टैक्सेज को माफ करने के लिए अधिकृत किया जा सके और इसके ऊपर प्रवर समिति गौर कर सके।

तीसरा कारण यह है कि सरकार की लापरवाही से सात वर्ष से पंचायतों के ये टैक्सेज वसूल नहीं हुये। ऐसा न करने से और सरकार की इस लापरवाही से किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान पंचायत टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि वहां पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सके।

चौथा कारण यह है कि डबल टैक्सेज वसूल किये जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतें दोनों ही टैक्सेज वसूल कर रही हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा, गाड़ी, भैंसों, धोबी का गधा, तेली का कोल्हू और नाई का छुरा--इन से दोनों ही टैक्स वसूल कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब कोई धोबी देहात में रहता है तो उस के गधे पर टैक्स पड़ता है और जब वह शहर में चला जाता है तो उस पर टैक्स नहीं पड़ता।

पांचवां कारण इसको प्रवर समिति में भेजने का यह है कि प्रधान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जो गलत टैक्स लगाये गये हैं, उनको समाप्त करने के लिए स्वयं अधिकार प्राप्त कर ले और यदि वह उन अधिकारों का दुरुपयोग करे, तो पंचायत राज अफसर को अधिकार है कि वह उसको देखे, लेकिन नियमों में ऐसा कर दिया गया है कि प्रधान प्रस्ताव भेजे और पंचायत राज आफिसर अपने कमेंट दे कि अमुक व्यक्ति पर टैक्स समाप्त कर दिया जाय या कम कर दिया जाय।

इन सब कारणों से मैं चाहता हूं कि पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय और वह दो दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सदन के सामने पंचायत राज (संशोधन) विधेयक आया है उसके विषय में मुझे कुछ कहना है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें छूट गयी हैं। मुख्य चीज यह है कि अंधों के लिए पंचायत के चुनाव में खड़े होने पर रोक है। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि जब श्री साधन गुप्त जैसे बैरिस्टर पार्लियामेंट में जा सकते हैं तो पंचायतों के लिए अंधे और गूंगों पर रोक क्यों लगायी गयी है?

दूसरा सुझाव यह है कि पूरी मालगुजारी वसूल होकर सरकार के पास चली आती है और पंचायतों के पास कुछ बाकी नहीं रहता है। अगर इसमें से ३० प्रतिशत या कुछ घट बढ़कर

[श्री सजीवनलाल]

पंचायतों में रह जाय तो उनका काम अच्छी तरह से चल सकता है। पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मुख्य कमी यह है कि न तो कभी बजट की मीटिंग होती है और न रबी और खरीफ की मीटिंग बुलायी जाती है बल्कि सीधे पंचायत राज इन्स्पेक्टर या अधिकारी के आदेश आ जाते हैं और टैक्स लग जाता ह। हमारे यहां की जनता इन टैक्सों से परेशान है। यह भली-भांति मालूम है कि इस बार जो टैक्स लगाये गये हैं वह इसलिए कि प्रतिक्रियावादी लोग रहे है और ऐसे सभापति रहे है जो दूसरे व्यक्ति सभापति के पद के लिये खड़े होने वाले थे उन पर फसकर टैक्स लगाया गया और पंचायत में आने से उनको विमुख होना पड़ा।

एक चीज यह भी है कि जो चुनाव हुए हैं उनमें दो गिरोह रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि गांव-गांव में झगड़े, फसाद बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि दंगे, चोरियां और डकैतियां बढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि अगर बैलट से चुनाव कराया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। चुनाव में यह हुआ है कि जीते सभापति को हराया गया है और उस समय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, लिफाफा पंचायत दफ्तर में पहुंचने पर बदला जाता है, और जीते को हराया और हराये को जिताया जाता है। बहुत सी जगह ऐसी घटनायें घटी हैं और अदालत पंचायतों के चुनाव में भी धांधली हुई है। मैजिस्ट्रेट, एम० एल० एज० या डिप्टी वगैर: बैठकर वहां अपने मनमाने आदमियों का चुनाव कराते हैं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस तरह की अनेक घटनायें हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द हो जाय तो इसमें सुधार हो सकता है। इसमें इतनी जल्दी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव अभी हो चुके हैं।

मुझे यह भी कहना है कि १०९ और ११० के अन्तर्गत सजा पाये हुए व्यक्तियों को खड़ा होने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि २०, २५ वर्ष पहले अगर कोई आदमी खराब था और अब सुधर गया हो तो उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी चुनावों में भाग ले सके। सभी लोगों को यह भलीभांति विदित है कि १०९ और ११० के शिकार किसान और मजदूर ही होते हैं और उनको ही जेलखानों की हवा खानी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो और उस में से यह गूंगों और अंधों वाला प्रतिबन्ध हटाया जाय, क्योंकि हमारी इस विधान सभा में ही कई सदस्य ऐसे रहे होंगे, जो गूंगों की तरह बैठे रहे होंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं जो यह संशोधन आया है, इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मुझे यह भी दुःख है कि माननीय सदस्यों ने बहुत लाइट हार्टेडली इन सुझावों को दिया है। एक महाशय तो यहां तक कह गये कि प्रवर समिति बनायी जाय और वह २ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री उपाध्यक्ष---वह सदन के सामने नहीं हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ठीक है, लेकिन वह कह गये। अभी हाल म पहले कमेटी बैठी थी। सन् १९५४ में उसकी रिपोर्ट आयी। फिर जो पंचायत-राज विधेयक पास हुआ था उसको सेलेक्ट कमेटी सन् १९५४ में बैठी, उसनें अपनी रिपोर्ट दी। उसी के मातहत यह विधेयक बना था और उसी के मातहत यह चुनाव सन् १९५६ में हुए जिन की वर्किंग देखने का अभी मौका तक नहीं मिला है, सिर्फ चुनावों की बाबत ही अनुभव हुआ है। सब कमेटियों ने विचार किया, उसके बाद इस हाउस ने विचार किया, वह सब गलत हो गया और अब कहा जाता है कि फिर प्रवर समिति बैठाओ, यह तरीका गलत है।

जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है यह कहना उचित नहीं है कि डंडे से चुनाव हुए। मैं यहां पर बता दूं कि ७२ हजार पंचायतों में से ६८ हजार निर्वाचन हुये। जिनमें से ३६ हजार निर्वाचन बिलकुल निर्विरोध हुए, तो ७३ प्रतिशत के करीब निर्विरोध चुनाव हुए,

सिर्फ करीब ३२ हजार पंचायतों में चुनाव हुए। जहां चुनाव किसी वजह से नहीं हो सके या होने को शेष हैं वह ३,००० के करीब पंचायतें हैं। और यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि १ लाख ३५ हजार हरिजन प्रतिनिधियों को उन में प्रतिनिधित्व मिला और बहिनों को भी वहां पर प्रतिनिधित्व मिला। अगर यह सारी चीजें डंडे के जोर पर हुई होतीं, और सद्भावना के साथ एलेक्शन्स न हुए होते तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले होते। और सच बात तो यह है कि यदि कहीं पर कुछ लड़ाई-झगड़े हुए तो वह दुख की बात है, लेकिन वह इतने कम हैं कि उनका नम्बर दो तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता।

उनको लेकर हम अपने सारे विधेयकों को बदल दें, यह वांछनीय नहीं होगा जब तक कि हम उनकी वर्किंग को न देख लें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में बुरे से बुरा भी अगर हमारा विधेयक है और हमारे भाई जो उसको चलाने वाले हों, उनमें ठीक वृत्ति हो, तो उससे अच्छे से अच्छा परिणाम निकल सकता है और अगर हम अच्छे से अच्छा विधेयक भी बनाकर भेजें और अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी कायम करें, लेकिन उस व्यवस्था को लेकर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें तो कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो लोगों को अच्छा बना सके। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि विधेयक रोज बदले जायं। बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम में अच्छी भावना से काम करने की वृत्ति बढ़े।

जो और २, ३ बातें कही गईं मैं उनका संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूं। जहां तक हरिजन ऐक्ट के बरखिलाफ सजा पाये हुए को डिसक्वालिफिकेशन का सवाल है, मैं समझता हूं वह बहुत जरूरी है और गांव के अन्दर खास तौर पर जहां पर हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करनी है, एम० एल० ए० और एम० पी० के लिए वह नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो वहां बाधक नहीं हो सकती हैं। वहां हमारा एलेक्टोरेट इतना बढ़ा है कि जो अनडिजायरेबिल आदमी है वह मुश्किल से चुना जायगा क्योंकि हजारों आदमी उस को वोट देते हैं। छोटे गांव में जहां एलेक्टोरेट सीमित है, अन्धा भी आ सकता है, बहरा भी आ सकता है और गलत आदमी भी आ सकता है। इसलिए यहां पर सभी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए यहां इन चीजों को लगा दिया गया है जो एम० पी० और एम० एल० ए० में नहीं लगायी गयीं। हमारे यहां सूरदास अन्धे हुए हैं, वे अन्धे होने पर भी अच्छे हुए हैं। इस वास्ते आमतौर पर सभी अन्धे योग्य होंगे यह आवश्यक नहीं है। हमने इन लोगों को इसी वजह से डिस-क्वालिफाई किया है।

मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है और मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने अभी जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि हमारी गांव सभा में इतने चुनाव निर्विरोध हुए थे और हमने चुनाव को इतनी अच्छी तरह से संचालित किया तो क्या वह यह बता सकेंगे कि उन गांव सभाओं में कौन कौन गांव सभायें हैं, जिनमें सदस्यों का चुनाव पैसा न होने से नहीं हुआ और स्थान रिक्त रहा। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---यह इतना व्यापक प्रश्न है कि यदि आप स्वयं भी मन्त्री होते तो इसका जवाब नहीं दे सकते थे।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। इस प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जावे कि वह आवश्यकतानुसार उसकी परिधि को भी बढ़ा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (इ) में शब्द "Constituted" के पश्चात् शब्द "and shall ; respectively, include "Additional Collector", "Additional District Magistrate" and "Additional Sub-Divisional Magistrate" बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़े हुए समझे जायं, तथा

(२) खंड (एस) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (एस एस) के रूप में बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही बढ़ा हुआ समझा जाय—

(*ss*) "Sub-divisional Officer" includes an Additional Sub-divisional Officer designated or appointed as such by the appropriate authority;"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५-ए का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५-ए के—

(१) खंड (१) में संख्या "1947" के पश्चात् विराम-चिन्ह "कोलन" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "or the Untouchability Offiences Act, 1955" बढ़ा दिये जायं।

(२) खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एम) और (एन) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*m*) is blind or dumb ; or

(*n*) has been removed from office under sub-clause (iii) or (iv) of clause (*g*) of sub-section (1) of section 95 unless such period as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as the State Government may have ordered in any particular case has elapsed;" तथा

(३) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिये जायं—

"Provided that the period of disqualification under clauses (*d*), (*g*), (*h*),(*i*), (*j*), (*k*), or (*l*) shall be five years from such date as may be prescribed :

Provided further that the disqualification under clause (*e*) shall cease upon payment of arrears :

Provided also that a disqualification under clauses (*d*), (*g*), (*h*), (*i*), (*j*), (*k*) or (1) may, in the manner prescribed, be removed by the State Government".

श्री उपाध्यक्ष—पहला और दूसरा केवल शाब्दिक संशोधन है जिन्हें मुझे दुरुस्त करने का अधिकार है। अब ३सरा, ४था, ५वां, और ६ठा संशोधन लिये जावेंगे।

श्री मलिखानसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नांकित उपधारा (४) के रूप में बढ़ा दी जाय—

(४) उपखंड (आई) के शब्द "under section" के पश्चात् के शब्द "109 or" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा ५(ए) में (आई) सेक्शन में दिया हुआ है कि १०९ और ११० में जिन को सजा हो जायगी वह पंचायत में किसी भी हालत में खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं आपका ध्यान आज से ७ वर्ष पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं जिस समय इसी सरकारी पक्ष ने तय किया था कि धारा १०९ में पुलिस ने राजनीतिक व्यक्तियों का चालान किया है और उनको जेल के अन्दर बन्द किया है। जब इस सरकार ने अपने हाथ में शासन लिया उस के बाद वही धारा बराबर हम लोगों पर लागू होती रही। किसी की पुलिस से दुश्मनी है या कोई राजनीतिक आदमी है तो उसे पुलिस ने एक स्थान से गिरफ्तार करके दूसरे स्थान से दिखा दिया। आप जानते हैं कि गांव में गरीब लोग रहते हैं। न तो वह गवाह दे सकते हैं और न उन के पास पैसा होता है कि अदालत में मुकदमा लड़ सकें। पुलिस अपने खास-खास गवाहों से बयान दिलाकर उन को सजा करा देती है। ये हमारी आंखों देखी रोजाना की बातें हैं। जो व्यक्ति पुलिस के कहने मे गवाही नहीं देते उन्हें १०९ में गिरफ्तार करके, असलाह ऐक्ट दफा १९ में उन्हें लेकर, चालान कर देते हैं। कहीं-कहीं पर देखा गया कि अनाथ बच्चों को, जिन के पास खाने को नहीं है और फुटपाथ पर घूमते फिरते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वह बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं या गांव समाज में रहते हैं तो उस समय के प्रजातंत्र प्रणाली में किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते।

इसलिये धारा १०९ को जिसमें कि पुलिस अनायास ही लोगों को गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, निकाल दिया जाय। जहां तक धारा ११० का सम्बन्ध है उसमें आसपास के सम्मानित लोगों से बयान लिया जाता है। मोअज्जिज लोग कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिये ११० में लोग कम सजा पाते हैं, लेकिन पुलिस १०९ में अनायास ही लोगों को बंद कर देती है। इसमें जो व्यक्ति फंसते हैं वे निरअपराध होते हैं। इसलिये सदन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस धारा "109 or" को निकाल दे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं पूर्व वक्ता की कही हुई चीजों का समर्थन करना चाहता हूं। मेरा भी यह अनुभव है कि धारा १०९ का दुरुपयोग होता है और अक्सर यह राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं पर लागू कर दी जाती है और धारा १०९ और ११० का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस ने इन दोनों दफाओं को मखौल बना रखा है। पुलिस इन दफाओं के द्वारा उन लोगों पर जुल्म करती है जिन को वह पसंद नहीं करती, या जो उसकी आंखों में खटकते हैं। इसलिये पंचायत राज अधिनियम से इस डिसक्वालीफिकेशन को निकाल दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं इस को स्वीकार नहीं कर सकता। इतने दिनों मुझे भी राजनीतिक जीवन में काम करते हुये हो गये, लेकिन आज से पहले मैंने यह शिकायत नहीं सुनी। ऐसी दशा में मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मलिखानसिंह—श्रीमन्, जब कि जन-संघ का सत्याग्रह चल रहा था उस समय दिल्ली में सैकड़ों लोग इस धारा के तहत गिरफ्तार किये गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नांकित उपधारा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(४) उपखंड (आई) के शब्द "under section" के पश्चात् शब्द "109 or" निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है--

खंड ३ की उपधारा (३) के प्रथम प्रतिबंध की पंक्ति २ में अक्षर और कोष्ट "(i)" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, दफा १०९ और ११० में सजा पाये हुये लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे पंचायतों की प्रधानी के लिये खड़े हो सकें। इस चीज को समाप्त करने के लिये यह संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति जो धारा १०९ और ११० में सजा पाये उनको यह अधिकार न दिया जाय कि वे प्रधानी के चुनाव में खड़े हो सकें। इसीलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भी वैसा ही है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस को भी समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की उपधारा (३) के प्रथम प्रतिबंध की पंक्ति २ में अक्षर और कोष्ठ "(i)" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ लहरी--श्रीमन्, मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं और माननीय स्वशासन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के उपभाग (m) से "Blind" शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, इसको मान लेने में मुझे खुशी होती, लेकिन यह विधेयक पहले कौंसिल में पास हो चका है और अब फिर "blind" शब्द को निकालने के लिये इसे वहां ले जाना पड़ेगा। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि जब फिर कभी कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाय तो उस वक्त लूले, लंगड़े, अंधे जिसको भी आप कहेंगे सब को अधिकार दे दिया जायगा कि वे पंचायत में खड़े हो सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इसको अभी स्वीकार कर लीजिये, यह तो केवल ५ मिनट का काम है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, यहां बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लोग हैं जो एक-एक बाल की खाल निकालते हैं और जरा-जरा सी बात को भी प्रवर समिति में भेजने को कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री जगन्नाथ लहरी से) आप अपना संशोधन लिख कर भेज दें ताकि मैं उस पर राय ले सकूं।

(कुछ दर पश्चात्)

प्रश्न यह है कि खंड ३ की उप-धारा (२) के उपभाग (m) से शब्द "Blind" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के--

(१) खंड (सी) में शब्द "fee" के स्थान पर जहां कहीं यह आया हो, शब्द "tax" रख दिया जाय ; तथा

(२) खंड (इ) में शब्द "fees" और "fee" के स्थान पर शब्द "a tax" और "tax" क्रमशः रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ४-क

श्री राजेन्द्रसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन रखता हूं कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय---

४--क--मूल अधिनियम की धारा ३७ के खंड (१) के पश्चात् खंड (१) A निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय---

"a tax but with the restriction that a person is not assessed on more than one count mentioned in sub-section (1)".

श्रीमन्, यह देखा गया है कि गांवों में एक ही वस्तु पर दो-दो बार टैक्स पंचायतों द्वारा पड़ता है। घोड़े पर अलग, गाड़ी पर अलग और घोड़ा गाड़ी पर अलग। हमारा कहना केवल यही है कि एक ही वस्तु पर दो बार टैक्स न पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चल कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दे और तब आप उसको ठीक करें, इससे अच्छा तो यही है कि माननीय मंत्री महोदय दूरदर्शिता से काम लें और इसको यहीं पर मान लें। अगर विरोधी पक्ष से इस तरह का संशोधन पेश करने की वजह से उसे मानने में वे अपनी मानहानि समझते हों तो मैं इस को वापस लेने को तैयार हूं यदि वे किसी कांग्रेसी सदस्य द्वारा ही संशोधन पेश करवाकर इसे मान लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पहले वापस तो लीजिये। मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस से बड़ी पेचीदगी पैदा हो जायगी और यह भी खतरा इसमें नहीं है कि २ बार टैक्स लग जायगा तो हानि हो जायगी, बहुत सी जगह ऐसे टैक्स हैं कि दो दो बार भी देने पड़ते हैं। इसलिये इसे ऐसे ही रहने दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह---मैं ने माननीय मंत्री महोदय की बात सुनी नहीं, क्योंकि मेरी सीट पर चपरासी महोदय आ गये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---आगे अगर आप देखें तो ऐसा प्राविजन है कि दो बार टैक्स नहीं लग सकेगा। इस में आगे आप (ई) देखें तो उसके होते हुये कोई ऐसा खतरा नहीं रह जाता। इसलिये चलने दिया जाय इस गाड़ी को।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय--

"४--क---मूल अधिनियम की धारा ३७ के खंड (१) के पश्चात् खंड (१) A निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय--

'a tax but with the restriction that a person is not assessed on more than one count mentioned in sub-section (1)'

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजी।)

श्री भजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, विभाजन की घंटी के समय फाटक बन्द हो जाने चाहिये, लेकिन मौका दिया जा रहा है सदस्यों को आने का।

श्री उपाध्यक्ष---घंटी अभी बज रही है, जब तक घंटी बजेगी सदस्यों को आने का मौका रहेगा, घंटी रुकने पर प्रश्न पेश होगा और उस के साथ ही फाटक बन्द होते हैं ऐसा नियम है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय--

४-क--मूल अधिनियम की धारा ३७ के खंड (१) के पश्चात् खंड (१) A निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय--

"a tax but with the restriction that a person is not assessed on more than one count mentioned in sub-section (1)."

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया किन्तु विभाजन की मांग पुनः नहीं की गयी और अस्वीकृत हुआ।)

नया खंड ४-ख

श्री राजेन्द्रसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४-क के उपरान्त नया खंड ४-ख निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय--

मूल अधिनियम की धारा ३७-सी की उपधारा (३) में शब्द " resolution and" के आगे के शब्द "under such circumstances as may be prescribed" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--अब माननीय सदस्य भाषण नहीं दे सकते क्यों कि इसका समय खत्म हो गया है, अब मैं इस पर राय लूंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह--कृपा करके एक मिनट दे दिया जाय। मैं इस संशोधन के द्वारा प्रधान को यह अधिकार दिलाना चाहता हूं कि वह गलत बंधे हुये कर को समाप्त कर सके। अब तक ऐसा होता है कि प्रधान को इसके लिये पंचायत आफिसर को लिखना पड़ता है। यह तरीका गलत है इसमें बहुत देर लगती है। अगर प्रधान कोई इसका दुरुपयोग करेंगे तो पंचायत आफिसर के यहां अपील की गुंजायश रखी जा सकती है। इसलिये प्रधान को यह हक दे दिया जाय कि अगर टैक्स गलत बंध गये हों तो प्रधान गांव समाज के सदस्यों के प्रस्ताव पर स्वयं गांव ही में गलत टैक्सों को समाप्त कर दे। यदि प्रधान गल्ती करे तो पंचायतराज आफिसर के यहां अपील हो। ऐसा न हो कि प्रधान पहले पास करे, फिर पंचायत राज आफिसर के यहां जाय। चूंकि यह प्रोसेस हो नहीं पाता है इसलिये अन्याय होता है। इसलिये प्रधान को अधिकार दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ४-क के उपरान्त नया खंड ४-ख निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय--

४-ख-मूल अधिनियम की धारा ३७-सी की उपधारा (३) में शब्द "Resolution and" के आगे के शब्द ",under such circumstances as may be prescribed" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ५, ६, १, शीर्षक और प्रस्तावना

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९५ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ९५ की उप-धारा (१) के--

(१) खंड (जी) के--

(१) उप-खंड (३) के अन्त में आया हुआ शब्द "or" निकाल दिया जाय,

(२) उप-खंड (४) के अन्त में आये हुये विराम चिन्ह "फुल-स्टाप" के स्थान पर विरामचिन्ह "कामा" रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "or" बढ़ा दिया जाय,

(३) उप-खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-खंड (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"(*v*) Suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (*a*) to (*m*) of section 5-A". और

(२) खंड (जी) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एच) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

(*h*) remove a person if, having been elected as a Pradhan, he does not possess the qualification specified in section 5-B.

वैधीकरण (validation)

६---सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि---

(क) मूल अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन अथवा अनुसार, उक्त प्रारम्भ से पूर्व किसी एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर द्वारा प्रदत्त समस्त आज्ञायें (उस आज्ञा अथवा निर्णय को छोड़कर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ही रद्द कर दी गई हो या कर दिया गया हो) कृतकार्य अथवा कार्यवाहियां, प्रचारित निदेश अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो यदि खंड (एस एस) मूल अधिनियम की धारा २ का अंश रहा होता तो वैध अथवा उचित रूप से यथास्थिति प्रदत्त, कृत, प्रचारित अथवा प्रयुक्त होते, विधि की दृष्टि से उसी प्रकार वैध और उचित होंगे तथा समझे जायेंगे मानों कि मूल अधिनियम की धारा २ में इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन समस्त सारवान दिनांकों पर प्रचलित थे ।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय एडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर के समक्ष निर्वाचनों को चुनौती देने वाले विचाराधीन समस्त प्रार्थना-पत्र उसी प्रकार निर्णीत किये जायेंगे मानो कि मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (एस एस) के उपबन्ध समस्त सारवान दिनांकों पर प्रचलित रहे हों ।

संक्षिप्त शीर्षनाम, तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को और संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को और संशोधित किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५,६, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों से ज्ञात होगा यह एक बहुत सीधा और निर्दोष संशोधन विधेयक है। ३१ मार्च, १९५६ को गवर्नर महोदय ने एक आर्डिनेंस जारी किया था और उस आर्डिनेन्स के द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये। उनमें मुख्य संशोधन ३ (ए) के उपखंड (१) और (२) में यह था जिसके द्वारा प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार दिया था कि वह बिक्री-कर में कुछ बढ़ोत्तरी कर सकती है यानी इस प्रकार की बढ़ोत्तरी सिंगल प्वांइट बढ़ोत्तरी हो।

इसके अतिरिक्त दूसरी चीज यह भी रखी गयी है कि वह कुछ चीजों पर बिक्री-कर एक आना तक लगा सकती है। ३१ मार्च, १९५६ के गजट में उसको प्रकाशित किया गया और उसमें ही यह अधिकार दिया गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ चीजों की सूची भी दे सकेगी जिन पर कि इसका प्रभाव पड़े। उसके अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन भी इश्यू हुआ। उसमें कुछ चीजों की सूची दी गयी जो कि उत्तर प्रदेश में यदि बेचने के लिये लायी जायं तो उन पर बिक्री-कर एक आना तक हो सके और यदि वह उत्तर प्रदेश में बनायी जायं और बेची जायं तो भी उन पर एक आना तक बिक्री-कर लग सके। उसके अन्तर्गत कुछ लोगों पर बिक्री-कर लगाया गया। जिनमें कि अलीगढ़ का एक आदर्श भंडार भी था। सितम्बर, १९५६ में उनके ऊपर बिक्री-कर लगा जिसकी कि तादाद ७६,००० रु० थी। आदर्श भंडार की तरफ से हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया गया और उस पर निर्णय इस प्रकार का हुआ कि ३१ मार्च, १९५६ को जिस दिन संशोधन किया गया उसी दिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था कि नोटीफिकेशन भी इश्यू होता और चूंकि वह नोटीफिकेशन अवैध था, इसलिये हाईकोर्ट ने, जो बिक्री-कर असेस किया गया था, उसे रद्द कर दिया। उसकी जो भी कुछ कानूनी स्थिति थी वह ठीक थी। और इसीलिये सरकार ने उचित समझा कि यह निर्दोष सा विधेयक इस सदन के सामने पेश किया जाय। इसमें एक चीज कहनी बीच में रह गई कि जो आर्डिनेंस ३१ मार्च, १९५६ को गवर्नर महोदय द्वारा जारी किया गया था उसको फिर विधेयक के रूप में इस सदन के सामने रखा गया और वह ऐक्ट बन गया और वह बिक्री-कर संशोधन ऐक्ट, १९५६ के नाम से हमारे सामने है। उस ऐक्ट के द्वारा जो संशोधन किये गये उन संशोधनों में जो संशोधन इसके सम्बन्ध में था कि कुछ चीजों के सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति हो सकती है और कुछ चीजों पर बिक्री-कर बढ़ाया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में यह था कि वह पहली अप्रैल से प्रारम्भ हो। चूंकि उसका प्रारम्भ होना पहली अप्रैल से था और नोटीफिकेशन में जिन चीजों को प्रकाशित किया गया उन पर भी बिक्री-कर पहली अप्रैल से बढ़ाया गया था तो इसमें उपखंड १ में पहली अप्रैल के बजाय ३१ मार्च, १९५६ कर दिया गया है। अतः माननीय सदस्य पढ़ लें तो यह बहुत स्पष्ट हो जायगा और कोई विवाद का अधिक स्थान नहीं रहेगा।

अब इसके खंड २ के उपखंड (२) को भी देख लिया जाय:

"(२) यह धारा, धारा ३ का उतना अंश जो संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबंधक के प्रतिस्थापन (substitution) से सम्बद्ध है, तथा धारा ४, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ पर तभी से प्रभावी होंगी और प्रभावी हुई समझी जायंगी।"

---

*२२ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

तो इसमें बहुत स्पष्टरूप से १ अप्रैल की तारीख को बदल कर ३१ मार्च, १९५६ कर दिया गया है जिससे नोटीफिकेशन जो ३१ मार्च को जारी किया गया और जिसका प्रभाव पहली अप्रैल से पड़ने को था उसमें जो कानूनी दिक्कत हुई हाई कोर्ट के फैसले से उसको ठीक किया जा सके और जो पहले बिक्री-कर ऐक्ट में संशोधन किया गया था उस संशोधन का प्रभाव ठीक रह सके और उसके द्वारा जो उसका इच्छित फल था वह पूरा हो सके इसी दृष्टि से इसमें यह संशोधन किया गया है। मुझे पूरी आशा है यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। माननीय उप-वित्त मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को बहुत निर्दोष बताया। वास्तव में इस सरकार के द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्य निर्दोष ही हुआ करते हैं और उनको दोषी बतलाना भी दोषपूर्ण कार्य है। कम से कम सरकार की दृष्टि में दोषपूर्ण है ही।

श्री उपाध्यक्ष---पता नहीं यह दृष्टि दोष किधर है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इसीलिये आपकी सहायता भी चाहते हैं कि दृष्टि दोष आप स्पष्ट कर दें। कहा यह जाता है कि इस विधेयक का तात्पर्य कुछ नहीं केवल हाईकोर्ट के फैसले का आदर करना ही इसकी मंशा प्रतीत होती है। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि आर्डिनेंस जारी करने का जो सरकार का अधिकार था तो आर्डिनेंस जारी करने के बाद विज्ञप्तियां जारी की गईं तो विज्ञप्तियां ३१ मार्च को जारी हुईं और हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से अध्यादेश जो था वह पहली अप्रैल से व्यवहृत हुआ, इसीलिये उन्होंने कहा कि विज्ञप्तियां अध्यादेश के अनुसार पहली अप्रैल को निकाली जा सकती थीं ३१ मार्च को नहीं।

मेरा निवेदन श्रीमन्, यह है कि सरकार ने वास्तव में इस विधेयक को लाकर हाईकोर्ट के उस फैसले की अवहेलना की है। हाईकोर्ट का यह मंतव्य नहीं था कि आप या हम इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य एक संशोधन विधेयक लाकर हाईकोर्ट के फैसले के मंतव्य को उलट दें और अब एक साल से अधिक जब बीत चुका है तब हम एक ऐसा फैसला करें कि हम रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दें उसको और एक प्रतिगामी रूप से हम पुनरीक्षण करके पुनर्विचार करके जो एक गलती सरकार से हुई है उसको आज दुरुस्त करें। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा की गई एक भयंकर भूल की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया कि सरकार ने एक दिन पहले ही सेल्स टैक्स जारी करने के अपने आदेश में, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि अपने आदेश में ही सरकार ने यह किया कि विज्ञप्ति और आर्डिनेंस साथ ही जारी कर दिये और ३,५३४ आर्डिनेंस का नम्बर था शायद और ३,५३६ या उसके कंटीन्यूएशन में ही उसका, विज्ञप्ति का भी नम्बर हो गया। तो सरकार को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए और भूल स्वीकार करने का तरीका संशोधन विधेयक लाकर नहीं बल्कि विज्ञप्ति को ही निरस्त करने का होना चाहिए था। जो आपने अवैध रूप से, असंगत रूप से, अवैधानिक रूप से अयुक्तियुक्त पूर्ण जो आपने विज्ञप्ति निकाली, उस विज्ञप्ति का विड्राअल कर लेना चाहिए था। सरकार ने ऐसा नहीं किया और सरकार आज हमसे अधिकार चाहती है कि हाईकोर्ट के उस फैसले के नाम पर हम इस संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लें। मैं समझता हूं कि सदन का बहुमत अगर अपने वाह्यान्तर से नहीं तो कम से कम अपने अभ्यान्तर से, अपने अन्त:स्तल से तो मेरे इस सिद्धान्त का समर्थन ही करेगा और इसको स्वीकार करेगा कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकार न किया जाय।

मेरी आपत्ति के कुछ अन्य कारण भी हैं। अगर श्रीमन्, आप देखेंगे उद्देश्य और कारणों की तरफ तो पहले पैराग्राफ की अन्तिम पंक्ति की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। वह इस प्रकार है---तदनुसार संशोधित धारा ३ (क) को ३१ मार्च सन् १९५६ से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सप्रभावी बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तो इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का मंशा केवल धारा ३ (क) को ३१ मार्च, १९५६ से सप्रभावी बनाने का है। लेकिन अगर हम विधेयक के टेक्स्ट को देखें, विधेयक की धाराओं को देखें तो केवल धारा ३ (क) ही संशोधित नहीं की गई है बल्कि अन्य धाराओं को भी लिया गया है। इसमें धारा ४ का भी जिक्र है, धारा २ का भी जिक्र है, धारा ५ से ९ तक का भी जिक्र है, धारा ११ और १५ का भी जिक्र है। धारा ११ और १५ आप देखेंगे वह ३१ मार्च से लागू नहीं हो रही हैं। फिर धारा १० और १६ उस दिन से लागू होंगी जिस दिन के लिए कि गजट में कोई दिनांक प्रस्तावित किया गया हो। धारा १२ और १३ के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि यह पहली अप्रैल से भी पहले से लागू होंगी। तो यह विधेयक स्वतः अपने उद्देश्य और कारण के विपरीत जाता है। केवल धारा ३ (क) में ही इसको संशोधित नहीं किया गया है बल्कि सम्पूर्ण अधिनियम की धारायें विभिन्न दिनांकों से एक अत्यन्त अस्तव्यस्त रूप से लागू करने की बात सोची गई है। मैं समझता हूं कि शायद सेल्स टैक्स कमिश्नर या सेल्स टैक्स विभाग के एक्सपर्ट लोग यह तय कर पायेंगे कि कौन सी धारा किस तारीख से लागू हो और इसमें यह भी देखेंगे कि इसमें "यह धारा" का भी जिक्र किया गया है। यह "यह धारा" कौन सी धारा होगी, स्पष्ट नहीं है। तो मैं समझता हूं श्रीमन्, कि इस प्रकार से सरकार को मन चाहे जिस धारा को जिस दिनांक से लागू करने का अधिकार हमें उचित नहीं है।

मैं तो यह भी कहूंगा कि जिन विज्ञप्तियों को सप्रभावित बनाने की चेष्टा इस संशोधन विधेयक द्वारा की जा रही है उनको तो सदन ने स्वीकार भी नहीं किया है और न उनको जनता ने ही स्वीकार किया है और स्वयं सरकार को अपने बजट भाषण में यह कहना पड़ा है कि हम उन विज्ञप्तियों का आशय खुद नहीं मानते। बहुसूत्रीय बिक्रीकर उन विज्ञप्तियों में आपने लगाया जैसे खाद्यान्नों पर, कपड़े पर और नमक पर भी जिसे बाद में आपने वापस ले लिया। ३१ मार्च, की विज्ञप्ति वह है जिसको सदन ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब सरकार यह कहती है कि १ अप्रैल से लगा हुआ उन विज्ञप्तियों को माना जाय जिन विज्ञप्तियों के औचित्य को सरकार स्वयं नहीं मानती, उनको हमसे इस प्रकार स्वीकार करवाना कहां तक न्यायसंगत है? मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार यह क्यों चाहती है कि ३१ मार्च को जो विज्ञप्तियां निकाली गई हैं उन्हीं को वैलिड किया जाय और सरकार यह क्यों चाहती है कि जो आर्डिनेंस उसने खुद पहली अप्रैल को निकाला उसको हम यह मान लें कि वह ३१ मार्च से निकला हुआ है।

मैं तो समझता हूं कि यह वैधानिक प्रश्न भी इसमें उलझा हुआ है। हमको यह ताकत ही नहीं है कि हम कोई आर्डिनेंस निकाल सकें। आर्डिनेंस तो केवल गवर्नर महोदय ही निकाल सकते हैं, संविधान के अनुसार। गवर्नर महोदय ने वह जो आर्डिनेंस निकाला उस पर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि वह पहली अप्रैल को निकाला गया, ३१ मार्च को नहीं। यह फैसला हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स ऐक्ट के मुताल्लिक नहीं दिया है, आर्डिनेंस के नाम है। तो किस प्रकार सरकार यह कह सकती है कि आर्डिनेंस जो पहली अप्रैल को निकाला गया है वह ३१ मार्च से निकाला हुआ माना जायगा हम अपने ऐक्ट को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आर्डिनेंस को संशोधित नहीं कर सकते। लेकिन न जाने किस कानूनी छू मन्तर से सरकार यह हमसे मनवाना चाहती है कि इस विधेयक को संशोधित करके आर्डिनेंस ३१ मार्च से निकला हुआ मान लिया जाय। यह मेरी समझ में एक कानूनी गुत्थी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को काफी कानून का अनुभव है, तो वह अपने कानूनी सलाहकार से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करा लें। मैं तो यही समझता हूं कि आर्डिनेंस को हम एक दिन भी नहीं सरका सकते। यह मेरी दूसरी आपत्ति है इस संशोधन विधेयक के बारे में।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस पर पुनः विचार करें और इस निरर्थक संशोधन विधेयक को वापस लेने की कृपा करें तो स्वयं अपने को भी अनुग्रहीत करेंगे, अपनी सरकार को भी करेंगे और हमारे प्रति धन्यवाद के पात्र होंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं अपने मित्र नारायणदत्त जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने कुछ उन शंकाओं को सदन के सामने रक्खा जिनको कि आम तौर से बहुत सरल ढंग से समझा जा सकता है और जिनके सम्बन्ध में सम्भवतः दो मत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने एक तो इस बात का जिक्र किया कि हाई कोर्ट के इस निर्णय का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके विरोध में कुछ कर रहे हैं और उनका तात्पर्य यह था कि हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान यह होता कि आर्डिनेंस को वापस लेते या जो नोटीफिकेशन ईश्यू किया था उसको वापस ले लेते। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र के कहने का तात्पर्य यह था कि उस आर्डीनेंस के अन्तर्गत जो सेल्स टैक्स लगाया गया उसको वापस करते। इस आर्डीनेंस के अन्तर्गत जो बाद में यहां दूसरा संशोधन विधेयक बना और वह विधेयक पारित होकर अधिनियम बना उसको वापस लेते और सारी कार्यवाही करके इस प्रदेश का, जिसके हितचिन्तन में, मेरा खयाल है कि नारायणदत्त जी भी रत रहते हैं, हम कितना हित कर पाते हैं, यह मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं ऐसा विचार करता हूं कि उच्च न्यायालय के निर्णय का इससे अधिक सम्मान और क्या होगा कि उसके निर्णय के अनुसार हम यह जानते हुये भी कि इसके सम्बन्ध में दो रायें हमेशा हो सकती हैं और प्रसंगवश मैं इतना जिक्र करूं कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा २२ भी संशोधित हो चुकी थी और इस प्रकार के नोटीफिकेशन यदि इश्यू हों तो उनको व्यवहृत किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे उच्च न्यायालय का निर्णय है, हमने उसे स्वीकार किया और उसको सम्मान प्रदान कर सकें तो इससे अच्छा रूप और क्या होगा? हम एक विशेष विधेयक के द्वारा, इसको वही रूप प्रदान कर रहे हैं जिसका इंगित उच्च न्यायालय ने किया है।

उन्होंने एक शंका उठाई कि उद्देश्य और कारणों में सरकार ने इतना किया कि हम जो खंड ३ के उपखंड (३) का संशोधन कर रहे हैं उसकी तारीख ३१ मार्च होनी चाहिये लेकिन उनके कथन के अनुसार हमने कई खंडों और उपखंडों में तारीख तब्दील कर दी है। मैं उनसे और आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो आर्डीनेंस के बाद में यहां अधिनियम बना, यदि उसकी धारा २ को और उसके बाद धारा ३ और ४ को पढ़ा जाय तो यह चीज बहुत स्पष्ट हो जायगी, इस अधिनियम में धारा २ जैसी कि यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ संशोधित अधिनियम यू० पी० सेल्स टैक्स अध्यादेश के स्थान पर दूसरा अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५६ है उसमें धारा २ में वह तारीखें दी गई हैं जिन पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं को व्यवहृत किया जायगा यानी जब से वह जारी होंगी। इसी धारा २ में यह जिक्र है कि---

"This section and the amendments to the U. P. Sales Tax Act, 1948 (hereinafter called the Principal Act) made by sections 2 to 9 and 11 to 15 shall, subject as herein provided, have and be deemed to have effect on and from the 1st day of April, 1956".

इसमें कहा यह गया था कि २ से ९ और ११ से १५ धाराओं के द्वारा जो संशोधन मूल अधिनियम में किये गये हैं उनको पहली अप्रैल से व्यवहृत रूप प्रदान किया जायगा, लेकिन जो विधेयक अब सदन के सामने रखा गया है उसकी धारा २ को कई भागों में बांटा गया है और उसके उपखंड २ के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ३ में जो संशोधन किया गया है वह मूल अधिनियम की धारा ३ और ४ के जरिये से किया गया था। उनको ३१ मार्च को हम शुरू कर सकें, बस इसके लिये हमने खंड २ के उपखंड (२) में इतना सा अन्तर किया है इसके अतिरिक्त हमने कुछ नहीं किया है। बाकी संशोधक अधि-

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नियम ५६ को जैसा रूप प्रदान किया गया था २ से ९ तथा ११ से १५ में जो तारीखें दी गई हैं उनमें आगे जाकर उसी प्रकार से तारीखें रख दी गई हैं। यह केवल शाब्दिक संशोधन है। धारा ३, ३-ए और उसके उपखंड (१) और (२) को १ अप्रैल के स्थान पर ३१ मार्च से व्यवहृत रूप प्रदान करने की बात है।

मेरे मित्र ने एक और जिक्र किया कि अच्छा होता अगर हम नोटीफिकेशन की तारीख को बदल देते। इसी के लिये तो हाई कोर्ट ने आदर्श भंडार की रिट को मंजूर किया है कि नोटीफिकेशन की तारीख पहले नहीं हो सकती बाद में होनी चाहिये। आर्डिनेंस जो था उसका निफाज पहली अप्रैल से हुआ था और इस ३, ३-ए और उसका उपखंड (१) और (२) का भी निफाज पहली अप्रैल से था। इसके लिये हमारी बहस रही कि उसकी निफाज के बाद की रहा। हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आर्डिनेंस को व्यवहृत रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक इसका निफाज नहीं हो सकता। इसलिये ३१ मार्च को आर्डिनेंस का रूप प्रदान किया है और पहली अप्रैल से उसको व्यवहृत रूप प्रदान कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के साथ चलने के लिए ही हमें यह करना पड़ा।

मेरे मित्र ने यह भी जिक्र किया कि आप आर्डिनेंस को कैसे तब्दील कर सकते हैं। आर्डिनेंस तो गवर्नर महोदय ने जारी किया था। ठीक है आर्डिनेंस तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब यह सदन बैठा नहीं रहता तब जारी किये जाते हैं। सदन ३१ मार्च, १९५६ को बैठा नहीं था। सदन जैसे ही बैठा था, जो अध्यादेश था उसको नियमित रूप प्रदान किया गया था और यहां विधेयक आया जिसका नाम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ है, उसका अधिनियम बना। उसमें इसकी व्यवस्था है कि ३१ मार्च वाला अध्यादेश जो गवर्नर साहब ने जारी किया था उसक अनुसार ३१ मार्च से यह दो काम हो सकते थे। उस तारीख से जो-जो काम हुये उनको वेलिडेट करने के लिये अधिनियम बना। आज हम आर्डिनेंस को अमेंड नहीं कर रहे हैं। बल्कि उस अधिनियम को अमेंड करता हूं जिस अधिनियम में आर्डिनेंस के द्वारा जो कार्य हुआ उसको वैलिडेट करता है। मेरे खयाल में मेरे मित्र ने मुझ से कहा था कि मैं इसको वापस ले लूं और वह मुश्किल से मुझे इस सम्बन्ध में कह सके, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यदि मेरे मित्र यह समझते हैं कि मैंने उनकी बातों का उत्तर दिया है और शायद उनको कुछ विश्वास भी हुआ होगा कि यह एक निर्दोष संशोधन है और केवल हाई कोर्ट को सम्मान प्रदान करने के लिये है तो वह भी इसको स्वीकार करेंगे और सदन भी इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट १९, १९५६ की धारा १ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १ की उपधार, (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा इसे सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय :—

"(२) यह धारा, धारा ३ का उतना अंश जो संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबंधक के प्रतिस्थापन (substitution) से सम्बद्ध है, तथा धारा ४ दिनांक ३१ मार्च, १९५६ पर तथा से प्रभावी होंगी और प्रभावी हुई समझी जायंगी।

तथा धारा २, धारा ३ के अवशिष्ट भाग (remaining portion) धारायें ५ से ९ तक, तथा धारायें ११ से १५ तक, एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये दिनांक १ अप्रैल, १९५६ पर तथा से प्रभावी होंगी और प्रभावी हुई समझी जायंगी,

तथा धारायें १० और १६ ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा १२ तथा १३ द्वारा किये गये संशोधन दिनांक १ अप्रैल, १९५६ के पहले के किसी वर्ष के कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे वे निर्धारण किसी भी स्तर तक पूरे हो गये हों या नहीं हो गये हैं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं हो गये थे।"

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ६ में शब्द "होंगी" के पश्चात् विराम चिन्ह "।" रख दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "और प्रभावी हुयी समझी जायंगी" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यह केवल एक शाब्दिक और भाषा को बेहतर बनाने के लिये संशोधन है। इसलिये मैं समझता हूं कि और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ६ में शब्द "होंगी" के पश्चात् विराम चिन्ह "।" रख दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "और प्रभावी हुयी समझी जायंगी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १० में शब्द "होंगी" के पश्चात् विराम चिन्ह "।" रख दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "और प्रभावी हुई समझी जायेंगी" निकाल दिये जायं।

यह संशोधन भी उसी प्रकार से है जैसा कि मैं उपस्थित कर चुका हूं। इसलिए मैं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह भी मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १० में शब्द "होंगी" के पश्चात् विराम चिन्ह "।" रख दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "और प्रभावी हुयी समझी जायेंगी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में अंक "१३" के स्थान पर अंक "१५" रख दिया जाय।

यह मिसप्रिंट था तो इसको ठीक कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह भी स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में अंक "१३" के स्थान पर अंक "१५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "किसी भी स्तर तक पूरे हो गये हों या नहीं हो गये हैं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं हो गये थे" के स्थान पर शब्द "किसी स्तर पर पूरे हो गये हों या नहीं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं" रख दिये जायं ।

यह संशोधन भी भाषा को बेहतर बनाने के लिए पेश किया गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, यह भी स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "किसी भी स्तर तक पूरे हो गये हों या नहीं हो गये हैं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं हो गये थे" के स्थान पर शब्द "किसी स्तर पर पूरे हो गये हों या नहीं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७

यू० पी० ऐक्ट १५, १६४८ । कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १६४८ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट १५, १६४८ । यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १६४८ को संशोधित किया जाय.

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्षनाम, तथा प्रसार प्रारम्भ । १---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १६५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७ जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं जानना चाहता हूं कि इसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश आ गयी है या नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५७, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७

*श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, ९ क्लाजेज का एक छोटा सा संशोधन है जो इस सदन के सम्मुख, औद्योगिक झगड़ा विधेयक के सम्बन्ध में जो अपना ऐक्ट है, उसके सिलसिले में आया है। इन संशोधनों को हमारी विधान परिषद् ने मान लिया है। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हम ने जब पिछली मर्तबा इस भवन में एक अधिनियम पास किया था, उसमें, हिन्दी वरशन में, कुछ थोड़ी सी गलतियां रह गयी थीं। कानूनी सलाहकारों ने हमें सलाह दी कि उन्हें ठीक करने के लिए इस हाउस में संशोधन होना चाहिए। अंग्रेजी के वरशन में वे गलतियां नहीं थीं। २, ३ संशोधन तो उन गलतियों को ठीक करने के सिलसिले में हैं। लेकिन चूंकि सदन के सामने आना ही था, इसलिये और भी जो बातें हमारे सम्मुख इस बीच में आयीं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने वे बातें भी रखी हैं। एक तो औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के लिए एक मशीनरी सरकार ने लेबर कोर्टस् की बनायी है। उस पर कौन लोग प्रिसाइड करेंगे, उनकी सूची तैयार करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा एक समिति का निर्माण होने की बात है। उसमें ४ व्यक्ति हुआ करते थे, एक तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, लीगल रिमेंम्ब्रेंसर, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी। हमारे दिल में यह बिचार आया कि इस समिति में हम अपने प्रदेश के लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधि भी रखें। अस्तु, इस विधेयक में एक स्कीम तजवीज की गयी है कि इस समिति में पांचवां आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या उनका नामिनी भी रहे।

उसी प्रकार से इस विधेयक के द्वारा हमने एक चीज और की है वह यह है कि ट्रेड यूनियन्स के सिलसिले में इस भवन ने जो नियम पारित किये हैं उनमें यह रखा था कि वे ट्रेड यूनियन्स जो मुकदमा करना चाहें, वही ट्रेड यूनियन्स होंगी जिन्होंने कम से कम दो साल की अपनी जिन्दगी काट ली होगी। इसका कारण इस भवन के सामने आ चुका है। इसी बीच में कुछ तैयारियां इस किस्म की हुयीं कि उससे जो भवन की मंशा थी, उसके खिलाफ होने लगा। नन्हें मुन्ने जो ट्रेड यूनियन्स बने थे उन्होंने फेडरेशन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि मुकदमेबाजी को डिसकरेज करने के लिए जो सरकार का उद्देश्य था कि केवल मुकदमे-बाजी के लिए बने हुए ट्रेड यूनियन्स को डिसकरेज किया जाय और अच्छे ट्रेड यूनियन्स ही जो कि प्रान्त में सहकारिता की भावना से बने हों, कार्य कर पायें ताकि श्रमिक वर्ग की सच्ची सेवा हो सके। जब सरकार के सामने इस बात के प्रमाण आये तो यह खयाल हुआ कि हम इस भवन के सामने तो आ ही रहे हैं इस कठिनाई को भी दूर कर लिया जाय। अस्तु, मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रतिबन्धात्मक क्लाज के अधीन वही फेडरेशन्स मुकदमें की पैरोकारी कर सकेंगे जो उन नियमों के अन्तर्गत आते हों जो नियम सरकार बनाये, यह कर दिया जाय।

इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में एक चीज और थी। भारतीय संसद ने इस विषय में जो नियम बनाये थे उनके अनुसार हमारे इस कानून में एक चीज न थी वह यह है कि हड़ताल और तालाबन्दी किन हालतों में नहीं हो सकती। भारतीय संसद ने १९४७ के अपने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में एक तरमीम १९५६ में की थी और उसमें एक क्लाज जोड़ा था जिसके अन्तर्गत यह तय कर दिया था कि कोई भी औद्योगिक संस्था निम्नलिखित हालतों में हड़ताल नहीं करा सकती है और कोई भी मालिक इन हालात में ताला बन्दी नहीं कर सकेगा अर्थात् मालिक और मजदूरों को तालाबन्दी और हड़ताल के हक देने में नियंत्रण का सिलसिला शुरू हुआ और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† ७ मई, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इसका अच्छा असर देश के आर्थिक ढांचे पर पड़ा। उसके मुताबिक यह था कि किसी मामले में यदि औद्योगिक झगड़ा किसी पंच निर्णय के सामने गया हुआ है, कन्सिलिएशन बोर्ड में है तो कोई भी मालिक तालाबन्दी नहीं कर सकता और कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता। हमने जो कानून बनाया था, उसमें यह चीज नहीं थी, लेकिन उसकी धारा ३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार से सरकार ने ऐसे नियम बना दिये थे, जिस से केन्द्र के कानून की धारा २३ के अनुसार हो जाय। अब यह सोचा गया कि अब तक तो इस बात को हमने अपने नियमों के द्वारा चलाया है अब क्यों न इसको अधिनियम के द्वारा लागू कर दिया जाय, क्योंकि हमारे और केन्द्र के जो कानून हैं उनमें थोड़ा बहुत ही अन्तर है, परन्तु बुनियादी तौर पर यकसां हैं।

तो एक रूपता लाने के लिए और पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को प्रापरली एक्वीटी करने के लिए, उसको लीगल शेप देने के लिए हम इस अमेंडमेंट बिल को आपके सामने लाये हैं क्योंकि इस विधेयक में और कोई बात ऐसी बड़ी नहीं है। माननीय सदस्यों की राय सुनने के बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पुनः उनके समक्ष अपनी स्थिति पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मुझे भरोसा है कि इस विधेयक के स्पिरिट और उसके बैकग्राउन्ड को मद्देनजर रखते हुए माननीय सदस्य लोग इस पर ध्यान देंगे और इस भवन का पूरा सहयोग इसके पास होने में मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने ४ संशोधन हैं। एक तो श्री राजेन्द्रसिंह जी का है, दूसरा श्री भगवतीसिंह विशारद का है, तीसरा श्री उग्रसेन जी का है और चौथा श्री जगन्नाथ लहरी का है। उग्रसेन जी चूंकि जेल में हैं इसलिए उस संशोधन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद के संशोधन को पहले लूंगा क्योंकि इसमें तीन महीने की बात है। अगर यह गिर जाय तो फिर मैं एक महीने वाला संशोधन जो सदन द्वारा स्वीकृत हो सकता है, लूंगा। इस तरह से दूसरे नम्बर पर श्री राजेन्द्रसिंह का संशोधन है और तीसरे नम्बर पर श्री जगन्नाथ लहरी का संशोधन होगा। इस तरह से तीनों संशोधनों पर मैं सदन का मत लूंगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ को तीन मास तक राय प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु घुमाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या एक गत्यात्मक समस्या है, इस पर युग और समाज से अलग विचार नहीं किया जा सकता है। युग के साथ-साथ धारणायें भी बदलती ह और मान्यतायें भी बदलती हैं और इस बदलती हुई परिस्थिति में सरकार भारत की इस औद्योगिक सम्बन्धों की मान्यताओं को नहीं रोक सकती है। सन् १९२०, २१ में जब कि हमारा ट्रेड यूनियन का मूवमेंट शुरू हुआ था, उस समय मजदूर केवल मजदूर था, कारखाने में वह सिर्फ इसलिए जाता था कि वह दूसरों के लिए काम करे, लेकिन आज मजदूर केवल मजदूर नहीं रह गया है। अब उसका दावा यहां तक पहुंच गया है कि वह उत्पादन में भी साझीदार और भागीदार बने और आज उसकी इस मान्यता को, उसकी इस मांग को समाज ने किसी न किसी रूप में स्वीकार भी कर लिया है। इस तरह के बढ़ते हुए दबाव के कारण, मजदूरों की निरन्तर बढ़ती हुई मांगों के कारण आज की केन्द्रीय सरकार को भी विवश होकर इस बात पर विचार करना पड़ रहा है। आज केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है कि मजदूरों को भी प्रबन्धकों के बीच में बैठा कर, उन्हीं की हैसियत से उनको भी प्रबन्ध में हिस्सा लेने दिया जाय।

हमारे सामने मजदूरों के मामलों में एक यह स्थिति है और इसके साथ-साथ दूसरी स्थिति यह है कि कानपुर काटन मिल और बी० आई० सी० जिनके सम्बन्ध में बन्द होने का नोटिस दिया जा चुका है, यद्यपि आज सदन में उपमन्त्री जी ने सूचना दी है कि अब वह मिल बन्द

नहीं होगी, लेकिन उनके बन्द होने की जो शंकायें हैं वह अभी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। और मिलों के बन्द होने की भी आशंका हो सकती है और इसका असर जो मजदूरों पर पड़ रहा है वह यह है कि मजदूर न्याय नहीं पा रहे हैं और उनको मालूम नहीं है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं। एक दूसरी तस्वीर उनकी यह है कि जो हमारे सामने है। हम समझते थे कि श्रम मन्त्री जी जो संशोधन विधेयक लायेंगे, उसमें वह अपने सामने यह तमाम परिस्थितियां रखेंगे, लेकिन हमें अफसोस है कि जो संशोधन विधेयक हमारे सामने विचार के लिए रखा गया है वह हमारी उन भावनाओं को किसी तरह भी मान्यता प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि उनको ठेस ही पहुंचा रहा है।

व्यावसायिक संगठनों का संगठन तो इसलिए किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में मजदूरों की सही-सही सेवा कर सकें। उनमें इस प्रकार संगठन कर के सामूहिक सौदे के रूप में, परामर्श के रूप में, वे अपने सदस्यों की सेवा करते हुए मिल मालिकों से सामूहिक सौदा और परामर्श कर सकें। जहां भी अवसर मिले वह अपने सदस्यों की ओर से उपस्थित भी हो सकें, लेकिन इस संशोधन विधेयक में मन्त्री जी ने मजदूरों का वह अधिकार भी छीनने की चेष्टा की है। उन्होंने बड़ी सफाई से कहा कि नन्ही-मुन्नी यूनियनें बन जाती हैं जो मुकदमें बाजी कराती हैं। मैं समझता हूं जिनके वह प्रतिनिधि हैं उनके लिए मुकदमेबाजी करना कोई बुरी बात नहीं है। आई० एन० टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर सभा और जितने भी फेडरेशन्स हैं, उनका यह भी काम है कि वे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़े तो मुकदमें-बाजी भी करें। आज जो यूनियनें बनायी जाती हैं उनको क्यों इस बात से रोका जाता है कि वे अपने सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में किसी कन्सीलियेशन बोर्ड में या दूसरी जगह उपस्थित हो सकें। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश के बाहर इस देश में और इस देश के बाहर दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जहां पर किसी मजदूर संगठन को इस बात से रोका जा रहा हो कि वह अपने सदस्यों की ओर से कहीं पर पैरवी न कर सके। आप देखें कि तमाम यूनियनें बनती हैं, उनके प्रतिनिधि न्यायालयों में जाते हैं, उनका वार्षिक आय-व्ययक रजिस्ट्रार के यहां भेजते हैं और उन की ओर से तमाम दूसरी कार्यवाही करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि उन्हें यह हक क्यों न प्राप्त हो कि वे कन्सिलियेशन बोर्ड या लेबर कोर्ट्स में जाकर अपने मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर सकें? अपने सदस्यों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए वह वहां क्यों न जायं? मैं समझता हूं कि उनको रोकना उनके अधिकार पर कुठाराघात है। हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई भी मजदूर लेबर मिनिस्टर नहीं हुआ। एक ऐसे सज्जन उपमन्त्री जरूर हो गये हैं जिनका मजदूर संगठनों से थोड़ा सा सम्बन्ध है, लेकिन कोई मजदूर यहां पर अभी लेबर मिनिस्टर हो कर नहीं बैठा है और अगर कोई बैठेगा तो इस तरह के सड़े हुए कानून बनाने के लिए पेश नहीं किये जायेंगे।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज एक कांस्ट्रक्शन कम्पनी है। उस ने गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कन्ट्रैक्ट कांस्ट्रक्शन करने के लिए लिया। महीने भर, दो महीने, साल भर, डेढ़ साल, में उसने कांस्ट्रक्शन किया। सारा काम खत्म कर दिया। वहां के मजदूरों में झंझट पैदा हुआ। अब वहां के मजदूर किस यूनियन की मार्फत अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, वहां के विवादों को किस तरह से दुरुस्त कराया जा सकता है? क्योंकि आप के नुस्खे के मुताबिक, आप के इस संशोधक विधेयक के मुताबिक यूनियनों को दो साल पुरानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप का मंशा यह है कि किसी आदमी को अगर रात में खांसी आये, तो पहले से दवा दारू का इन्तजाम कर ले। इस प्रकार हमारी समस्या कैसे निबटेगी। वह कांस्ट्रक्शन कम्पनी यहां से मुनाफा लेकर दूसरे प्रदेश को चली जायगी, लेकिन उस कम्पनी में काम करने वाले मजदूरों के विवाद, आपके नुस्खे से ज्यों के त्यों पड़े रह जायेंगे।

मैं आपके द्वारा श्रम मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आज यहां पर एक अल्मूनियम का कारखाना खुलता है। उसके मजदूर कैसे अपनी समस्याओं को सुलझायेंगे, क्योंकि

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

दो साल तक उनको इन्तजार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी यूनियन दो साल पुरानी नहीं हुई है। जब वह दो साल बासी हो जायगी तब उनके विवाद कन्सिलियेशन बोर्ड, ऐडजुडिकेशन, और लेबर कोर्ट में लिये जायेंगे। श्रम मन्त्री जी कहते हैं कि हम मजदूरों को बहुत जल्दी और सस्ता न्याय देना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में यह रोड़ा अटकाना चाहते हैं कि हम दो साल तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहें कि हमारी यूनियन पुरानी हो जाय। साथ ही साथ श्रम मन्त्री जी बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि आप क्यों नहीं किसी फेडरेशन में शामिल हो जाते हैं। उसकी मार्फत अपने मुकदमें करा सकते हैं। मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक उनकी ओर से जितना भी प्रचार हुआ, जितनी भी विज्ञप्तियां निकलीं, उनमें इस बात के लिए मजदूरों को सदैव प्रोत्साहित किया गया कि राजनीतिक झगड़ों में मत पड़ो। मजदूर को राजनीतिक दलबन्दी से दूर रहना चाहिए। न तुम को कांग्रेस से, न तुम को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और न तुम को कम्युनिस्टों से मतलब रखना चाहिए। मजदूर तो सीधा सादा मजदूर है उसको उत्पादन बढ़ाना चाहिए, देश की सम्पत्ति को बढ़ाना चाहिए। मैं भी उनकी इस राय पर अपने को सहमत पाता हूं और मैं कहता हूं कि ठीक है मजदूर को उत्पादन बढ़ाना चाहिए, देश की सम्पत्ति को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज मैं इस विधेयक को देख कर यह समझा कि इतने दिनों से जो प्रचार कर रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, गलत कह रहे थे। अब उन्होंने अपने को दुरुस्त किया है और वह मजदूरों को राजनीतिक दलबन्दी में डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि मजदूरों की जितनी भारतीय फेडरेशन हैं, आई० एन० टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर सभा, ए० आई० टी० यू० सी० सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित हैं। मैं आप के द्वारा माननीय श्रम मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि एक यूनियन ऐसी है जिसके सभापति कांग्रेसी हैं, मन्त्री प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं और खजांची कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और वहां पर इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है कि इस संस्था को किसी फेडरेशन से सम्मिलित किया जाय और यह प्रस्ताव गिर जाता है। संस्था किसी फेडरेशन में सम्मिलित नहीं होती है और वह दो साल पुरानी संस्था नहीं है तो क्या वहां के मजदूरों को श्रम मन्त्री जी इस बात का हक नहीं देना चाहते कि उन की यूनियन के प्रतिनिधि आपकी कन्सीलिएशन मशीनरी के सामने, लेबर कोर्ट में जा कर अपना मुकदमा करा सकें। अगर आप का यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाय तो अब इस प्रदेश के औद्योगिक विवाद इस संशोधन विधेयक के अनुसार ही तय होंगे जिस से वहां के मजदूरों को किसी तरह से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय विशारद जी से मैं कहना चाहता हूं कि समय का ध्यान रखें।

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रीमन्, पांच घंटे का समय है। जान लीजिये। यह तो बड़ा विचारणीय संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे भी ताज्जुब हुआ कि १ घंटा इस पर कैसे हो सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रीमन्, इस सरकार के, जैसा कि हमारे माननीय तिवारी जी ने कहा, जितने काम होते हैं वे बड़े ही निर्दोषपूर्ण होते हैं। लेकिन जब यहां की सब से ऊंची अदालत के सामने इस सरकार के कारनामे जाते हैं तो वहां से दोषपूर्ण सार्टिफिकेट लग कर आते हैं चाहे वह बिक्री-कर विधेयक हो या कोई दूसरा विधेयक हो। और मैं श्रम-मन्त्री जी को चैलेंज करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को जिसमें उन्होंने इस बात का प्रतिबन्ध लगाया है कि कोई भी यूनियन का पदाधिकारी दो साल तक श्रम अदालतों में, लेबर कोर्टस् में उपस्थित नहीं हो सकता है, उसको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, अगर यही क्लाज आज किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे प्रदेश की हाई कोर्ट में या देश की सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय तो यह क्लाज एक मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। तो जब इसको अवैधानिक होना ही

है, बदलना ही है, इसका दूसरा संशोधन विधेयक आप को लाना ही है, तो क्यों नहीं आज इसको अभी बदल देते हैं, इसको वापस ले लेते हैं . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आपका प्रस्ताव तो पब्लिक ओपिनियन प्राप्त करने का है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--पहले तो आप ही को ओपिनियन बदलना है। आपको समझा तो दूं। श्रीमन्, हमारे भारतीय संविधान को भी सभी ने देखा है और श्रम-मन्त्री जी ने भी देखा होगा। उसके अनुच्छेद १९ में हमें इस बात का अधिकार प्राप्त है कि हम कोई संघ या संस्था बना सकते हैं। क्या उस अनुच्छेद की मंशा यही है कि हम संघ और संस्था बना लें, लेकिन २ साल तक इस बात की प्रतीक्षा में रहें कि अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर सकें। अगर आज मैं यह भी मान लूं कि जैसा यह संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत है, यह ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाय तो मैं आपके द्वारा श्रम मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आज इस प्रदेश में सैकड़ों और हजारों कन्सिलिएशन बोर्ड में, ऐडजुडिकेशन में जो मुकदमे चल रहे हैं और जिन यूनियनों को दो साल नहीं हुए हैं, उनके मुकदमे चलाने के सिलसिले में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

अब प्रस्तुत विधेयक के खंड ४ को देखें, इसमें है कि:

"मूल अधिनियम की धारा ६-क की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक में शब्द 'सामाजिक न्याय के आधार पर' के स्थान पर शब्द 'राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से' रख दिये जायं"।

मैं समझता हूं इस समय तक जो मूल अधिनियम में धारा थी, वह उचित थी और इसी आदरणीय सदन में, यहां पर पुराने बैठे हुए सदस्यों ने, उस पर विचार किया होगा और पास किया होगा। आज मैं नहीं समझता कि श्रम-मन्त्री जी ने कैसे अपनी वह राय बदल दी है और आज वह उस में कुछ और भी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमन्, जिस पृष्ठभूमि में यह सामाजिक न्याय के आधार पर' रखा गया था उस समय लोगों ने उसकी पृष्ठभूमि को भी खूब अच्छी तरह से सोचा होगा, खूब अच्छी तरह से समझा होगा। उस पृष्ठभूमि में यही था कि जो वीकर पार्टी है, जो कमजोर है उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां के उद्योगपतियों के बढ़ते हुए दबाव ने श्रम मन्त्री जी को अपनी राय बदलने के लिए मजबूर किया है और अब वह उस से भी दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस ढंग से वह अपनी बात कह रहे हैं और रख रहे हैं देखने में अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो बात वह रखने जा रहे हैं, जिस तरह से वह इस धारा को अब प्रस्तुत कर रहे हैं, वह गलत होगी और एक तरह से वह पूंजीपतियों से प्रभावित होगी। मजदूरों का यह विश्वास अब धीरे-धीरे दृढ़ होता जायगा अगर यह धारा ज्यों की त्यों रही कि यह सरकार मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करती है और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है।

श्रीमन्, जो नया संशोधन श्रम मन्त्री जी रख रहे हैं, उस में अभी तक के शब्द 'सामाजिक न्याय के आधार पर' के स्थान पर शब्द 'राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से' रख रहे हैं। एक पूंजीपति कभी भी अपने दर्द को अपना दर्द नहीं बताता। वह हरदम अपने दर्द को समाज का दर्द बताता है, अपने दर्द को सरकार का दर्द बताता है और इसीलिए वह कुछ थोड़ी सी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर किसी भी मिल मालिक से बात कीजिये, जहां बोनस का सवाल उठता है या जहां पर किसी अवार्ड के इम्पलीमेंटेशन का सवाल उठता है, तो वह फौरन सरकार के सामने यही बात रखता है कि साहब इस से इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायगी, अगर मजदूरों को बोनस दिया गया या किसी तरह का एवार्ड इम्प्लीमेंट हुआ। इससे तो इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी। सरकार भी कितनी जल्दी इस बात को स्वीकार करने जा रही है, इस संशोधन विधेयक के द्वारा। मैं नहीं समझता कि आज इस बात की क्या आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की बात इतनी सही है कि अगर पूंजीपति या कोई मिल

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मालिक यह समझता है कि वह वीकर पार्टी है, वह कमजोर है तो उसको भी इस व्यवस्था के अनुसार जो कि मूल अधिनियम में थी, सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब जो नया हिस्सा विधेयक में जोड़ा जा रहा है उससे मजदूरों को अब किसी तरह का कोई भरोसा नहीं रह सकता, क्योंकि जितने भी अवार्ड होंगे, उनके सम्बन्ध में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के नाम पर फिर से दुरुस्त कराने की कोशिश की जायगी। तो मैं समझता हूं कि श्रम मन्त्री जी इस बात से पूर्णरूप से सहमत हो जायेंगे और जो उन्होंने इसमें नया संशोधन, नया पैरा जोड़ा है, उनको वापस ले लेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अभी तो श्रीमन्, बहस यह नहीं हो रही है कि वापस लिया जाय। अभी तो जनमत संग्रह के लिए भेजने का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष--जी हां, आप प्रभावशाली ढंग से बहस नहीं कर रहे हैं। आपका संशोधन तो यह है कि जनमत के लिए भेजा जाय। तो आप यह कहें कि सरकार इसको जनमत के लिए भेज दे। वापस लेने की बात तो जरा असंगत सी हो जाती है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रम मन्त्री जी ने हड़ताल का जिक्र किया और हड़ताल रोकने के लिए उन्होंने इसमें कुछ प्रतिबन्ध भी लगाया है। हड़ताल मजदूर का अन्तिम और पवित्र हथियार है। बहुत सोच समझ के महीने, दो महीने, चार महीने अच्छी तरह से सारे मामले को पक्का करके, अपनी संस्था के सदस्यों से पूंछकर, अपनी इन्डस्ट्री के तमाम सहयोगियों से पूंछकर, अपनी आम सभायें करके, मजदूर इस बात का फैसला करता है कि उसको हड़ताल करनी चाहिए और यह फैसला वह उसी समय करता है जब मजदूर अच्छी तरह से यह समझ लेता है कि अब उसके पास और किसी तरह का चारा नहीं रहा, लेकिन माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसमें इस बात की काफी गुंजाइश कर दी है कि अब मजदूर किसी तरह हड़ताल नहीं कर सकता।

श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि सब प्रकार के साधन हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर मजदूरों की समस्याओं का किसी तरह से समाधान नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो हड़ताल करनी होगी। अगर हम यह भी मान लें कि इस विधेयक में जो शर्तें दी हुई हैं उनको भी पूरी कर लें, तो भी एक स्थिति हमारे सामने यह होती है जिसमें हमें हड़ताल करना पड़ेगी। बिना किसी तरह की नोटिस दिये हुए या बिना किसी तरह की खानापुरी किये हुए। कारखानों में मजदूर काम करते हैं, वहां के मैनेजर ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिशोध की भावना होती है। अगर प्रबन्धक यह चाहते हैं कि मजदूरों के लीडरों से जो फैक्टरी के अन्दर काम करते हैं, उनसे बदला चुकायें और अगर किसी फैक्टरी का प्रबन्धक किसी मजदूर लीडर के साथ या मजदूर के साथ अन्याय करता है, जुल्म करता है या मारता पीटता है या अपमानित करता है, तो क्या वे ३० दिन तक इस बात के लिए इन्तजार करते रहें कि वे मजदूरों को हड़ताल के पहले एक नोटिस देना चाहिए और उस नोटिस के जरिये जब सब खानापुरी कर लें, तब हड़ताल करें? मैं समझता हूं कि यह गलत है। मजदूर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी प्रबन्धक उसके किसी कार्यकर्त्ता को या किसी सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार करे, किसी तरह से अपमानित करे और मजदूर चुपचाप बैठा रहे। वह हड़ताल करेगा और उसको करनी चाहिए।

श्रीमन्, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो हड़ताल का प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है और इस में जो दूसरे प्रश्न जुड़े हुए हैं, इन सबको दृष्टि में रखते हुए क्यों न इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय? मैं श्रम मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूं कि अब हमारे प्रदेश में लाक आउट या हड़ताल का प्रश्न नहीं रहा, इस प्रदेश में अब क्लोजर का सवाल पैदा हो गया है। कारखाने वाले इस प्रदेश से अपने कारखाने हटा रहे हैं। अगर संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना ही था तो इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी कि जिन फैक्टरियों की गुडविल क्रियेट करने में मजदूरों ने अपना खून पसीना एक किया है, उन मजदूरों के लिए क्लोजर की हालत में कोई सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं की? इस संशोधन विधेयक में यह एक बहुत बड़ी खामी रह गयी है।

श्रीमन्, जब मैं इस प्रस्ताव के द्वारा इस संशोधन विधेयक को जनमत के हेतु प्रसारित करने के लिए अनुरोध करता हूं उस समय में आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को अहमियत और भी बढ़ जाती है जब कि अभी महीना भर हुआ हमारे श्रम मन्त्री जी ने एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया और उस में जबकि मालिकों, मजदूरों के प्रतिनिधि मौजूद थे और सरकारी कर्मचारी भी इकट्ठा हुये थे, तो इस संशोधन विधेयक में जो मूल बातें हैं उनका उस सम्मेलन के सामने क्यों नहीं जिक्र किया गया? वह इसलिए नहीं किया गया कि श्रम मन्त्री जी जानते थे कि जिस तरह का संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं उसको वहां पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे तो सरकारी नीति का पता चलता था और वहां पर उपस्थित होने वाले कार्यकर्त्ता, चाहे वह किसी भी दल के होते, इनके प्रतिकूल राय देते और वह इस विधेयक को जो यहां पर रखा गया है किसी भी रूप में नहीं मानते।

इसलिए श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को जनमत प्राप्त करने के लिए घुमाया जाय और जब जनमत आ जायगा तो सही पता चलेगा कि इस संशोधन विधेयक से मजदूरों को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है और उस समय हम सही नतीजा निकाल सकेंगे और सही ढंग से सोच सकेंगे कि मजदूर अपने हितों के लिए कितना सचेष्ट है।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अधिनियम में यह संशोधन, प्रस्तुत करता हूं कि--उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जावे कि वह आवश्यकतानुसार परधि को भी बढ़ा सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री भगवतीसिंह जी विशारद का प्रस्ताव सीज्ड है और उस पर जब तक सदन का फैसला न हो जाय तो दूसरा प्रस्ताव क्या आ सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--दोनों बातें हो सकती हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक प्रस्ताव सीज्ड है अगर दूसरा आयेगा तो ओवरलैपिंग होगा।

श्री उपाध्यक्ष--आपकी बात ठीक है, लेकिन सदन की ऐसी परम्परा है कि समय बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर आप को कोई विशेष आपत्ति हो तो बात दूसरी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी--उपाध्यक्ष महोदय, आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सारे भारतवर्ष और हमारे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है और उद्योगों से राज्य की आय बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। जब हम इस देश के और प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उस समय हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि उद्योगों के बढ़ावे के साथ-साथ उनमें शांति रहना भी नितान्त आवश्यक है। वर्तमान मजदूरों के कानूनों के अन्तर्गत आज मजदूरों के हृदयों में एक उथल-पुथल मची हुई है, उनको आज एक आशंका हो गयी है, क्योंकि श्रम न्यायालयों द्वारा जो फैसला होता है उसको भी पूरा नहीं किया जाता है।

श्रीमन्, मैं फीरोजाबाद से आता हूं जो चूड़ियों के उद्योग का केन्द्र है। सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में यह चूड़ियों का मुख्य केन्द्र है। इसमें चूड़ियों के ९० रजिस्टर्ड और ३०० अनरजिस्टर्ड कारखाने हैं। मैं वहां के मजदूरों की बात रख रहा हूं। उनमें बड़ी बेचैनी फैली हुई है। अदालतों द्वारा जो निर्णय होता है उसको भी पूरा नहीं कराया जाता है। एक व्यक्ति ट्रिब्युनल द्वारा रीइन्स्टेट किया गया, लेकिन उसको आज तक नहीं रखा गया, उनके हर्जाने की डिग्रियां हुईं, लेकिन कारखानेदारों ने नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

फीरोजाबाद की बात जाने दीजिये। मैं आपको लखनऊ की एक बात बताता हूं। इस विधान सभा के सदस्यों के लिए जो दारुलशफा रहने के लिए बना हुआ है उसमें एक रेस्टोंरेंट के मालिक ने अपने एक कर्मचारी को निकाल दिया। उसके लिए कांसिलियेटरी बोर्ड ने ऐवार्ड किया कि उसको १२० रुपये मिलेंगे और मालिक ने भी कहा कि १५ किस्तों में रुपया उसके पास भेंज दिया जायगा, लेकिन उसको रुपया नहीं मिला। वह ट्रिब्युनल में पहुंचा कि उसका पैसा मिलना चाहिए और वह व्यक्ति, माननीय मन्त्री जी, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है सामने भी आ चुका है, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को एक पैसा भी कन्सिलिएशन बोर्ड और ट्रिब्युनल के फैसले के होते हुए भी विधायक निवास के रेस्टोरां के मालिक ने नहीं अदा किया। तो हम लोगों की नाक के नीचे इन्डस्ट्रियल कोर्ट के फैसले की कहां तक अवहेलना की जा रही है इससे ज्यादा ज्वलन्त प्रमाण कोई और नहीं मिल सकता। यदि किसी को अविश्वास हो तो आइये बैठक के बाद चलिये . . .

श्री उपाध्यक्ष—व्यक्तिगत मामलों में आप बहुत मत जाइये।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैंने नाम नहीं लिया है उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि फीरोजाबाद के मसले के बारे में कह रहा था तो मैंने सोचा कि शायद सरकार तथा माननीय सदस्यों को सहसा विश्वास न हो, इसलिए ऐसे एक दृष्टान्त की आवश्यकता पड़ी और मैंने ब्योरे के तौर पर वह चीज रख दी।

मैं ने यह संशोधन रखा है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए और उसको यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सके। इसका कारण यह है कि इसमें यह लिखा गया है कि प्रबन्धक लाक आउट नहीं कर सकते, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, तीस दिन का नोटिस दिया जायगा। हमारी इस उत्तर प्रदेशीय सरकार ने फीरोजाबाद में, जो संसार में चूड़ी के उत्पादन का एकमात्र केन्द्र है, एक स्कीम लागू कर दी। इस पर यद्यपि मैं फिर कभी बोलना चाहता था, लेकिन प्रसंगवश हाउस का ध्यान आकर्षित करता हूं। फीरोजाबाद में एक कम्पलसरी कम्बिनेशन स्कीम लागू कर दी गयी है और वह यह है कि चूड़ी के जो ९० कारखाने वहां हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् १९४६ में एक नियम लागू कर दिया है कि वहां के तीन कारखानेदार आपस में सम्मिलित हो सकते हैं और उसके बाद उन तीन कारखानों को रा मैटीरियल और कोटे की सप्लाई में ज्वाइन कर दिया जायगा। यह स्कीम चालू हुई, लेकिन सरकार को पता है कि उसके बाद फीरोजाबाद के मजदूर आज ११ वर्षों से उसका विरोध कर रहे हैं और वहां की जनता भी उसका विरोध कर रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी से जब वह श्रम मन्त्री थे मिल भी चुके हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है? आज वहां का कारखानेदार, कागज पर सिर्फ ४० कारखानेदार हैं, जिनकी फैक्टरियां नहीं हैं, जिनकी वार टाइम में फैक्टरियां थीं, लेकिन अब भी उनको कम्पलसरी स्कीम की वजह से ५ हजार से १५ हजार रुपये तक मिल जाता है, लेकिन मजदूर वहां पर बेकार डोल रहे हैं। यह रुपया उनको किस तरह से मिलता है। कम्बिनेशन स्कीम के मुताबिक कारखानेदार मिल कर एक नाम से रजिस्टर कर देता है। वहां कारखानेदारों के तीन ग्रुप्स बनाये गये हैं ए०, बी० और सी०। 'ए' ग्रुप के कारखानेदारों को कोटा कम्बनेशन स्कीम के मुताबिक रजिस्टर करा लेने पर १५ हजार रुपया मिल जाता है। 'बी' ग्रुप वालों को १० हजार और 'सी' ग्रुप वालों को ५ हजार रुपया मिल जाता है। तो यह रुपया और यह कोटा वे लोग बतौर पेंशन के पा रहे हैं और उस सरकार से प्राप्त कर रहे हैं जिसको श्रेय प्राप्त है जमींदारी को खत्म करने का। सरकार ने देहातों में तो जमींदारी खत्म कर दी, लेकिन पूंजीपतियों के रूप में एक नया जमींदार वर्ग पैदा कर दिया है। वह जमींदार बिना किसी कारखाने के ५ से १५ हजार रुपये तक पा रहा है। नये-नये कम्बिनेशन आपके इस विधेयक के द्वारा किये जा रहे हैं। आज जो एक कारखाना चालू

है वह कल दूसरे कारखाने से ज्वाइन हो जाता है और उसके कम्बिनेशन में चला जाता है तो वह चूड़ी की फैक्टरी फीरोजाबाद में बन्द कर देगा। तो यह कानून एक तरफ तो यह करता है, दूसरी तरफ मजदूरों के लिये तीस दिन की हड़ताल, तीस दिन को लाक आउट का प्राविजन करता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जिससे माननीय मित्र को गलतफहमी न रहे। इसमें कतई तीस दिन के नोटिस की व्यवस्था नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—लाक आउट के लिये ३० दिन की व्यवस्था है, चाहे वह ३० दिन के अन्दर ही सही। मैं कहता हूं कि कारखानेदार काम्बिनेशन स्कीम में अपनी फैक्टरी को दे देता है। वह किसी प्रकार का नोटिस नहीं देता। मैं, इसलिये यह चीज कह रहा हूं कि फीरोजाबाद के कारखानेदार इस तरह से कर रहे हैं।

एक चीज और है। मामले औद्योगिक न्यायालय में जाते हैं और कंसिलेयेशन बोर्ड के सामने जाते हैं। वह महज इसलिये कि कारखानेदारों से रुपया खींचा जा सके, क्योंकि जो मजदूरों के फेडरेशन में काम करने वाले हैं, वे मजदूरों के नाम पर दुकान खोलते हैं। फीरोजाबाद में भी मजदूरों की प्रतिनिधि एक संस्था है और उसकी एक रजिस्टर्ड यूनियन है। एक उसके कार्यकर्ता हैं। न वह फेडरेशन के मेम्बर हैं और न उनकी वर्किंग कमेटी है, लेकिन कागज पर उनको यूनियन है, परन्तु सरकार के यहां से उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। वह आज भी जिस दिन चाहते हैं कारखानेदारों के खिलाफ मजदूरों के नाम पर कंसिलियेशन बोर्ड में केस फाइल कर देते हैं। जब चाहते हैं मजदूरों की तरफ से लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े अधिकार प्राप्त कर लिये हैं और जब चाहते हैं केस को वापस ले लेते हैं। आज मजदूरों के नाम पर ऐसी दूकानें खुली हुई हैं। सरकार ने जो यह २ वर्ष की पाबन्दी लगाई है इससे उनकी दुकान को और भी बढ़ावा मिलेगा। वे बिना किसी कैपिटल के मजदूरों के खैरख्वाह बने हुये हैं।

हिरण्यगऊ जय ग्लास वर्क्स का एक केस इन्हीं दुकान करने वालों के द्वारा चलाया गया। यह वही मजदूरों के नेता थे जिन्होंने कि इस तरह की दुकान करने वालों की अपनी यूनियन को बनाया था और जो उन मजदूरों को उससे वंचित करना चाहते थे। उसके बाद जो वास्तव में वहां के मजदूर थे उन्होंने भी अपनी यूनियन बनाई, क्योंकि वे अपने को उन दुकानदारों की यूनियन से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने इलाहाबाद में ट्रिब्यूनल के सामने अपना प्रतिवेदन दाखिल किया और उन्होंने निवेदन किया कि हमारी यह यूनियन है और हमको भी लड़ने के लिये अधिकार दिया जाय। इस पर ट्रिब्यूनल को विश्वास हो गया और जो पहले केस लड़ रहे थे उनसे पूछा कि आपकी कोई यूनियन है और उसमें कारखाने के कितने मेम्बर हैं तो उन्होंने बतलाया कि हमको मालूम नहीं है कि कितने मेम्बर हैं और कारखाने के मेम्बर हैं या नहीं। यह मैं एक ट्रिब्यूनल की बात आपके सामने बता रहा हूं। जहां पर इतने कार्यकर्ताओं की दूकानें खुली हुई हैं कि जब वह केस लड़ने के लिये जाते हैं तो वहां पर स्वयं मंजूर करते हैं कि हमारे मेम्बर हैं या नहीं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। इसके साथ ही जो मजदूरों की संस्था है, जिसके ३५० मेम्बरों से भी अधिक मेम्बर हैं वह भी स्वयं मजदूरों की कमेटी बना कर उस केस को लड़ने के लिये पहुंची तो उन्होंने उस केस में शामिल होने के लिये अधिकार प्राप्त किया।

अभी १८ तारीख को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक एक विरोध दाखिल किया गया तो वहां पर कह दिया गया कि अभी २ वर्ष व्यतीत नहीं हुये हैं, प्लीड नहीं कर सकते। सरकार के कानून के मुताबिक वास्तव में मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने जाते हैं और अपना स्वार्थ सीधा करते हैं और कारखानेदारों को सताया करते हैं। इसी तरह से बोनस का बढ़ावा देकर जो उनसे रुपया ऐंठते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं उनको सरकार के इस औद्योगिक कानून से सह मिलती है। दूसरी तरफ वे मजदूर जो

[श्री जगन्नाथ लहरी]

अपना हित स्वयं साधन करना चाहते हैं, जैसी मिसाल मैंने आपको दी कि इलाहाबाद में वह लड़ने गये तो उन मजदूरों को इनसे मुक्ति मिलनी चाहिये। उन मजदूरों के लिये इलाहाबाद जाना-आना सम्भव नहीं है। वहां का आना-जाना ४० रुपये से कम नहीं हो सकता। मजदूर को ४० रुपया मासिक वेतन ही मिलता है। जब तक वह इतना रुपया व्यय न करे उसको न्याय नहीं मिल सकता।

इसलिये हम आपसे मांग करते हैं कि यह जो संशोधन विधेयक आज रखा गया है इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। दो वर्ष की अवधि जो नियत की गयी है उसके ऊपर वह विचार करके इसको हटा दें। जो मजदूर अपने फेडरेशन के नेताओं से अपने को छुड़ाना चाहते हैं, जो राजनीतिक पार्टी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनको भी लाभ हो सके। मजदूरों के नाम पर जो अपना स्वार्थ सीधा करते हैं उन राजनीतिक दुकानदारों से अपने को जो बचाना चाहते हैं इस औद्योगिक कानून के मुताबिक उनको अवकाश नहीं मिल सकता कि वह अपने को इस कानून के मुताबिक मुक्त कर सकें। तो मैंने इसलिये यह मांग की कि इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्रीमन्, मैं एक बात और बतला दूं। आज रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान हो गया है। ५ रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस और ७ आदमियों के दस्तखत कराके माडल बाई लाज हर फेडरेशन से मिल जाते हैं और हम अपनी यूनियन को रजिस्टर करा लेते हैं। आज ऐसी दूकानें खुल गई हैं और एक नई बात यह हो गई है कि वे दलाली का धंधा तो करते ही थे, लेकिन मजदूरों पर रोब भी डालने लगे। यह है कि अगर कंसीलियेशन बोर्ड में या एडजुडीकेशन में कोई मामला चल रहा है तो हड़ताल नहीं हो सकती है। कुछ इस तरह की संस्थायें हैं जिनको कारखानेदार पैसा देते हैं। वास्तविक मजदूर अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिये सरकार के सामने नहीं आ सकता है। सरकार ने संशोधन में यह मांग की है कि एक ट्रेड में एक यूनियन रजिस्टर हो। साथ ही साथ मैं यह मांग करता हूं कि उस ट्रेड में सिर्फ एक ही यूनियन हो, जैसा कुछ वर्ष पूर्व आपने शुगर फैक्ट्रीज का रेफ्रेरेन्डम कराया था और इस बात की घोषणा की कि फलां यूनियन वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे फीरोजाबाद की ग्लास इन्डस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वहां काम करने वाले मजदूरों का रेफ्रेरेन्डम सरकार करावे और देखे कि कौन सा यूनियन मजदूरों को रिप्रेजेन्ट करता है उसे रजिस्ट्रेशन दीजिये और केसेज लड़ने का अधिकार दीजिये। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है उसी प्रकार मजदूर यूनियनों में भी हो गया है। जैसे पहले जब जमींदारी समाप्त नहीं हुई थी तो जमींदार किसानों को तबाह करते थे, मुकद्दमेबाजियों में किसानों को फंसाते थे, फौजदारियों के मामलों में फंसाते थे और किसान तबाह हो जाता था, वैसे ही आज मजदूर तबाह हो रहा है। किसान के अन्दर एक क्रान्ति पैदा हुई और हमारी खुशकिस्मती है कि जमींदारी समाप्त हुई। किसान को जमींदारों के हथकन्डों से मुक्ति हो गई। आज वही क्रान्ति की भावना हमारे मजदूरों में पैदा हो गई है। इन्डस्ट्रियल डिस-प्यूट्स का सहारा लेकर दूकाने खुल रही हैं और मजदूरों को मुकद्दमेबाजी में फंसाया जा रहा है। आज मजदूर को न्याय नहीं मिल रहा है और कभी-कभी उसे अपनी रोटी से हमेशा के लिये मुहताज होना पड़ता है।

जब हम अपने देश में, प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, बड़े-बड़े उद्योग खोलना चाहते हैं, तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम यह बात भी सोचें कि किस प्रकार हम अपने प्रदेश के मजदूरों को खुशहाल बना सकते हैं। आज मजदूरों को खुशहाल बनाने के लिये पूंजीपतियों ने जो हथकंडे अख्तियार किये हैं, संस्था कायम की है अथवा जो दलाल मजदूरों के बने हुए हैं और मजदूरों के नाम पर दूकानें खोल रखी हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिये। चाहे दो बरस का समय व्यतीत हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन असली मजदूरों की जो संस्था है उसको उनकी तरफ से पैरवी करने का मौका मिलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त आज यह जरूरी चीज़ है कि हर ट्रेड में रेफ्रेंडम कराया जाय और यह देखा जाय कि असली मजदूरों को रिप्रेजेन्ट करने वाली संस्था कौन सी है और उसी यूनियन को मान्यता दी जाय ।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमें यह भी आवश्यक हो गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। धारा ६ (क) की उपधारा (१) में मिसाल के तौर पर यह लिखा है कि--- "धारा ६-क की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबंधक में शब्द "सामाजिक न्याय" के आधार पर" के स्थान पर शब्द "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से" रख दिये जायं ।" तो अब तक तो सामाजिक न्याय के नाम पर मजदूरों का शोषण हो रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय आय और आर्थिक साधनों के नाम पर मजदूरों का शोषण होगा । आज मजदूरों का शोषण करने के लिए एक नया शब्द पेश किया गया है । आज सरकार बड़े-बड़े उद्योगों में स्वयं साझीदार बनने जा रही है या उनको खोल रही है । तो जब कभी मजदूर अपनी मांग पेश करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो संभव है उनके सामने यह बात रक्खी जाय कि मजदूर आर्थिक साधनों में रुकावट डाल रहे हैं और उस प्रकार से मजदूरों को विवश हो कर अपने अधिकारों से वंचित होना पड़े । उदाहरण के लिये बोनस का मामला है, राष्ट्रीय आय में इनकम टैक्स का मसला है । उसमें यह है कि ६ हजार से १० हजार तक ३ पाई फी रुपया टैक्स लगाया जायगा, २५ हजार तक ६ पाई, ५० हजार तक ९ पाई और ५० हजार से ७५ हजार तक १२ पाई फी रुपया इन्कम टैक्स लिया जाता है । इस तरह से जितनी इन्कम बढ़ती जाती है उतना इन्कम टैक्स भी बढ़ता जाता है । अब मान लीजिये किसी फैक्ट्री को २ लाख का लाभ हुआ और मजदूरों ने बोनस की मांग की । मिल मालिकों ने उसको देने से इन्कार कर दिया । क्योंकि कारखानेदार तो इन बातों पर तुले ही हुये हैं । मजदूर चाहे भूखों मर जायं, लेकिन वे मजदूरों को दबाने के लिये, उनको कुचलने के लिये पूरे तौर पर आमादा हैं । अपने प्रदेश के पूंजीपति ही नहीं बल्कि सारे देश के पूंजीपति अपने मतभेदों को भुलाकर इस बात पर सब एकमत हैं और पूरी शक्ति के साथ मजदूरों का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं ।

अब मान लीजिये किसी कारखाने में २ हजार मजदूर हैं, उन्होंने मांग की कि उनको बोनस दिया जाय । अगर एवरेज के बतौर प्रत्येक को ५० रुपया भी दिया जाय तो कितनी रकम हो जाती है, लेकिन इन्कम टैक्स की राष्ट्रीय आय में यह कमी हो जाती है । तो मेरा कहना यह है कि जब सरकार यह संशोधन करने जा रही है कि सरकारी आर्थिक साधनों का अहित होगा, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कमी होगी, तो उसके बहाने से इनडायरेक्टली मजदूरों का अहित किया जायगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आन ए प्वाइंट आफ इनफार्मेशन । माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से 'आय' शब्द जोड़ दिया है । संशोधन विधेयक में 'आय' शब्द नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---मेरा 'आय' शब्द से मतलब अर्थ व्यवस्था से ही था । तो जब इस प्रकार से रुपये की कमी हो जायगी तो हो सकता है कि आगे चल कर सरकार इस प्रकार का अधिकार ले और कानून बनाये जिस तरह १९३७ में, जब कि प्रथम बार कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी और उसने आराजी कानून बनाया था, जिसमें १७१ एक धारा रखी थी और वह इसलिये रक्खी थी कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाय । उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि अगर किसी किसान को बेदखल किया जाता है तो उन लोगों को जमीन मिल जाय । हमारे उस आराजी कानून के बनाने के बाद जबकि द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और हमारी कांग्रेसी सरकारें तथा उसके विधायक लोग इस्तीफा दे देकर जेलों में चले गये, तब आपको मालूम ही होगा कि कानून विशारदों ने दफा १७१ का क्या मतलब निकाला । उसका मतलब निकालने के बाद एक-एक जमींदार ने दफा १७१ के

[श्री जगन्नाथ लहरी]

अनुसार अपने किसानों से लाखों रुपये तक नजराना और शुकराना के तौर पर वसूल किया। तो आप बराबर देखते हैं कि विधेयक पास कर देने के बाद भी समय-समय पर इतनी जल्दी-जल्दी हम संशोधन क्यों लाते हैं? कभी हाई कोर्ट का कोई निर्णय हो जाता है, तो कभी कोई कानूनी विशारद और कोई दूसरा शिकंजा लगा देते हैं तो इस तरह से राज्य की आर्थिक व्यवस्था का सवाल लेकर, कानूनी शिकंजों में जकड़ कर लोग न जाने क्या राय दे देते हैं? सोशल जस्टिस के साथ-साथ जब एक संशोधन यह भी आप जोड़ना चाहते हैं तो हमको गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये कि हम इस पर संशोधन करें या न करें।

एक चीज और भी है धारा ४ के अधीन हड़ताल का अख्तियार है। इस धारा के अधीन दी गयी हड़ताल या द्वारावरोध की प्रत्येक नोटिस में एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जिसके तीन दिन के भीतर यदि नोटिस के अनुसार हड़ताल या द्वारावरोध न किया जाय तो नोटिस प्रभावी न रह जायगी और हड़ताल या द्वारावरोध के लिये एक नयी नोटिस फिर देनी होगी जैसे ३० दिन का नोटिस दे दिया और मान लीजिये कि १५ अगस्त तक हमारी मांग पूरी न हुई तो हम हड़ताल करेंगे। जब नोटिस दिया जायगा तो स्वभावतः यह होता है कि समझौते की बातचीत चलती है और उसमें एक ऐसा क्षण भी आता है जिसमें मालूम होता है कि समझौता अभी चन्द मिनटों में हो जायगा, लेकिन जहां समझौता करने के लिये इसी तरह से क्षण आ गये हैं वहां पर पूंजीपतियों ने, यह देखा गया कि उस अवधि तक टाल ले गया जिससे हड़ताल करने का टाइम निकल जाय। तो पूंजीपति इस नोटिस से फायदा उठायेंगे।

एक संशोधन आ रहा है जिसके द्वारा हम जो कमेटी मुकर्रर कर रहे हैं उसमें साथ-साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य अनिवार्य किया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत से काम हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन एक पवित्र कमीशन समझा जाता है जिसके बारे में एक आम धारणा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पार्टी पोलिटिक्स से बिलकुल परे है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जब सरकार यह देखे कि जहां पर इस तरह की झगड़ेबाजी चल रही है, मजदूर और मिल मालिकों में टकराव हो रहा है और जब देश में एक राजनीतिक और औद्योगिक क्रान्ति हो रही है और जिस समय मजदूर अपने अधिकारों के लिये आगे बढ़ रहा है और पूंजीपति उनके अधिकारों का हनन करने के लिये पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है तो ऐसे राजनीतिक वातावरण में पवित्र कमीशन के सदस्यों को लाना कहां तक हितकर है? मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब इस तरह का राजनीतिक झगड़ा चल रहा हो, वहां पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी व्यक्ति को न रखा जाय तो हितकर होगा और उसकी जो पवित्रता है और उसका जो रास्ता है वह बदस्तूर कायम रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री महोदय तथा सदन से अनुरोध करूंगा कि इस औद्योगिक अधिनियम में मैंने जो संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, उसे आप एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और प्रवर समिति को पूरा अधिकार दें कि वह उसकी परिधि को भी आवश्यकतानुसार बढ़ा सके। साथ ही साथ मेरे पूर्व वक्ता ने इस बात का प्रस्ताव किया कि इसे जनमत जानने के लिये प्रस्तावित किया जाय तो ऐसी हालत में सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस समय हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास करने जा रहे हैं, उस समय कहीं हम ऐसा औद्योगिक अधिनियम न पास कर दें जिससे अशान्ति के बादल मंडराने लगें। हमारे मजदूर शांत रहें और खुशहाल रहें, इन बातों को ध्यान में रखते हुये आज हम जल्दबाजी में इस विधेयक को पास न करें और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मजदूरों के दिलों को पहचानने की कोशिश करें और इस विधेयक को जल्दबाजी में पास न कर के प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---आपने अपने भाषण में "आप" शब्द का प्रयोग बहुत किया है। उससे स्पष्टतया आपका अर्थ सरकार से है, लेकिन चूंकि यहां "आप" शब्द का प्रयोग अध्यक्ष के लिये ही होता है अतः मेरी विचित्र स्थिति हो जाती है। इसलिये अपने भाषण में आप संशोधन कर दीजियेगा और जहां-जहां "आप" शब्द आया है उसकी जगह पर "सरकार" बना दीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष जी मैं श्री भगवतीसिंह विशारद के उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसमें यह मांग की गई है कि यह विधेयक जनमत संग्रह करने के लिये जनता में प्रसारित किया जाय। मैं जानता हूं कि सरकार यह कहती अवश्य है कि कन्सीलियेशन बोर्ड या आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा हड़तालों को खत्म करे, लेकिन इन हड़तालों के खत्म करने से या ऊपर से इस तरह की थोड़ी सी शान्ति को कार्यवाही दिखलाने से कभी भी मजदूरों की सहायता नहीं की जा सकती। सरकार जड़ की ओर नहीं जाती और देश के मजदूर की जो सही समस्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करती, वह हड़तालों को जरूर हटाना चाहती है जिनके कारण दिखलाई पड़ता है कि मजदूरों में, उद्योग केन्द्रों में अशान्ति है।

मुझे दो-ढाई साल पहले की कानपुर की पिछली हड़ताल की याद आती है जो ८० दिन तक चली थी और जिसमें एक लाख मजदूरों ने भाग लिया था। शुरू से यहां पर हड़तालों का मखौल उड़ाया गया है, सरकार तो हड़ताल से इसलिये भयभीत है कि इन हड़तालों से देश विदेश में उसकी नीति का स्पष्टीकरण होता है, उन्हें हड़तालों के कारणों को दूर करने की चिन्ता नहीं है। यह मैं कह सकता हूं कि हड़ताल कोई खुशी की या शौक की चीज नहीं है, जब मजदूर बेबस हो जाता है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती और सरासर उसके साथ अन्याय होता है तब वह हड़ताल की बात सोचता है, लेकिन क्या हम सरकार से यह आशा कर सकते हैं कि वह मजदूरों की इन तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिये कटिबद्ध है। वह तो एक ही चीज पसन्द करते हैं कि वह आर्बिट्रेशन बोर्ड जाय और उसके बाद यह कहा जाय कि हम हर सूरत में उनकी सहूलित के लिये तैयार हैं। कानपुर में लेबर वेलफेयर विभाग कायम है, लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ है, लेकिन आप मान लें कि वहां एक नया ओहदा कायम किया गया है, इसलिये कि एक कांग्रेसी सज्जन पिछले चुनाव में हार चुके हैं उन को कहीं नौकरी देना है। इस तरह से नये-नये पद कायम किये जाते हैं। इस तरह से जनता द्वारा नापसन्द किये हुये लोगों को सरकार खपाना चाहती है, वह चाहते हैं कि अपने उन सारे साथियों को जिन्हें जनता ने नापसन्द कर दिया है कहीं न कहीं किसी ओहदे पर बिठा दिया जाय। हमारी सरकार की ओर से मजदूरों के लिये जो कार्य किये जाते हैं उन सबका ही मैं खण्डन नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक सरकार मजदूरों के वास्तविक कष्टों का निवारण करने की बात नहीं सोचेगी तब तक हड़तालों को दूर करने से या समझौते के बोर्ड कायम करने से लाभ न होगा।

कानपुर जो एक मुख्य औद्योगिक केन्द्र है और जहां लाखों मजदूर हैं वहां ऐसे कानूनों के द्वारा शायद सरकार यह कर पाये कि हड़तालें कम दिखाई दें, लेकिन मजदूरों की स्थिति को मैं जानता हूं कि वे कितने बेबस हैं, कितने स्वास्थ्य हीन हैं, कितने जीवन से लाचार हैं। मैं पूछता हूँ यह सब देखते हुये क्या उनके साथ वास्तविक न्याय किया जाता है? कानपुर के मजदूर के मुर्दा चेहरे किसने नहीं देखे हैं? उसकी शक्ल से उसकी हालत का पता लग जाता है, कानपुर में टी० बी० का मर्ज है तो वह मजदूर श्रेणी में है, वहां टी० बी० के अस्पताल हैं लेकिन वहां देखा जाय कि मजदूर ही अधिकतर भरती होते हैं। अगर जानने की कोशिश की जाय तो यह टी० बी० के मरीज उन्हीं कानपुर की मिलों से निकलते हैं और यह मिल बराबर उनके उत्पादन का केन्द्र बन गई हैं, जहां टी० बी० से वह ग्रस्त होते जाते हैं और दूसरी ओर पूंजीपतियों का धन बढ़ता जाता है जिन पर सरकार का हाथ है। वह चाहती है कि उनकी पीठ पर हाथ फेर कर मजदूरों का

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

शोषण जारी रहे। इसीलिये जब कभी भी ऐसी कोई बात हड़ताल रूपी सामने आती है तो सरकार बराबर मिल मालिकों का साथ देती है। मैंने पिछली हड़ताल में देखा कि किस प्रकार से इस प्रकार के आंकड़े प्रकाशित होते थे कि एक तरफ तो कहा जाता था कि इतने मजदूर हड़ताल पर हैं, इतने मजदूर भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जाता था कि इतने मजदूर हड़ताल पर हैं ही नहीं, १ मिल चल रही है। इस तरह से साबित होता है कि सरकार हमेशा मिल मालिकों के पक्ष में रहती है।

मुझे ज्यादा इसलिये नहीं कहना कि इसके सम्बन्ध में और सज्जन भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं अपना समर्थन कानपुर के मजदूरों के प्रति इस प्रस्ताव के पक्ष में बोल कर प्रकट करता हूँ कि यह विधेयक जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवतीसिंह जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ।

आज अपने प्रदेश में सब से बड़ी समस्या मजदूर की है। जब हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले एक वर्ग हमारे बीच में जमींदार था जिसको हम कहते थे कि वह शोषक है और गांव के रहने वाले कृषक शोषित हैं। उस जमींदार को बीच का दलाल भी घोषित किया गया था और उस दलाल को खत्म करके हमें अपने देश में अशान्ति का वातावरण शांति के रूप में लाना चाहिये। उसी तरह से आज मुझे यह कहना पड़ता है कि यह सरकार जो है इसने पूंजीपतियों को दलाल बनाकर कहीं सेल्स टैक्स द्वारा, कहीं मजदूरों का शोषण कर के अपने पास पैसा खींचना चाहती है। यह दलाल के रूप में उपस्थित किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह भी बताना चाहता हूँ कि मैनपुरी में जो चावल के कारखाने हैं वहां पर मजदूर काम करते हैं। मैनपुरी में शिकोहाबाद बल्ब फैक्ट्री है जोकि भारतवर्ष में तीन फैक्ट्रियों में प्रमुख कही जाती है। वहां के मजदूरों का प्रश्न एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। यदि हम गम्भीरता से उन मजदूरों की समस्याओं को हल करने की तरफ देखें तो मैं यह देखता हूं कि मजदूर उन मिल मालिकों के द्वारा बराबर सताये जा रहे हैं।

साथ ही इस विधेयक में जो श्रम मंत्री जी ने यह एक प्रश्न उपस्थित कर दिया कि मजदूर अपनी समस्या तभी रख सकता है जब किसी फेडरेशन जिसकी दो साल से रजिस्ट्री हो, सम्बन्ध रखे। मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि मैनपुरी में चावल के कारखाने प्रारम्भ हुये सिर्फ तीन साल हुए हैं? वहां के मजदूरों को बारह-बारह, चौदह-चौदह घंटे काम करना पड़ता है। इतवार को छुट्टी के लिये उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की और इसी तरह से यदि दूसरी जगह पर इसी प्रकार की समस्याएं आयीं तो वह समस्याएं हमें इस जाल में फंसाने के लिये तैयार हो जायंगी। जब नये कारखाने खुलेंगे तो हम पुरानी यूनियन कहां से ला सकते हैं? फिर हम किस प्रकार से मजदूरों की समस्याओं को कोर्ट तक ले जा सकते हैं? श्रीमन्, मैं आप के द्वारा.....

(इस समय श्री मोतीलाल अवस्थी खड़े हुये।)

श्री उपाध्यक्ष—आप का क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं उपाध्यक्ष जी से जानना चाहता हूं कि कल के प्रोग्राम के सम्बन्ध में सूचना हमें जब अजेंडा नौ बजे मिलता है तभी मिल पाती है। और होता यह है कि तमाम बिल पेंडिंग हैं। यह सूचना न मिलने के कारण लिटरेचर मिलने में दिक्कत पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष—कल तो यही बिल चलेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को असुविधा हुई। कल और पूछ लीजियेगा। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था कि उनको बीच में रोका जाय।

श्री मलिखान सिंह---तो, श्रीमन्, मैं बेचारे मैनपुरी के मजदूरों की समस्या जो कि चावल के कारखाने में काम करते हैं, कहने जा रहा था कि मजदूर दिन रात काम करते हैं, वहां मालिक फ़ैक्ट्री उनको हफ्ते में छुट्टी तक नहीं देते, यह भी तय नहीं है कि कितने दिन उनको सर्विस रहेगी। इस प्रकार से जो मजदूर कम रेट पर आते हैं उनको रख करके जो परमानेंट मजदूर होते हैं उनको निकाल देते हैं। इस प्रकार की जो समस्यायें उन मजदूरों के सामने आयें वे उस समय रखी जायं जब २ साल हो जायं वहां को यूनियन को बना कर के। फिर उसको रजिस्टर्ड कराया जाय तब दो साल बाद केस पुट अप किया जाय। यह कैसा मजाक है।

इसके बाद मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह मजदूर जो दिन-रात फैक्ट्री में काम करता है और उसके बाद अपनी समस्याओं को भी कोर्ट में हल न करा सके, जिसके बच्चे भूखों मरते हैं, घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है और वह उन समस्याओं को इलाहाबाद कोर्ट में ले जाने के लिये ४० रु० खर्च करे तो इस तरह से वह अपना घर बेच कर के कोर्ट में न्याय लेने के लिये जायगा। हमारे सामने यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह पूरे प्रान्त के उन मजदूरों का प्रश्न है जो इस तरह से शिकार होते हैं। और फिर जिस समय हमारी सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री खोलने जा रही है तो उस समय हमें यह विचारना होगा कि यह समस्यायें मजदूरों को कैसे, किस तरह से हल होंगी। जो हमारे सामने अमेंडमेंट बिल है इसको हम किस तरह से पास करें। यह लाखों मजदूरों के प्रश्न से सम्बन्धित है, हमें विचारना होगा कि भविष्य में उन मजदूरों को किस प्रकार से खुशहाल रख सकते हैं जिससे कारखाने चलें, मजदूर सुखी रहे, हमारी आर्थिक उन्नति हो।

श्री उपाध्यक्ष---अब ५ बज गया है, इसलिये आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

२६ जुलाई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर)

पूर्वीय उत्तर प्रदेश के अन्नाभाव ग्रस्त जिलों में मई एवं जून मास, सन् १९५७ ई० में सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरण के लिए भेजे गये गेहूं का विवरण

जिला	मई, १९५७ में वितरण के लिये भेजे गये गेहूं की मात्रा	जून, १९५७ में वितरण के लिये भेजे गये गेहूं की मात्रा
	(मनों में)	(मनों में)
वाराणसी	७५,२६९	८१,४४९
आजमगढ़	५०,३३४	३५,४९८
बलिया	३९,६०८	४५,९२३
बस्ती	२२,८१२	३४,४०९
देवरिया	३७,४०३	५४,६६२
गोरखपुर	५२,६४८	८०,८७७
गाजीपुर	२९,४००	२९,७२६
मिर्जापुर	२०,६३४	१९,११०
जौनपुर	२८,४४७	३९,४७२
योग ..	३,५६,५५५	४,२१,१२६

जून के महीने में आजमगढ़ के आंकड़े केवल २१ जून, १९५७ तक हैं।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

फेहरिस्त रकबा पुनरांकित कांस सीजन का तहसील महरौनी केन्द्र ललितपुर सीजन १९५३-५४

क्र०	नाम ग्राम	रकबा जुता हुआ जिस पर ट्रेक्टर चार्ज लगा	रकबा कांस जो अभी पाया गया	रकबा कांस जो पहिले छोड़ दिया गया	रकबा पुन-रांकित कांस खाना (४-५)	पुन:कांस का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
१	पहाड़ीकलां	३१०-१०	४-७१	-६५	४८-०६	१-३६
२	खेरी ..	१२२-८३	२०-५५	१-७३	१८-८२	१५-४५
३	पहाड़ीखुर्द	६-५९	१-०३	-१३	-९०	१४-२८
४	पठा	१९६-३६	४५-२७	..	४५-२७	२३-००
५	बहादुरपुर	७६२-५८	४८-३४	२-४८	४५-८६	६-०३
६	गोराखुर्द	३२८-००	२०-९९	-७०	२०-२९	६-०८
७	ओंकी ..	५९८-४२	९०-४४	२-२१	८८-२३	१४-७२
८	बम्होरी कलां	२७५-७५	५-६६	१-००	४-६६	१-८०
९	पिपरट	५२२-७४	-८०	..	-८०	-१९
१०	जमुनियां-कलां ..	२०५-८४	३८-३०	-०१	३७-२९	१७-९१
११	देवसे ..	८८-६४	३-७६	..	३-७६	४-५९
१२	ओंगरा	८८५-०७	५५-९२	३-८७	५२-०५	५-८८
१३	खिरिया-उबारी	? ०६-३७	११-५०	१-१२	१०-३८	२-०४
१४	पटना ..	५०५-७९	८४-४५	२-०६	८२-३९	१६-२८
१५	पारोल	७६९-७६	३७-९९	-६४	१७-३५	२-२५
१६	गुरयाना	८०६-२०	२७-९३	१-००	२६-९३	३-३४
१७	मलउवा	२७-५६	२-८५	-२८	२-५७	९-३२
१८	गुड़ालिरिया	२२६-६४	३०-५५	१-०२	२९-५३	१३-०२
१९	गुंजेरा	५४-७३	२-६७	-१५	२-५२	४-६२
२०	मछरका	२२४-२४	२१-३०	२-१२	९-२५	८-५८
२१	बरेजा ..	१७-७८	१-५५	-०५	१-१०	६-१८
२२	परसई ..	११३-८२	९-३०	१-६९	७-६१	६-६९
२३	घोलपुरा	७६८-७०	३०-४०	४४-०२	२६-३८	३-४३
२४	देवरानखुर्द	२१४-१९	२-००	-२०	१-९०	-८८
२५	देवरानकलां	२४०-९६	३-६०	-९८	२-६३	१-०८
२६	भोंटा ..	३६२-१६	१६-४५	६-४०	-०५	२-७७
२७	सिमिरिया	४७७-५९	२३-७५	७-१८	१६-५७	३-४७
२८	बछरावनी	२९३-५८	२१-३०	७-८४	१३-४६	४-५८
२९	बमराना	४-६०	-९०	.	-९०	१९-४६

क्र०	नाम ग्राम	रकबा जुता हुआ जिस पर ट्रेक्टर चार्ज लगा	रकबा कांस जो अभी पाया गया	रकबा कांस जो पहिले छोड़ दिया गया	रकबा पुनरांकित कांस खाना (४–५)	पुनः कांस का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
३०	परसाटा	३०४–५२	१०–३०	१–३६	८–९४	२–९३
३१	कबराटा	४५४–४६	८–०१	–४८	७–५३	१–६५
३२	नीमखेरा	२०७–६२	७–३४	–९७	६–३७	३–०६
३३	हसेरो ..	३२८–९८	९–८६	१–४६	८–५०	२–५५
३४	मोरई	३–४४	–०९	–०१	–७८	२–३२
३५	दिगवार	१८०–६३	१८–८९	३–१७	१५–७२	८–७०
३६	गुन्दरापुर	४५३–१६	१९–३५	७–६२	११–७३	२–५८
३७	बँजनाथ	३६७–०३	९–६३	१–८०	७–८३	२–१३
३८	सिदवाहा	७८८–३१	१८–९८	१–३४	१७–६४	२–२३
३९	बेरवारा	२५७–९०	९–०३	–३०	८–७३	३–३९
४०	जरया ..	४७३–६१	२१–१७	४–३२	१६–८५	३–५५
४१	सिलवान	३५९–१९	५–९५	३–१६	२–७९	–७७
४२	समोगर	२९८–८५	५–१५	१–९८	३–१७	–०६
४३	बछरई	८९६–४५	५–६०	२–३५	३–२५	–३६
४४	झरावटा	५०१–९०	५–६१	२–५०	३–११	–६१
४५	अर्जुनखिरिया ..	४२२–०४	६६–२२	३–२०	६३–०२	१४–९३
४६	ककरुवा	७५७–९५	३४–११	३–८०	३०–३१	३–९८
४७	बनयाना	२२२–८४	..	..	..	..
४८	पड़रिया	३–४४	..	..	..	..
४९	पाह ..	५५–८१	१–३५	–५७	–७८	१–३९
योग	तहसील महरोनी	१७२६५–७६	९००–६७	९०–९२	८०९–७५	४–६८

सीजन १९५३–५४ सी० टी० ओ० द्वारा।

पी० एस० यू० पी० एं० पी०—८४ एल० ए०—१९५७—७९६।